दिल्ली विकास प्राधिकरण

(आवास और शहरी कार्य मंत्रालय)

डीडीए मुख्य कार्यालय, विकास सदन

पुनर्स्थापित वन समुदाय और आर्द्रभूमि पर यमुना जैव विविधता पार्क

द्वारका में डीडीए फ्लैट्स

भलस्वा गोल्फ कोर्स

द्वारका में साइकिल ट्रैक

वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे

दिल्ली विकास प्राधिकरण

2021-22

वर्ष 2021-22 के लेखों पर
पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

दिल्ली विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा. के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

1. हमने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25(2) के उपबंधों के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति और भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी डी.डी.ए. प्रबंधन की है। हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने का है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) मानकों आदि के संबंध में लेखांकन प्रणाली पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल है। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमनिष्ठता) के अनुपालन तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई हो, के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखा-परीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्टों/ सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक से दी गई है।

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, लागू नियमों और भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण में किसी प्रकार की गलतबयानी न होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके। हमारी लेखा-परीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) शामिल है। हमारी लेखा-परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समस्त प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर, हम कहना चाहते है किः-

(i) हमने सारी सूचना और स्पष्टीकरण, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थी, प्राप्त की है।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे दिए प्रारूप में लेखे तैयार किएः-

क) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के समान प्रारूप में तैयार किए गए सामान्य विकास खातों के संबंध में तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा एवं प्राप्ति और भुगतान लेखे।

ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखा) नियम, 1982 के अंतर्गत तैयार किए गए नजूल-I के संबंध में तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा।

ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखा) नियम, 1982 के अंतर्गत तैयार किए गए नजूल-II के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा।

(iii) हमारी राय में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25(1) के अंतर्गत तथा अपेक्षित उचित लेखा बही और अन्य संबद्ध रिकार्ड का रखरखाव किया गया है, जैसा कि इन खाता-बहियों की हमारी जांच के दौरान देखा गया है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः

क. नजूल-I

तुलन-पत्र

संपत्तियां

विविध देनदार 105.91 करोड़ रुपये (अनुसूची घ)

दि.वि.प्रा. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 के तहत 'नजूल समझौते' के माध्यम से तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के निपटान में रखी गई सरकारी भूमि के अनधिकृत कब्जाधारियों से ब्याज सहित क्षति शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत है। हालांकि, 2018-19

से बार-बार टिप्पणी किए जाने के बावजूद, भी दि. वि. प्रा. ने वर्ष 2021-22 के लिए क्षति शुल्क के रूप में वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की है।

ख. नजूल-II

1. प्राप्तियां और भुगतान खाता

अन्य विविध प्राप्तियां -57.64 करोड़ रुपये

अन्य विविध प्राप्तियों के तहत बुक किए गए 57.64 करोड़ रुपये के विवरण संबंधित संपत्ति के साथ स्पष्ट रूप से पता लगाए जाने योग्य नहीं थे और न ही इसका समाशोधन किया गया था। इसके अलावा, बिना किसी विवरण के विविध प्राप्तियों के तहत इतनी बड़ी राशि की बुकिंग के लिए दि. वि. प्रा. में समीक्षा की आवश्यकता है। विवरण/समाशोधन के अभाव में, 57.64 करोड़ रुपये की विविध प्राप्तियों की राशि लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं की जा सकी।

यह मामला 2019-20 और 2020-21 में भी उजागर (हाइलाइट किया) गया था।

2. तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा तैयार न करना

नजूल-II भारत सरकार की ओर से डीडीए द्वारा भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास और निपटान कार्यकलापों से संबंधित है। नजूल-II लेखों के संबंध में डीडीए ने केवल प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तैयार किया। इसके परिणामस्वरूप, नजूल-II खातों की परिसंपत्तियों और देयताओं को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है । लेखा परीक्षा, वर्ष 2012-13 से नजूल-II का तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा तैयार न करने पर बार-बार टिप्पणी कर रहा है। तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ग. सामान्य विकास खाता

1. लेखों के एकसमान फॉर्मेट के अनुसार खातों को तैयार न करना

प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (अनुसूची एन) की मद संख्या 3 में कहा है कि सामान्य विकास खाते के वित्तीय विवरण केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के सामान्य फॉर्मेट में तैयार किए जाते हैं। तथापि, नीचे रेखांकित किए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कथन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है:

i. लेखों के एकसमान फॉर्मेट के अनुसार निर्धारित /एंडोमेंट निधि और निवेश के, निवेशों से अन्य को अलग से दिखाया जाना चाहिए। तथापि, वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनसूची एफ) के अंतर्गत रिजर्व फंड निवेश से संबंधित 1134.63 करोड़ रुपये की राशि की सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश।

ii. खातों के एक समान फॉर्मेट के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को लागत/बही मूल्य पर में बताया जाना चाहिए, तथापि, ऐसे मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर को तुलन पत्र की टिप्पणी में दिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि खातों के टिपण्णी में अंतर को बताया नहीं गया था।

2. तुलन पत्र

देयताएं

2.1 अन्य देयताएं

डीडीए की विभिन्न आवास योजनाओं के आबंटितियों से अग्रिमः 591.85 करोड़ रु

आबंटितियों से अग्रिम - एम.ओ.आर. भूमि 0.62करोड़ रुपये

डीडीए ने 591.85 करोड़ रुपये को 'विभिन्न डीडीए आवास योजनाओं के आबंटितियों से अग्रिम' और 0.62 करोड़ रुपये अन्य देयताओं के (अनुसूची सी) शीर्ष के अंतर्गत - 'आबंटितियों से अग्रिम पुनर्वास भूमि मंत्रालय' के रूप में मान्यता दी है इस संबंध में, नरेला में एम.आई.जी. आवासों की बिक्री के कारण दिल्ली पुलिस से प्राप्त राशि 135.78 करोड़ रुपये को छोड़कर, डीडीए के पास आबंटितियों से प्राप्त अग्रिमों का आबंटन-वार विवरण, उनकी प्राप्ति की तिथि और आबंटन की वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा विभिन्न डीडीए आवासीय योजनाओं के आबंटितियों से अग्रिम' और 'आबंटितियों से अग्रिम - एम.ओ.आर. भूमि शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 456.69 करोड़ रुपए की सटीकता के बारे में आश्वासन

प्राप्त करने में असमर्थ थी।

इस मुद्दे पर लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी टिप्पणी की गई थी, तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

परिसंपत्तियां

2.2 पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन - 9.89 करोड़ रुपए

2.2.1 15% ओवरहेड प्रभार पर विचार नहीं करने के कारण उपर्युक्त राशि में 1.48 करोड़ रुपए [0.49 करोड़ (3.27*0.15 रुपए) + 0.99 करोड़ (6.63*0.15 रुपए)] की कमी दर्शाई गई है।

2.2.2 उपर्युक्त में तेहखंड गांव में समाज सदन एवं पठन कक्ष से संबंधित 3.27 करोड़ रुपए (0.49 करोड़ रुपए के ओवरहेड प्रभार के अतिरिक्त) की लागत शामिल है । हालांकि समाज सदन का काम 28.08.2015 को पूरा हो गया था इसे पूंजीकृत नहीं किया गया । इससे प्रगति-गत कार्य की पूंजी में 3.27 करोड़ रुपए की अधिकता, निर्धारित परिसंपत्तियों में 1.80 करोड़ रुपए की कमी और मूल्यह्रास में कमी के साथ साथ 1.96 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया गया।

2.2.3 उपर्युक्त में विकास सदन भवन में एयर-कंडिशनिंग सिस्टम की आपूर्ति और इसे लगाने के लिए वहन की गई 6.63 करोड़ रुपए (0.99 करोड़ रुपए के ओवरहेड प्रभार के अतिरिक्त) की लागत शामिल है। हालांकि यह काम पूरा हो गया था और 9 मार्च 2022 में इसे समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया तथापि इसे 31 मार्च 2022 को पूंजीकृत नहीं किया गया। इससे प्रगति-गत कार्य की पूंजी में 6.63 करोड़ रुपए की अधिकता, निर्धारित परिसंपत्तियों में 7.24 करोड़ रुपए की कमी और मूल्यह्रास में कमी के साथ साथ वर्ष में 0.38 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया गया।

2.3 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-एफ)-18760.16 करोड़ रुपए

विविध देनदार-479.60 करोड़ रुपए

लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 11 (अनुसूची-ओ) में यह सूचित किया है कि 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार विविध देनदारों के विधिवत समाशोधित पार्टीवार और आयुवार विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं है। डीडीए देनदारों का पार्टीवार और आयुवार ब्यौरा (251.11 करोड़ रू के जल प्रभारों को छोड़कर) नहीं रख रहा है अतः लेखा परीक्षा 228.48 करोड़ रुपए की राशि के विविध देनदारों की प्रमाणिकता, मौजूदगी और वसूली योग्यता को सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं है। लेखा पर टिप्पणियों में केवल इस बात का प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है कि देनदारों का समाधान नहीं किया गया था।

वर्ष 2013-14 से पूर्ववर्ती एसएआर में इस मुद्दे को बार-बार उठाने के बावजूद डीडीए आज तक विविध देनदारों के पार्टीवार और आयुवार ब्यौरों का रखरखाव नहीं कर पाया है।

3. आय एवं व्यय खाता

संस्थापना एवं प्रशासन (अनुसूची के)

संस्थापना व्यय

नई पेंशन योजना में अंशदान 13.10 करोड़ रुपए

केन्द्र सरकार के एनपीएस सब्सक्राइबरों के लिए नियोक्ता के हिस्से को 01.04.2019 से 10% से बढ़ाकर 14% किया गया था और यह केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी लागू था। वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए नियोक्ता के अंशदान में वृद्धि के परिणामस्वरूप 6.22 करोड़ रुपए की राशि के स्थान पर, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा बताया गया, लेखा में केवल 3.40 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। जिससे 2.82 करोड़ रुपए की कमी हुई। उक्त के लिए प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप एनपीएस में नियोक्ता के अंशदान में कमी और 2.82 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज हुआ। इसके अलावा प्राधिकरण ने 2 इकाइयों के विवरण के साथ साथ नियोक्ता के अंशदान के लिए भेजी गई रकम का विवरण और ट्रस्टी बैंक खाते में एनपीएस में कर्मचारियों से की गई वसूली के संबंध में विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया है। इसकी अनुपलब्धता की वजह से देरी से किए गए रकम के प्रेषण के कारण ब्याज की कमी तथा देयताओं

की वास्तविक राशि, यदि कोई हो का आकलन नहीं किया जा सकता।

4. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची-एन)

4.1 इन्वेंट्रीज (मद सं. 6)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची-एन) के मद सं. 6 के अनसार इन्वेंट्रीज का मूल्य निर्धारण कम लागत अथवा निवल वसूली मूल्य (एन.आर.वी.) पर किया जाता है। लेखांकन मानक-2 'इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन' के पैरा 25 में स्पष्ट है कि मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्यन से किया जाता है। एनआरवी का ऐसा कोई मूल्यांकन डीडीए द्वारा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप एएस-2 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति से. 6 का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा, वित्तीय विवरणों में इन्वेंट्रीज की कीमत का निर्धारण नहीं किए जाने को भी उपयुक्त रूप से प्रकट नहीं किया गया है।

इस बारे में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में भी लेखा परीक्षा ने टिप्पणी की थी लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

4.2 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

"लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण" से संबंधित लेखाकंन मानक-1 के पैरा 24 में कहा गया है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को प्रकट किया जाना चाहिए। यद्यपि, डीडीए द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लेखों के साथ विभिन्न लेखांकन नीतियों को प्रकट किया गया था, तथापि वित्तीय विवरणों में 'प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्ति' पर लेखांकन नीति को प्रकट नहीं किया गया था। इस मुद्दे को वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान उजागर किया गया था; तथापि, प्रबंधन की ओर से कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

5. लेखा की टिप्पणियां (अनुसूची ओ)

5.1 कर्मचारी लाभ- टिप्पणी सं. 4

टिप्पणी 4 (ii) में कहा गया है कि प्राधिकरण ने 31.03.2022 को 7541.97 करोड़ रुपये की अपनी पेंशन देयता का बीमांकक मूल्यांकन कराया और जिसमें 529.84 करोड़ रुपये की राशि वर्तमान वर्ष से संबंधित है। यद्यपि, यह देखा गया कि पेंशन ट्रस्ट डीड के उल्लंघन में, डीडीए पेंशन ट्रस्ट को निधि हस्तांतरित करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहा था, जैसा कि बीमांकक द्वारा गणना की गई थी। डीडीए द्वारा पेंशन ट्रस्ट को वर्षवार अंशदान और कमी दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:-

(राशि करोड़ रु. में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बीमांकक द्वारा परिकलित पेंशन देयता राशि	559.01	623.49	508.72	529.84
डीडीए द्वारा अंतरित राशि	99	208	235	259.10
कमी	460.01	415.49	273.72	270.74

इस प्रकार, उपरोक्त से, यह दर्शाया गया है कि पेंशन ट्रस्ट को प्रेषण में कमी 2018-19 में 460.01 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 1419.96 करोड़ रुपये हो गई है। इसलिए, टिप्पणी अधूरी थी क्योंकि पेंशन फंड ट्रस्ट को प्रेषण में कमी का प्रकटन नहीं किया गया है। यह मुद्दा वर्ष 2020-21 के दौरान भी उठाया गया था, तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

5.2 निर्धारित निधि- टिप्पणी सं. 9

5.2.1 टिप्पणी संख्या 9(i) के अनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी विकास निधि रु.4997.87 करोड़ थी। इस निधि में से कुल निवेश 4771.24 करोड़ रुपये का है (4701.69 करोड़ रुपये का निवेश, 2.38 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि और 67.17 करोड़ रुपये का अर्जित ब्याज शामिल है)। यद्यपि, अनुसूची ई निर्धारित/एकमुश्त निधियों की संपत्ति के अनुसार, कुल निवेश का उल्लेख 4771.36 करोड़ रुपये के रूप में

किया गया है (इसमें राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गए 3369.89 करोड़ रुपये, सावधि जमा में निवेश किए गए 1337.78 करोड़ रुपये, बचत बैंक खातों में 2.38 करोड़ रुपये, और अर्जित ब्याज में 67.31 करोड़ रु. शामिल हैं)। इस प्रकार, 0.12 करोड़ रुपये का अंतर है, इसका मिलान करने की आवश्यकता है।

5.2.2 टिप्पणी 9 (vi) के अनुसार, जो लेखों का भाग है, 31.03.2022 तक ईडब्ल्यूएस आवास आरक्षित शेष 570.43 करोड़ रु. था जो अनुसूची बी निर्धारित/ एकमुश्त निधि से मेल नहीं खाता है, जिसके अनुसार ईडब्ल्यूएस आवास आरक्षण की शेष राशि 323.78 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, 246.65 करोड़ रुपये के अंतर का मिलान करने की आवश्यकता है।

5.2.3 टिप्पणी 9 (vi) के अनुसार, जो लेखों का भाग है, 31 मार्च 2022 को इंवेंट्रीज की शेष राशि 3012.62 करोड़ रुपये थी, जो अनुसूची ई के साथ मेल नहीं खाता है, जिसके अनुसार इन्वेंट्री का शेष 2753.67 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, 258.95 करोड़ रुपये के अंतर का मिलान करने की आवश्यकता है।

घ. प्रबंधन-पत्र

ऐसी कमियां, जिन्हें पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन-पत्र के माध्यम से उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के संज्ञान में लाया गया है।

(v). पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) और आय और व्यय खाता/प्राप्ति और भुगतान खाता, खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(vi). हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में शामिल किए गए अन्य मामलों के अधीन हैं। जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं:-

क) जहां तक 31 मार्च 2022 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के मामलों की स्थिति की तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) का संबंध है, और

ख) जहां तक कि यह उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक,
भारत हेतु तथा उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 09 नवंबर, 2022

(अतुर्वा सिन्हा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(आधारिक संरचना) नई दिल्ली

वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

उप मुख्य लेखाधिकारी की अध्यक्षता में दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिविप्रा) की आतंरिक लेखापरीक्षा उसके अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा संचालित की जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के प्रशासनिक कंट्रोल के अंतर्गत 216 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 52 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी, जिनमें से वर्ष के दौरान केवल 21 इकाइयों की लेखापरीक्षा की जा सकी थी। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र संगठन के आकार के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, 31.03.2022 तक 21387 बकाया पैरा का निपटान किया जाना है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण को विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

(i) दि.वि.प्रा. में कोई अनुमोदित व्हिसल ब्लोअर नीति नहीं है। सभी कर्मचारियों को भ्रष्ट, अनैतिक आचरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, प्राधिकरण की आचार संहिता के संभावित उल्लंघन जैसे किसी भी कदाचार के खिलाफ अपने मुद्दे उठाने में सक्षम बनाने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करने की आवश्यकता है। एक इस तरह की नीति की भी आवश्यकता है, जो, यदि कोई कर्मचारी इकाई में किसी गलत कार्य के लिए आवाज उठाता है तो यह रिर्पोटिंग प्रक्रिया और जांच तंत्र की रूपरेखा तैयार करेगी।

(ii) प्रभावी लेखांकन और नियंत्रण के लिए कोई परिचालन, वित्तीय और लेखांकन मैनुअल या मानक संचालन प्रक्रिया नहीं है|

(iii) कोई निर्धारित, प्रलेखित या अनुमोदित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) नहीं है।

(iv) दि.वि.प्रा. की कोई जोखिम मूल्यांकन नीति नहीं है।

(v) दि.वि.प्रा. की धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम की कोई अनुमोदित नीति नहीं है।

(vi) दि.वि.प्रा. ने विभिन्न संचालनों, प्रक्रियाओं और गतिविधियों में कदमों की सूची तैयार करने के लिए फ्लो चार्ट तैयार नहीं किया है, जो इसके कामकाज के लिए विशिष्ट थे।

(vii) फरवरी 2022 के दौरान परिपक्व होने वाले कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक के सावधि जमा में शहरी विकास निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज पर 1.56 करोड़ रूपये की राशि को आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाने वाले खातों में शामिल नहीं किया गया था।

(viii) उपार्जित आधार पर लेखों को तैयार न करना

दि.वि.प्रा. की सात केन्द्रीय लेखांकन इकाइयाँ हैं, जैसे कि सी.ए.यू. (उत्तरी क्षेत्र), सी.ए.यू. (दक्षिणी क्षेत्र), सी.ए.यू. (पूर्वी क्षेत्र), सी.ए.यू.(द्वारका), सी.ए.यू. (रोहिणी), सी.ए.यू. (पी. और सी. डब्ल्यू. जी.) और सी.ए.यू. (खेल)। इसके अतिरिक्त सी.ए.यू. के अलावा सात लेखांकन इकाइयां जैसे-रोकड़ (मुख्य), रोकड़ (आवास), कर्मचारी हित निधि, चिकित्सा, भीकाजी कामा प्लेस, वेतन एवं लेखा कार्यालय और यूटीपैक हैं। दि.वि.प्रा. मुख्यतः सी.ए.यू. स्तर पर मासिक लेखा तैयार करने के लिए के.लो.नि.वि. के पैटर्न का अनुसरण करता है। सी.ए.यू. द्वारा दिए गए मासिक लेखा मुख्यालय स्तर पर वर्गीकृत और समेकित सार में दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के अंत में समायोजन प्रविष्टियों को पारित करके कर परामर्शदाता द्वारा नकद आधार लेखों को उपार्जन आधार लेखों में परिवर्तित करके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार, जब भी लेन-देन किया जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने लेन-देन का रिकार्ड उपार्जित आधार पर नहीं रखता है। कुछ तदनुकूल लेखांकन सॉफ्टवेयर सिस्टम को लागू करने हेतु तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है, जो दि.वि.प्रा. की लेखा प्रणाली को सुचारू बनाने में मदद करेगा। यह दि.वि.प्रा. द्वारा आंतरिक नियंत्रण में कमी और खराब निगरानी को दर्शाता है। यह टिप्पणी वर्ष 2020-21 के दौरान भी की गई थी, हालांकि प्रबंधन द्वारा कोई भी संशोधनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(ix) जी.डी.ए. उचन्त खाता-13.19 करोड़ रूपये

वित्तीय वर्ष क्रमशः 2019-20 और 2020-21 के लिए डीडीए के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के एसएआर के अनुलग्नक की टिप्पणी संख्या 2(XI) तथा 2(iX) पर टिप्पणी हेतु संदर्भ आमंत्रित है, जिसमें उचन्त खाते के समाधान नहीं होने के मुद्दे का उल्लेख किया गया था। तथापि, यह पाया गया कि 13.19 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 12.07 करोड़ रूपए) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अभी तक 'उचन्त खाते' के अंतर्गत दर्शायी गयी है। डीडीए द्वारा इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(x) आंतरिक नियंत्रण की कमी और अपर्याप्त निगरानी के परिणामस्वरूप अतिक्रमित भूमि के मासिक विवरण को प्रस्तुत नहीं किया जाना।

दि.वि.प्रा. ने दिनांक 27 सितंबर 2018 के आदेश द्वारा डीडीए में भूमि संरक्षण हेतु प्रक्रिया और प्रणाली के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि संबंधित अधीक्षण अभियंता निर्धारित प्रारूप में निदेशक भूमि प्रबंधन-1 के माध्यम से प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन) को प्रत्येक माह के दौरान पता लगे/रिपोर्ट किए गए अतिक्रमणों की संख्या, अनुमोदित मामलों की संख्या तथा निर्माण गिराने की कार्रवाई किए गए मामलों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तथापि, लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि संबंधित अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। यह मामला वर्ष 2020-21 के दौरान भी उठाया गया था, हालांकि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(xi) जीडीए- अन्य देयताएं 20.92 करोड़ रुपये

प्राधिकरण के पास 20.92 करोड़ रुपये की राशि के लेनदारों के विवरण उपलब्ध नहीं है और इसलिए शेष राशि की पुष्टि भी नहीं की गई है। यह आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शाता है और साथ ही रिकॉर्डों के अनुचित रखरखाव को भी दर्शाता है।

3. इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 213(2) के अनुसार, वर्ष में कम से कम एक बार सभी उपभोज्य वस्तुओं और सामग्रियों का वास्तविक सत्यापन किया जाए और यदि कोई विसंगति हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई हेतु उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। इस संबंध में, डीडीए ने अपनी इकाइयों द्वारा प्रदत्त वास्तविक मौजूदा माल की पुष्टि करते हुए वास्तविक सत्यापन प्रमाणपत्र पर विचार किया है, तथापि लेखा परीक्षा को सभी मालसूचियों के वास्तविक सत्यापन की मदवार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में तुलन पत्र में दर्शायी गई मालसूची की प्रमाणिकता के संबंध में लेखापरीक्षा आश्वस्त नहीं है।

4. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता।

लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक देयताओं के भुगतान में कोई कमी नहीं देखी गई।

5. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 213(1) के अनुसार अचल संपत्तियों की सूची सामान्य रूप से साइट पर डाली जाएगी। अचल संपत्तियों को वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापित किया जाना चाहिए और सत्यापन के परिणाम को संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। इस संबंध में दि.वि.प्रा. ने अपनी इकाइयों द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक अस्तित्व की पुष्टि करने वाले वास्तविक सत्यापन प्रमाण पत्र पर विचार किया है तथापि, सभी अचल संपत्तियों की मदवार वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिसके अभाव स्वरूप लेखापरीक्षा प्रमाणिकता और अस्तित्व अथवा तुलन पत्र में दर्शायी गई अचल संपत्तियों के संबंध में आश्वासन देने में असमर्थ है।

वर्ष 2021-22 हेतु
वार्षिक लेखा

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता
वार्षिक लेखा
2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31-मार्च-2022 को	31-मार्च-2021 को
समग्र/पूंजीगत निधि और देयताएं			
आरक्षित एवं अधिशेष	ए	9,028.71	9,462.61
निर्धारित/अक्षय निधि	बी	6,200.71	6,438.55
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	सी	12,130.49	10,645.81
कुल		**27,359.91**	**26,546.97**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	डी	160.44	174.35
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य		9.89	9.89
निर्धारित परिसंपत्तियां/अक्षय निधि	ई	8,429.41	8,653.71
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	एफ	18,760.17	17,709.03
कुल		**27,359.91**	**26,546.97**
वित्तीय विवरण के भाग की सूची	ए-पी	-	
अंतिम नकद और बैंक में शेष को दर्शाने वाला विवरण	एम		
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	एन		
लेखों पर टिप्पणियां	ओ		
निवेशों के अंतिम शेष को दर्शाने वाला विवरण	पी		

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी	उप मुख्य लेखाधिकारी	निदेशक(वित्त)	मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	(लेखा)	परामर्शदाता	

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
आय एवं व्यय खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	अनुसूची		31-मार्च-2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31-मार्च-2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आय					
स्टॉक एवं कार्य में वृद्धि/(कमी)-अन्य	जी		803.4		1,176.42
बिक्री/सेवाओं से आय	एच		87.3		120.89
निवेश से आय	आई		155.67		222.7
अन्य आय	जे.1		309.61		244.88
स्टॉक एवं कार्य में वृद्धि/(कमी)-ई.डब्ल्यू.एस.	जे.2		1,070.18		968.29
कुल			2,426.16		2,733.18
ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित आय			320.92		298.11
कुल आय			2,105.24		2,435.07
व्यय					
विकास एवं निर्माण व्यय					
-भूमि एवं संबंधित कार्य		0.76		1.58	
-विनिर्दिष्ट आवास योजना-ई.डब्ल्यू.एस. आवास		304.76		269.68	
-अन्य आवासीय योजनाएं		1,561.95		1423.66	
-अन्य विकासीय व्यय		12.45		13.25	
-निपटाए गए आरबीटेशन मामले		42.11		7.44	
-व्यावसायिक सम्पदा		11.75	1,933.78	0.01	1,715.62
सम्पत्तियों का रख-रखाव			111.42		120.29
संस्थापना एवं प्रशासन	के		436.23		490.43
नजूल.II से ब्याज			284.36		251.42
मूल्यह्रास	डी		17.21		17.27
कुल			2,783.00		2,595.03
ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित व्यय			304.76		269.68
कुल व्यय			2,478.24		2,325.35
पूर्व अवधि मदों तथा असाधारण मदों से पहले व्यय पर आय की अधिकता			-373		109.72
असाधारण मदें					
आयकर व्यय					
पूर्व अवधि आय/(व्यय)-ई.डब्ल्यू.एस.					2,102.56
पूर्व अवधि आय/(व्यय)	एल		-6.58		3.52
असाधरण मदों के बाद वर्ष के लिए व्यय पर आय की अधिकता			-379.58		-1,989.32

हस्ता/-
लेखाधिकारी
(लेखा मुख्य)/परामर्शदाता

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा)

हस्ता/-
निदेशक(वित्त)
परामर्शदाता

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी

fnYyh fodkl çkf/kdj.k
lkekU; fodkl [kkrk
31 ekp] 2022 d¨ lekIr o"kZ grq çkfIr;kW ,oa Hkqxrku [kkrk

(राशि करोड़ रुपये में)

प्राप्तियां					भुगतान				
लेखा शीर्ष	2021-22		2020-21		लेखा शीर्ष	2021-22		2020-21	
प्रारंभिक शेष									
नकद शेष	0.06		0.27		प्रशासन एवं संस्थापना	278.99		290.23	
बचत खाते में शेष	1,526.96		2,092.41		घटाएः कार्य से प्राप्त राशि				
ट्रांजिट में प्रेषित धनराशि	0.13		4.88		कुल	278.99		290.23	
	1,527.15		2,097.56						
घटाएं: निम्नलिखित खातों से संबंधित लेनदेन का शेष					घटाएः निम्नलिखित खातों से प्राप्त लागत भाग				
नजूल-I	2.34		4.67		नजूल खाता-I	1.73		2.20	
नजूल-II	**705.58**		**1,591.71**		नजूल खाता-II	**157.65**		**123.47**	
विशेष जमा राशि नजूल- II			-		दिल्ली मुख्य योजना	0.57		0.66	
	819.23		501.18		अंतरित किया गया कुल लागत भाग				
जोडः सावधि जमा-सामान्य निवेश		819.23		501.18			119.04		163.90
कार्य एवं विकास योजनाओं से राजस्व					कार्य एवं विकास योजनाओं पर व्यय		119.06		130.66
भूमि के निपटान से प्राशुल्क	2.59		4.79						
मकानों एवं दुकानों के निपटान से प्राशुल्क	853.29	855.88	1,150.70	1,155.48	मकानों एवं दुकानों के निर्माण पर व्यय		1,875.20		1,291.43
लाइसेंस शुल्क		44.34		16.93	पंजीकरण राशि पर ब्याज एवं धन वापसी				
भू भाटक		1.91		4.03	भंडार				
सामान्य निवेश पर ब्याज				0.29	विविध व्यय		1.69		0.01
अन्य राजस्व		115.85		155.74	स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद		3.44		17.72
सामान्य निवेश					सामान्य निवेश				
निवेश का नकदीकरण					किया गया निवेश				
शहरी विकास निधि					शहरी विकास निधि				
निवेश का नकदीकरण	3,794.60		4,107.43		निवेश	3,615.06		4,435.46	
परिवर्तन प्रभार	53.22		90.46		परिवर्तन प्रभार वापसी	1.96		0.43	
निवेश पर ब्याज	**369.00**		**354.12**						
यूडीएफ में प्राप्त	**80.98**				यूडीएफ से पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान	**85.54**		**3.30**	
यूडीएफ में नजूल-II से प्राप्त राशि	**3,371.84**		**452.99**		यूडीएफ से नजूल II को भुगतान	**3,369.55**		**344.21**	
परिवर्तन प्रभारों पर ब्याज			**1.05**		यूडीएफ से कंटीजेंसी को भुगतान	**5.98**			
यू.डी.एफ. पर बचत ब्याज	6.13	7,675.77	2.66	5,008.71	अन्य वभिागों को अनुदान एवं ऋण	**641.36**	**7,719.46**	**173.87**	**4,957.27**
नई पेंशन योजना					**नई पेंशन योजना**				
एनपीएस के लिए प्राप्त कर्मचारी अंशदान		12.79		8.90	एनपीएस अंशदान हेतु		**25.99**		**19.50**

fnYyh fodkl çkf/kdj.k
lkekU; fodkl [kkrk
31 ekpZ] 2022 d¨ lekIr o"kZ gsrq çkfIr;k¡ ,oa Hkqxrku [kkrk

(राशि करोड़ रुपये में)

प्राप्तियां					भुगतान				
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी					व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी				
कर्मचारियों से अंशदान		0.04		0.04	भुगतान किया गया मुआवजा				
ईडब्ल्यूएस आवास रिजर्व					ईडब्ल्यूएस आवास रिजर्व				
निवेश का नकदीकरण	171.02		428.31		किया गया निवेश			**154.65**	
ईडब्ल्यूएस बचत ब्याज	1.34		0.29						
ईडब्ल्यूएस निवेश पर ब्याज	11.41		36.34						
ईडब्ल्यूएस में नजूल II से प्राप्त राशि	65.46		131.20		ईडब्ल्यूएस से नजूल II को भुगतान राशि	**61.41**		**127.99**	
ईडब्ल्यूएस में पेंशन से प्राप्त राशि		249.23	8.45	604.60	ईडब्ल्यूएस से पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान		**61.41**		**282.64**
हितकारी निधि					**हितकारी निधि**				
कर्मचारी हित निधि के लिए प्राप्त कर्मचारी अंशदान		0.93		0.89	संवितरण		**1.29**		**0.82**
कर्मचारी हित निधि					**कर्मचारी हित निधि**				
निवेश का नकदीकरण	0.30				निवेश		**0.32**		**0.30**
ब्याज प्राप्त	0.02	0.32			संवितरण				
विद्युत रख-रखाव फंड					विद्युत रख-रखाव फंड				
निवेश का नकदीकरण	50.00		62.76		निवेश किया	**58.21**		**78.46**	
ब्याज प्राप्त	7.74		8.93		ईएमएफ एस्क्रो अकाउण्ट को राशि अंतरण			**1.20**	
ईएमएफ में जीडीए से प्राप्त राशि			8.82		ईएमएफ से जीडीए को भुगतान राशि			**8.82**	
ईएमएफ में नजूल II से प्राप्त राशि	18.22		64.20		ईएमएफ से नजूल II को भुगतान राशि	**17.93**		**66.51**	
ईएमएफ में सीएमएफ से प्राप्त राशि	38.00	113.96		144.70	ईएमएफ में सीएमएफ को भुगतान राशि	**31.45**	**107.59**		**154.98**
सिविल कार्य रख-रखाव स्कीम					**सिविल कार्य रख-रखाव स्कीम**				
निवेश का नकदीकरण	421.55		537.46		निवेश किया	**475.70**		**587.06**	
ब्याज प्राप्त	54.06		44.91						
सीएमएफ में नजूल II से प्राप्त भुगतान राशि	450.21		179.06		सीएमएफ नजूल II को भुगतान राशि	**453.90**		**179.06**	
सीएमएफ में पेंशन से प्राप्त राशि			1.22		सीएमएफ से पेंशन फंड ट्रस्ट को भुगतान			**3.19**	
सीएमएफ में जीडीए से प्राप्त राशि			11.32		सीएमएफ में जीडीए को भुगतान राशि			**11.32**	
सीएमएफ से ईएमए से प्राप्त राशि	31.45				सीएमएफ से ईएमएफ को भुगतान राशि	**38.00**			

fnYyh fodkl çkf/kdj.k
lkekU; fodkl [kkrk
31 ekpZ] 2022 d¨ lekIr o"kZ gsrq çkfIr;k¡ ,oa Hkqxrku [kkrk

(राशि करोड़ रुपये में)

प्राप्तियां					भुगतान				
		957.27		773.97	ओटीएम की वापसी रख-रखाव फंड		**967.60**		**780.64**
विशेष विकास निधि					**विशेष विकास निधि**				
बचत निवेश-यू सी सैल- एसडीएफ	0.30		0.05		संविदा स्टाफ को पारिश्रामिक(यूसीसैल)	2.73		2.49	
एसडीएफ में नजूल-II से प्राप्त राशि	14.94		10.54		एसडीएफ से नजूल-II को भुगतान राशि	8.24		15.39	
परिवर्तन प्रभार अनधिकृत कॉलोनियां	21.93	37.17	16.28	26.87			10.97		17.87
दि.वि.प्रा. प्रदूषण जुर्माना खाता					**दि.वि.प्रा. प्रदूषण जुर्माना खाता**				
ब्याज	0.17		0.41						
निवेश का नकदीकरण	3.05	3.22	5.95	6.35	निवेश किया गया		3.22		6.35
सिरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरुद्धार					**सिरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरुद्धार**				
निवेश का नकदीकरण			1.22		निवेश किया गया				1.30
ब्याज	0.00	0.00	0.08	1.30					
अन्य विभागों से दिविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की लाभ योजनाएं	0.00		0.00		**अन्य विभागों से दिविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की लाभ योजनाएं**	0.00		0.00	
भविष्य निधि	0.43		0.35		भविष्य निधि	1.81		2.23	
स्टाफ के वेतन एलआई प्रीमियम की वूसली		0.43		0.35	उपदान निधि		1.81		2.24
आकस्मिक आरक्षित निधि					**आकस्मिक आरक्षित निधि**				
नविश का नकदीकरण	1,316.58		890.46		किया गया निवेश	1,429.22		971.49	
आकस्मिक निवेश पर ब्याज	139.68		92.02						
आकस्मिक बचत पर ब्याज	0.81		0.43						
आकस्मिक पेंशन से प्राप्त राशि	147.38		11.53		आकस्मिक पेंशन फंड ट्रस्ट को भुगतान राशि	153.15		5.77	
आकस्मिक से नजूल-II से प्राप्त राशि	1,355.88		17.25		आकस्मिक से नजल-II को भुगतान की गई राशि	1,398.45	2,980.82	25.26	1,002.52
आकस्मिक से यूडीएफ से प्राप्त राशि	5.98	2,966.31		1,011.68					-
बयाना राशि जमा/पंजीकरण राशि					**बयाना राशि जमा/पंजीकरण राशि**				-
हाउंसिंग स्कीम		222.06		349.14	हाउंसिंग स्कीम		375.77		21.38
सामूहकि बीमा योजना					**सामूहिक बीमा योजना**				
कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान		0.04		0.04	कर्मचारियों को भुगतान		0.10		0.07

fnYyh fodkl çkf/kdj.k
lkekU; fodkl [kkrk
31 ekp] 2022 d¨ lekIr o"kZ gsrq çkfIr;k ,oa Hkqxrku [kkrk

(राशि करोड़ रुपये में)

प्राप्तियां					भुगतान				
अग्रिमों की वसूली/ समायोजन		8.40		0.04	कर्मचारी अग्रिम		49.00		21.70
जमा एवं प्रतिधारण		107.51		177.69	जमा एवं प्रतिधारण		99.57		207.96
डिपॉजिट वर्क		3.05		0.18	डिपॉजिट वर्क		3.96		8.78
					संपत्ति कर		1.33		1.87
सांविधिक कटौती/संग्रहण कर, शुल्क एवं उपकर		197.41		152.17	सांविधिक कटौती/संग्रहण कर, शुल्क एवं उपकर		197.46		157.00
अंतर यूनिट खाते		3,660.91		3,101.07	अंतर यूनिट खाते		3,660.91		3,101.07
जीडीए में नजूल-II से प्राप्त राशि		1,820.98		706.99	जीडीए से नजूल-II को भुगतान राशि		535.74		338.75
जीडीए में पीआरएमबी से प्राप्त राशि		1.00			जीडीए से पीआरएमवी ट्रस्ट भुगतान राशि		35.00		50.00
जीडीए में नजूल-I से प्राप्त राशि		6.78		4.67	जीडीए से नजूल-I को भुगतान राशि		3.72		6.39
जीडीए में पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्त राशि					जीडीए से पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि		259.10		235.00
जीडीए में उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्त निधि					जीडीए से उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि		14.18		2.04
जीडीए में सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त राशि		51.29		113.70	जीडीए में सामान्य भविष्य निधि को भुगतान की गई राशि		103.17		204.29
जीडीए में छुट्टी नकदीकरण फंड से प्राप्त राशि		1.14		0.05	जीडीए से छुट्टी नकदीकरण फंड ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि		37.11		22.09
					ट्रस्ट अकाउण्ट को सामान्य निधि के बैंक शेष अंतरण				
					अंत शेष				
					नकद रोकड	0.01		0.06	
					बचत खातो में शेष	1,412.37		1,526.96	
					रेमिटेन्स इन ट्रान्जिट	4.45		0.13	
						1,416.82		**1,527.15**	
					घटाएँ: निम्नलिखित संबन्धित लेनदेन का शेष:			-	
					नजूल I	6.44		2.34	
					नजूल II	850.19		705.58	
					नजूल II में वशिष जमा				
					जोड़: सावधि जमा-सामान्य नविश		**560.19**		819.23
कुल		**19,935.23**		**14,027.75**	**कुल**		**19,935.23**		14,027.75

हस्ता/-
लेखाधिकारी
(लेखा मुख्य)/परामर्शदाता

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा)

हस्ता/-
निदेशक(वित्त)
परामर्शदाता

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची-ए

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण		31-मार्च-2022 को		31-मार्च-2021 को
आरक्षित निधि एवं अधिशेष				
राजस्व खाते में अधिशेष				
प्रारंभिक शेष	8061.14		10133.93	
सी.डब्ल्यू.जी. आरक्षित निधि से अंतरित				
जोडें: ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि से अंतरित राशि				
घटाएँ: आकस्मिक आरक्षित निधि को अंतरित आकस्मिक आरक्षित निधि पर ब्याज आय	-73.4		-83.46	
जोडें: वर्ष के दौरान व्यय पर आय की अधिकता	-379.58	**7608.16**	-1989.32	**8061.15**
विशिष्ट आरक्षित निधि **आकस्मिक आरक्षित निधि**				
प्रारंभिक शेष	1397.45		1316.28	
जोडे: राजस्व खाते में अधिशेष से अंतरित ब्याज आय	73.4		83.46	
घटाएं: पेंशन फंड ट्रस्ट से प्राप्त राशि	-5.77		5.76	
घटाएं : नजूल-II से प्राप्त राशि	-42.57		-8	
घटाएं : यूडीएफ को राशि देय	-5.98	1416.55		1397.5
आवास अग्नि जोखिम के लिए आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	3.9897582		3.99	
जोडे: वर्ष के दौरान वूसल किया गया आवास अग्नि जोखिम प्राशुल्क		3.99		3.99
कुल		**9028.71**		**9462.61**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची
अनुसूची-बी

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31-3-2022 d¨	31-3-2021 d¨
निर्धारित /अक्षय निधि		
1) शहरी विकास निधि		
प्रारंभिक शेष	5,331.05	5,008.74
जोडे: निधियों में जोड़ी गई राशि	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त परिवर्तन प्रभार	51.26	90.03
निवेश पर अर्जित ब्याज तथा बचत बैंक ब्याज	253.21	301.66
अन्य ब्याज	-	1.05
आकस्मिक राशि से प्राप्त राशि	5.98	-
घटाएं: निधि के उददेश्य के लिए उपयोग/व्यय	-	-
वर्ष के दौरान संवितरण (दिया गया अनुदान)	-641.36	-173.87
नजूल- II को किया गया भुगतान	2.29	108.78
उपदान-यूडीएफ से प्राप्त योग्य	-	-2.04
पेंशन फंड ट्रस्ट में भुगतान की गई राशि	-4.56	-3.30
अंत शेष (क्रेडिट)	**4,997.87**	**5,331.05**
2) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी फंड	-	-
प्रारंभिक शेष	0.76	0.72
जोडे: निधि में जोड़ी गई राशि	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	0.04	0.04
घटाएं: वर्ष के दौरान फंड संवितरण के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय	-	0.00
अंत शेष (क्रेडिट)	**0.80**	**0.76**
3) हितकारी निधि	-	-
प्रारंभिक शेष	0.70	0.99
जोडे: फंड में जोड़ी गई राशि	-	-
कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान	0.93	0.20
घटाएं: वर्ष के दौरान फंड संवितरण के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय	-1.29	-0.48
अंत शेष (क्रेडिट)	**0.34**	**0.70**
4) कर्मचारी हित निधि		
प्रारंभिक शेष	0.67	0.02
वर्ष के दौरान अंशदान	-	0.90
निवेश पर अर्जित ब्याज	0.02	0.01
घटाएं : वर्ष के दौरान निधि संवितरण के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय	-0.16	-0.27
अंत शेष (क्रेडिट)	**0.54**	**0.67**
5) सिविल कार्य रख-रखाव निधि-आवास योजना 2010 से आगे	-	-
प्रारंभिक शेष	684.00	630.53
जोड़ें : निधि में जोड़ी गई राशि	-	-
आबंटितियों से प्राप्त अंशदान	14.02	25.90
निवेश पर ब्याज	30.34	30.72
निवेश की खरीद पर छूट	-	-

नजूल II से प्राप्त राशि	-3.69	0.00
घटाएं : निधि के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय	-	-
ओ.टी.एम. से संग्रहित धन वापसी	-	-1.18
घटाएं :एस्क्रो अकाउंट में अंतरण निधि	-	-3.19
वर्ष के दौरान पेंशन निधि ट्रस्ट संवितरण से प्राप्य राशि	-	1.22
ईएफएम से प्राप्त राशि	6.55	-
वर्ष के दौरान संवितरण	-	-
अंत शेष (क्रेडिट)	**731.22**	**684.00**
6) विद्युत कार्य रखरखाव निधि-आवास योजना-2014 से आगे		
प्रारंभिक शेष		92.10
जोड़ें : निधि में जोड़ी गई राशि		-
आबंटितियों से प्राप्त अंशदान	3.90	9.27
निवेश पर ब्याज	4.18	3.93
घटाएं : नजूल II से प्राप्त करने योग्य राशि	0.29	-2.31
घटाएं : सीएमएफ से प्राप्त राशि	-6.55	-
घटाएं : निधि के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		-
घटाएं :एस्क्रो अकाउंट में अंतरण निधि	-	-1.20
वर्ष के दौरान संवितरण	-	-
अंत शेष (क्रेडिट)	**103.61**	**101.79**
7) यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि		
प्रारंभिक शेष		6.50
जोड़ें : निधि में जोड़ी गई राशि	-	-
ब्याज आय	0.34	0.36
घटाएं : निधि के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय	-	-
पूर्व अवधि व्यय		-
अंत शेष (क्रेडिट)	**7.20**	**6.86**
8) विशेष विकास निधि		
प्रारंभिक शेष		0.14
जोड़ें : निधि में जोड़ी गई राशि	21.93	16.28
जोड़े : बचत ब्याज		0.05
घटाएं : व्यय		-2.49
घटाएं : नजूल - II को किया गया भुगतान	6.70	-4.85
अंत शेष (क्रेडिट)	**35.34**	**9.13**
9) ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि		-
प्रारंभिक शेष	303.58	263.49
आरक्षित और अधिशेष से अंतरित राशि		-
घटाएं : उपयोग/वसूली योग्य	-	-
नजूल- II से देय राशि		3.21
नजूल- II से प्राप्य राशि		-
पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्य राशि		8.45
ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित आय एवं व्यय	-	-
आय		298.11
व्यय		-269.68
अंत शेष (क्रेडिट)	**323.78**	**303.58**
महायोग	**6,200.71**	**6,438.55**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची
अनुसूची-सी

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31-मार्च-2022 की स्थिति के अनुसार	31-मार्च-2021 की स्थिति के अनुसार
स्थिति के अनुसार		
क. चालू देयताएं		
विविध लेनदार		-
- व्यय के लिए	108.12	88.01
- भूमि के लिए	127.23	525.86
नजूल-II को देय	8914.56	7,308.29
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट को देय	234.13	151.61
उपदान ट्रस्ट को देय	18.07	25.51
पेंशन निधि ट्रस्ट को देय	1,520.92	1,250.18
ख. अन्य देयताएँ	-	-
उचंत खाता	13.19	12.07
अन्य देयताएँ	20.92	20.92
जमा एवं प्रतिधारण	462.46	609.01
बयाना जमा राशि/पंजीकरण राशि (आवासीय एवं व्यावसायिक)	24.97	21.49
दि.वि.प्रा. की विभिन्न आवासीय योजनाओं के आबंटितियों से अग्रिम	591.85	562.49
आबंटितियों से अग्रिम-एमओआर भूमि	0.62	0.62
शाखा/डिवीजन	-	-
ग. प्रावधान	-	-
जमा राशि पर उपार्जित ब्याज	10.81	9.74
घ. सांविधिक देयताएँ	-	-
अतिदेय	-	-
अन्य	82.65	60.00
कुल	**12130.49**	**10,645.81**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची
अनुसूची-डी

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	31.3.2021 को सकल लागत	परिवर्धन	बिक्री/ समायोजन	31.3.2022 को कुल जोड़	31.3.2021 तक संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	बिक्री	31.3.2022 तक संचित मूल्यह्रास	31.3.2022 को डब्ल्यू. डी.वी.	31.3.2021 को डब्ल्यू. डी.वी.
भूमि	24.72	-	-	24.72	-	-	-	-	24.72	24.72
कार्यालय भवन, स्टोर एवं गोदाम	48.88	-	-	48.88	38.57	1.03	-	39.60	9.28	10.31
किराये पर दी गई सम्पत्तियाँ	44.65	-	-	44.65	39.25	0.54	-	39.79	4.86	5.40
समाज सदन/ पिकनिक हट / पर्यटन परिसर	50.19	-	-	50.19	25.89	2.43	-	28.32	21.87	24.30
स्टाफ क्वार्टर		-	-	127.46	44.45	4.15	-	48.60	78.86	83.01
मोटर वाहन	6.70	0.01	1.08	5.64	5.07	0.23	0.15	5.45	1.26	1.63
ऑफिस फर्नीचर एवं फिटिंग	13.89	0.56	-	14.45	8.39	0.62	-	9.01	5.45	5.50
अन्य कार्यालय उपस्कर	5.22	-	-	5.22	4.02	0.18	-	4.20	1.02	1.20
विद्युत स्थापन एवं उपस्कर	14.89	0.46	-	15.34	8.61	1.00	-	9.61	5.74	6.28
संयंत्र एवं मशीनरी अन्य उपस्कर	0.40	-	-	0.40	0.39	0.00	-	0.39	0.01	0.02
प्रिटिंग प्रेस उपस्कर	1.42	-	-	1.42	1.25	0.03	-	1.28	0.14	0.17
कम्प्यूटर	50.22	2.41	-	52.62	38.39	7.01	-	45.40	7.22	11.82
योग	**388.64**	**3.44**	**1.08**	**391.00**	**214.29**	**17.21**	**0.15**	**231.65**	**160.44**	**174.35**
पूर्ववर्ती वर्ष योग										

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची
अनुसूची-ई

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण		31-मार्च-2022 को		31-मार्च-2021 को
निर्धारित/अक्षय निधियों की परिसम्पतियाँ				
सरकारी प्रतिभूतियाँ				
(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ				
सामान्य भविष्य निधि				
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ				
सिविल कार्य रख रखाव निधि	493.23		174.18	
शहरी विकास निधि			1714	
विद्युत रख रखाव निधि	71.88		63.52	
ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित आवास	33.51		85.58	
सामान्य भविष्य निधि		3962.51		2037.28
ऋण पत्र एवं बॉण्ड				
सामान्य भविष्य निधि				
म्युचुअल फण्ड				
सामान्य भविष्य निधि				
सावधिक जमा राशियों में				
शहरी विकास निधि	1337.78		3217.05	
सिविल कार्य रख रखाव निधि	125.97		408	
ध्वनि प्रदूषण जमा	0.57		0.41	
विद्युत कार्य रख रखाव निधि	9.95		12	
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	6.7		6.35	
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	1.36		1.3	
ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित आवास	-		120	
कर्मचारी हितकारी निधि	0.32		0.3	
सामान्य भविष्य निधि		**1482.65**		**3765.41**
बचत बैंक खातों में				
शहरी विकास निधि	2.38		111.14	
ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित आवास	50.24		87.08	
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	0.01		0.01	
सिविल कार्य रख रखाव निधि	26.53		10.96	
विद्युत कार्य रख रखाव निधि	16.46		0.82	

यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	0.28		0.27	
विशेष विकास निधि	28.23		9.2	
		124.13		**219.48**
निवेश पर उपार्जित ब्याज				
शहरी विकास निधि	67.31		141.05	
सिविल कार्य रखरखाव निधि	12.26		20.55	
विद्युत कार्य रखरखाव निधि	0.74		0.47	
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	0.01		0.01	
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	0.25		0.25	
ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित आवास	0.17		4.51	
		80.74		166.85
विशेष जमा				
ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित आवास				
शहरी विकास निधि				
अन्य परिसंपत्तियाँ - ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित आवास				
1. वस्तु सूचियाँ				
चालू कार्य - निर्माणाधीन आवास	1753.58		1443.65	
तैयार स्टॉक- निर्मित आवास	1000.09		1000.42	
2. ठेकेदार को अग्रिम	25.66	2779.34	20.7	2464.77
कुल		**8429.41**		**8653.71**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची
अनुसूची-एफ

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31-मार्च-2022 को		31-मार्च-2021 को	
क. <u>वर्तमान परिसम्पतियाँ</u>				
1. माल सूची				
भण्डार	5.16		5.16	
भूमि- अविकसित भूमि	19.07		19.07	
प्रगतिधीन कार्य				
भूमि - विकासाधीन	1.32		1.31	
आवास - निर्माणाधीन	9323.95		7731.68	
व्यावसायिक संपदा- निर्माणाधीन	14.86		14.65	
तैयार स्टॉक -				
विकसित भूमि	107.99		107.99	
आवास - निर्मित (तैयार स्टॉक आवास)	4854.17		5286.02	
व्यावसायिक संपदा - निर्मित	531.28		505.36	
राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैट (आबंटितियों से फर्नीचर आदि के संबंध में कुल वसूलियां)	196.28	**15054.08**	312.59	**13983.83**
2. विविध देनदार		**479.59**		**497.17**
3. नकद और बैंक शेष -				
उपलब्ध नकद राशि			0.06	
बैंक में शेष राशि-अनुसूचित बैंकों में				
चालू खातों में				
बचत बैंक खातों में	1273.73		1278.46	
ट्रांजिट में प्रेषित राशि	4.45		0.13	
घटायें: निम्नलिखित लेनदेन से संबंधित शेष राशि				
नजूल- I	-6.44		-2.34	
नजूल- II	-850.19		-705.58	
विशेष जमा नजूल-II	0.00		-	
जमा खाते में-सामान्य निवेश	0.17	**421.72**	0.17	**570.9**
4. बीमा कम्पनियों में निवेश	0.3	**0.3**	0.3	**0.3**
5. आरक्षित निधि निवेश एवं बैंक शेष				
आकस्मिक आरक्षित निधि				
बैंक शेष		**14.5**		**29.01**

बैंक में सावधि जमा	256.59		821.79	
सरकारी प्रतिभूतियां	1134.63	**1391.22**	495.74	**1317.52**
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ				
1. ऋण				
(क) स्टाफ	5.31		4.89	
(ख) भावी किराया खरीद किश्तें	93.04		95.87	
घटायें :भविष्य का ब्याज	-39.54		-40.91	
	53.5	**58.8**	54.96	**59.85**
2. नकद में या किसी वस्तु के रूप में या प्राप्त/समायोजित किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली जाने योग्य अग्रिम राशि				
ठेकेदारों को अग्रिम राशि	174.62		162.23	
जमा कार्य	144.54		143.63	
वसूली योग्य इनपुट वेट	0.1		0.1	
वापसी योग्य वैट	-		-	
प्राप्त होने योग्य आयकर वापसी	58.03		39.08	
छुट्टी नकदीकरण फंड ट्रस्ट से वसूली योग्य	57.75		44.41	
उपदान निधि ट्रस्ट से वसूली योग्य	-		-	
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट से वसूली योग्य	159.57		107.69	
आयकर प्राधिकारी के पास जमा	15.18		11.21	
नजूल- I से वसूली योग्य	409.17		400.42	
सेवा कर प्राधिकरण	33.86		33.86	
निगम कर प्राधिकरण से अग्रिम	195.86		195.86	
अन्य विविध अग्रिम/वसूली योग्य राशि	47.97	**1296.65**	38.22	**1176.71**
3. सामान्य निवेश पर उपार्जित ब्याज		**-**		**-**
4. आरक्षित निधि निवेश पर उपार्जित ब्याज		**23.47**		**50.08**
5. बचत बैंक ब्याज पर उपार्जित ब्याज		**3.04**		**3.01**
6. ठेकेदार अग्रिम पर उपार्जित ब्याज		**16.84**		**20.62**
कुल		**18760.17**		**17709.03**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31-मार्च-2022 को		31-मार्च-2021 को	
अनुसूची- जी				
बिक्री/सेवाओं से आय				
भूमि की बिक्री से प्राशुल्क	-	2.59	-	4.79
आवासों की बिक्री	-	-	-	-
ई.डब्ल्यू.एस.	3.96	-	26.37	-
अन्य	748.14	752.10	1,119.38	1,145.75
दुकानों की बिक्री	-	2.81	-	7.28
लाइसेंस शुल्क	-	44.29	-	16.87
किराया खरीद किश्तों पर ब्याज	-	1.61	-	1.73
कुल		**803.40**		**1176.42**
अनुसूची- एच				
निवेश एवं बचत बैंक खातों से आय				
सामान्य निवेश से आय	-	-	-	0.29
बचत बैंक ब्याज-जीडीए	-	6.47	-	10.21
ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि	-	7.36	-	26.86
आकस्मिक आरक्षित निधि	-	73.40	-	83.46
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	-	0.07	-	0.08
सिविल कार्य रखरखाव निधि	30.34	-	30.72	-
शहरी विकास निधि	253.21	-	301.66	-
सामान्य भविष्य निधि	-	-	-	-
विद्युत कार्य रख-रखाव निधि	4.18	-	3.93	-
यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि	0.34	-	0.36	-
कर्मचारी हित निधि	0.02	-	0.01	-
कुल	288.10	-	336.68	-
घटाएँ : निर्धारित निधि में अंतरण	-288.10	-	-336.68	-
कुल	**-**	**87.30**	**-**	**120.89**
अनूसुची - आई				
भू-भाटक	-	2.17	-	4.29
सेवा प्रभार	-	1.28	-	1.05
भवन नक्शा शुल्क	-	-	-	0.00
कमी और बहाली शुल्क	-	0.21	-	-
अन्य आवास प्राप्तियाँ	-	28.42	-	18.37
नजूल - I से ब्याज आय	-	10.52	-	10.52
अन्य राजस्व	-	113.08	-	188.48
कुल		**155.67**		**222.70**
अनुसूची - जे.1				
स्टॉक एवं चालू निर्माण कार्यों में वृद्धि ई.डब्ल्यू.एस. अंतशेष - स्टॉक एवं चालू निर्माण कार्य	-	-	-	-
प्रगतिधीन निर्माण कार्य-	-	-	-	-
आवास-निर्माणाधीन	-	-	-	-
तैयार स्टॉक -	1753.58		1443.65	

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची

(राशि करोड़ रुपये में)

आवास-निर्मित	1,000.10	2,753.68	1,000.42	2,444.07
आरंभिक - स्टॉक एवं निर्माणाधीन कार्य				
प्रगतिधीन निर्माण कार्य -	-	-	-	-
आवास-निर्माणाधीन	1,443.65	-	-	-
तैयार स्टॉक	-	-	-	-
आवास-निर्मित	1,000.42	2,444.07	947.21	2,199.19
स्टॉक एवं निर्माणाधीन कार्य में वृद्धि/(कमी)	**-**	**309.61**	**-**	**244.88**
अनुसूची - जे-2				
स्टॉक एवं निर्माणाधीन कार्यों में वृद्धि	-	-	-	-
अंतशेष - स्टॉक एवं निर्माणाधीन कार्य				
भण्डार	5.16		5.16	-
स्टॉक इन ट्रेड	-		-	-
भूमि-अविकसित भूमि	19.07		19.07	-
कार्य प्रगति पर	-		-	-
भूमि-विकासाधीन	1.32		1.32	-
आवास-निर्माणाधीन	9,323.95		7,731.68	-
व्यावसायिक संपदा- निर्माणाधीन	14.86		14.65	-
तैयार स्टॉक	-		-	
विकसित भूमि	107.99	-	107.99	-
आवास-निर्मित	4,854.17	-	5,286.02	-
व्यावसायिक संपदा-निर्मित	531.29	-	505.36	
राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैट	196.22	15,054.02	312.59	13,983.83
आरंभिक - स्टॉक एवं निर्माणाधीन कार्य				
भण्डार	5.16	-	5.16	-
स्टॉक इन ट्रेड	-	-	-	-
भूमि-अविकसित भूमि	19.07	-	19.07	-
प्रगतिधीन निर्माण कार्य-		-	-	-
भूमि-विकासाधीन	1.32	-	1.32	-
आवास- निर्माणाधीन	7,731.68	-	6,905.47	-
व्यावसायिक संपदा-निर्माणाधीन	14.65	-	14.64	-
तैयार स्टॉक			-	
विकसित भूमि	107.99	-	107.99	-
आवास - निर्मित	5,286.02	-	4,988.99	-
व्यावसायिक संपदा- निर्मित	505.36	-	505.36	-
राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैट	312.59	13983.83	467.55	13015.54
स्टॉक एवं निर्माणाधीन कार्य की प्रगति में वृद्धि/ (कमी)		**1,070.18**	-	**968.29**
अनुसूची- के				
संस्थापना	-	-	-	-
वेतन एवं भत्ते	358.45		367.40	

यात्रा एवं वाहन भत्ते	1.42		1.16	
चिकित्सा व्यय	14.63		16.99	
अनुग्रह राशि	2.59		0.98	
उपदान निधि में नियोक्ता का अंशदान	6.74		-6.30	
पेंशन निधि में नियोक्ता का अंशदान	529.84		508.71	
छुट्टी नकदीकरण संवितरण	-		-	
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि में अंशदान	116.52		104.74	
छुट्टी नकदीकरण निधि में अंशदान	22.64		-3.50	
हितकारी निधि में अंशदान	-		-0.06	
नई पेंशन योजना में अंशदान	13.10		9.52	
कर्मचारी हितकारी निधि	1.43		2.15	
प्रशासन	-		-	
शुल्क एवं मानदेय	12.67		16.37	
मनोरंजन	0.52		0.43	
विधि प्रभार	3.43		6.73	
वाहनों का परिचालन एवं रखरखाव	4.71		4.45	
मरम्मत एवं रखरखाव-अन्य	9.23		7.08	
मुद्रण, लेखन सामग्री एवं विज्ञापन	10.86		10.43	
दरें एवं कर	6.20		3.78	
टेलीफोन	1.38		2.16	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि	-		-	
पंजीकरण धन पर ब्याज	1.07		2.12	
लेखा परीक्षा शुल्क	0.20		0.26	
अन्य विविध व्यय	3.93	1,121.56	3.94	1,059.53
घटाएं : निर्माण कार्य एवं अन्य खातों से वसूली	-		-	
कार्य	-145.94		-129.81	
दिल्ली मुख्य योजना	-0.57		-0.66	
नजूल- I	-3.03		-3.98	
नजूल- II	-535.79	-685.33	-434.65	-569.10
कुल		**436.23**		**490.43**
अनुसूची-एल				
पूर्व अवधि एवं असाधारण मदें				
क) पूर्व अवधि मदें :				
पूर्व अवधि आय				
1) आवास- निर्मित				
2) निर्माणाधीन कार्य- आवास एवं				
3) आवासों की बिक्री			-26.12	
4) नजूल- I से प्राप्त ब्याज				
5) अन्य	-6.58	-6.58	30.06	3.94
घटाएँ : पूर्व अवधि व्यय				
1) आवास- निर्मिति ई.डब्ल्यू.एस.				
2) नजूल II को ब्याज				
3) अन्य			-0.42	-0.42
कुल	-	**-6.58**		**3.52**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची
अनुसूची-एम

(राशि करोड़ रुपये में)

विभाग	नकद	चैक जारी किया गया किन्तु बैंक द्वारा 31.03.2022 तक डेबिट नहीं किया गया - कैश नहीं किए गए चैक	चैक प्राप्त हुए और बैंक द्वारा 31.03.2022 तक हिसाब में रख दिए गए परंतु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किए गए।	बैंक द्वारा डेबिट कर दिया गया किन्तु 31.03.2022 तक कैश बुक में नहीं रखा गया।	बैंक द्वारा क्रेडिट कर दिया गया किन्तु 31.03.2022 तक कैश बुक में नहीं रखा गया।	कैश बुक के अनुसार 31.03.2022 को शेष राशि	31.03.2022 को बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि
केन्द्रीय लेखा इकाई पूर्वी जोन	-	4.06	0.01	0.03	0.03	20.25	24.30
केन्द्रीय लेखा इकाई द्वारका	-	6.92	0.02	0.19	0.13	47.76	54.60
केन्द्रीय लेखा इकाई रोहिणी	0.01	8.43	1.93	0.77	2.23	43.38	51.35
केन्द्रीय लेखा इकाई उत्तरी जोन	0.00	7.62	0.22	1.26	0.82	26.13	33.09
केन्द्रीय लेखा इकाई दक्षिणी जोन	-	11.32	0.20	0.19	0.11	11.49	22.52
केन्द्रीय लेखा इकाई राष्ट्रमण्डल खेल	-	0.23	-	-	0.00	2.48	2.72
लेखाधिकारी खेल	0.00	8.50	0.27	0.00	1.52	12.00	21.76
पी.ए.ओ. इंजी.	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	4.36	4.33
केन्द्रीय लेखा इकाई एम.पी.आर.	-	-	-	-	-	0.00	0.00
यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी (यूटीपैक)	-	-	-	-	0.01	0.45	0.45
लेखाधिकारी (चिकित्सा)	0.00	0.03	-	0.00	0.00	1.47	1.50
रोकड़ (आवास)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	196.11	196.08
कर्मचारी हितकारी निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27
रोकड़ (मुख्य)	0.00	3.05	24.88	24.89	83.93	891.52	928.72
सी पी एम- II	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	11.02	21.25
परियोजना	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	5.05	15.74
निर्धारित निधि	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य भविष्य निधि	-	1.26	0.14	1.40	2.43	168.66	170.82
शहरी विकास निधि	-	0.18	0.00	0.61	0.01	2.38	1.96
आकस्मिकता निधि	-	-	-	0.00	-	14.50	14.50
ई.डब्ल्यू.एस. निधि	-	-	-	0.00	-	50.24	50.24
उपदान	-	6.31	-	0.01	-	16.18	22.49
पेंशन	-	5.83	-	0.02	-	151.77	157.58
पी.आर.एम.एस.	-	0.52	-	0.01	0.02	112.71	113.23
यमुना प्रदूषण जुर्माना खाता	-	-	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28
सीरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरूद्धार	-	-	-	-	-	0.01	0.01
अवकाश नकदीकरण निधि	-	0.57	-	0.00	0.01	39.32	39.90
सिविल रखरखाव निधि	-	-	-	0.00	-	26.53	26.53
विद्युत रखरखाव निधि	-	-	-	0.00	-	16.46	16.46
विशेष विकास निधि	-	0.03	0.06	0.00	0.06	28.23	28.25
कुल	**0.01**	**85.80**	**27.74**	**29.43**	**91.32**	**1,901.01**	**2,020.95**
ट्रांजिट में प्रेषित धन	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.35**	-

कॉलम 1-नकद कैश	0.01
कॉलम 7- कैश बुक के अनुसार बैंक शेष	1,901.01
कॉलम 7- ट्रांजिट में प्रेषित धन	6.35
कुल	**1,907.36**
घटाएं : निम्नलिखित के लेन-देन का शेष	-
नज़ूल I	6.44
नज़ूल II	850.19
पेंशन	151.77
उपदान	16.18
छुटटी नकदीकरण	39.32
पीआरएमबी	112.71
जीपीएफ	170.56
अंतः शेष	**560.19**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वार्षिक लेखा 2021-22
अनुसूची- एन
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1) <u>प्रस्तुतिकरण का आधार</u>

प्राधिकरण के खाते तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक शीर्ष का पृथक लेखांकन महत्व होता है। कानूनों, विनियमों अथवा अन्य प्रतिबंधों के अनुसार विशिष्ट कार्यकलापों को चलाने के लिए प्रत्येक लेखा शीर्ष उसके तहत आबंटित सरकारी संसाधनों को दर्शाते हैं।

तीन मुख्य शीर्षों- नजूल-I, नजूल-II और सामान्य विकास खाते के अंतर्गत खातों को तैयार किया जाता है। नजूल-I पुरानी नजूल सम्पदाओं के लेन-देन से संबंधित है, जो नजूल करार, 1937 के अंतर्गत दिल्ली सुधार न्यास को सौंपा गया था, जिसे दिल्ली सुधार न्यास के उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ले लिया। नजूल-II बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास और निपटान कार्यकलापों से संबंधित है। सामान्य विकास खाता, प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के खातों से किए जाने वाले सभी विकास, निर्माण और अन्य कार्यकलापों और प्राधिकरण को सौंपे गए अन्य कार्यकलापों से संबंधित है।

2) <u>खाते तैयार करने का आधार</u>

वर्ष के दौरान सभी लेन-देन, प्राप्ति और भुगतान के आधार पर दर्ज (रिकार्ड) किए जाते हैं। प्राप्ति योग्य खातों, देय, स्थायी परिसम्पत्तियों, मूल्य-ह्रास आदि के लिए समुचित प्रविष्टियाँ शामिल करके, वर्ष के अंत में खातों को आय एवं व्यय के आधार पर बदला जाता है।

3) <u>वित्तीय विवरण का प्रारूप</u>

सामान्य विकास खाते का वित्तीय विवरण, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए निर्धारित सामान्य लेखा प्रारूप में तैयार किया जाता है। नजूल-I और नजूल-II का वित्तीय विवरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखा) नियम, 1982 में निर्धारित लेखा-प्रारूप में तैयार किया जाता है, क्योंकि वह सरकारी खाते के लेन-देन को दर्शाता है।

4) <u>स्थायी परिसंपत्तियाँ</u>

क) स्थायी लागत में से मूल्यह्रास घटा कर दर्शायी जाती हैं। स्वःनिर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में प्रशासनिक एवं स्थापना प्रभारों का उपयुक्त भाग शामिल होता है।

ख) स्थायी परिसंपत्तियों में कुछ ऐसे भवन भी शामिल हैं, जो प्राधिकरण की भूमि पर निर्मित नहीं है, परन्तु इन भवनों का प्रयोग प्राधिकरण के कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है।

ग) कार्यालय भवन, स्टाफ क्वार्टरों, स्टोर आदि के लिए प्रयुक्त भूमि का मूल्यांकन ऐसे हस्तांतरण की तारीख को भूमि की निपटान दरों के आधार पर किया जाता है।

5) <u>मूल्यह्रास</u>

मूल्यह्रास, आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर दिया जाता है और यदि किसी परिसंपत्ति का उपयोग, प्राधिकरण के कार्यकलापों हेतु वित्त वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम अवधि के लिए किया जाता है, तब इस प्रकार की परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास से संबंधित कटौती, संबंधित परिसंपत्ति के लिए निर्धारित प्रतिशतता पर परिकलित राशि के पचास प्रतिशत तक सीमित रखी जाएगी।

6) <u>माल सूचीः</u>

माल सूची का मूल्य निर्धारण कम लागत अथवा निवल वसूली योग्य कीमत पर किया जाता है।

(i) विभिन्न प्रकार की माल-सूची के संबंध में लागत निम्नानुसार परिकलित की जाती हैः-

क) खाली भूमिः अधिग्रहण/क्रय लागत पर जिसमें भूमि के अधिग्रहण तथा कब्जा लेने से संबंधित आकस्मिक व्यय और मुआवजा शामिल हैं।

ख) निर्माणाधीन- कार्यः प्रत्यक्ष लागत और ऊपरी व्यय के समुचित भाग पर।

ग) तैयार स्टॉकः प्रत्यक्ष लागत और ऊपरी व्ययों के समुचित भाग पर आवासीय स्टॉक सहित निर्मित इकाइयां अधिग्रहण की लागत अथवा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक व्यय पर बाह्य स्रोतों से अधिग्रहीत/खरीदी गई निर्मित इकाइयां बिक्री के लिए विकसित भूमि सहित अन्य स्टॉक के मामले में, अधिग्रहण और विकास की लागत और उस पर आकस्मिक लागत। माल सूची की लागत विशिष्ट पहचान पद्धति द्वारा निर्धारित की जाती है।

(ii) निवल वसूली योग्य मूल्य सामान्यतः वह अनुमानित विक्रय मूल्य है, जिसमें से कार्य समापन की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को कम किया जाता है।

7) <u>राजस्व निर्धारण</u>

राजस्व का निर्धारण संग्रहण (एक्रुअल) आधार पर किया जाता है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें वसूली की अनिश्चितता और राजस्व की मात्रा के कारण अन्यथा उल्लिखित हो।

क) भूमि, बनी हुई/निर्मित इकाइयों जैसे आवासों, कार्यालयों, दुकानों आदि के निपटान से प्राप्त प्रीमियम और बिक्री मूल्य का निर्धारण कब्जा-पत्र जारी करने के लिए पूर्ण संग्रहण (एक्रुअल) पद्धति का प्रयोग करके की जाती है।

ख) किराया खरीद किश्तों में ब्याज की राशि का निर्धारण बकाया मूल भाग के अनुपात में राजस्व के रूप में किया जाता है।

ग) किराये से प्राप्त आय का निर्धारण उस अवधि, जिससे यह आय संबंधित है, के संदर्भ में संग्रहण (एक्रुअल) आधार पर किया जाता है।

घ) भू-भाटक और सेवा प्रभारों की गणना नकद आधार पर आय पर की जाती है। भू-भाटक दिल्ली प्रशासन को देय निवल भाग पर निर्धारित किया जाता है।

ङ) जुर्माना प्रभार, संघटन शुल्क, क्षति और देरी से प्राप्त भुगतान पर ब्याज का निर्धारण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

च) निवेश पर ब्याज का निर्धारण संग्रहण आधार पर किया जाता है।

छ) आयकर वापसी पर ब्याज का निर्धारण प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

8. <u>भण्डारः</u>

निर्माण कार्य के लिए उपयोग की गयी भण्डार सामग्री को पूर्व-निर्धारित निर्गमन-दरों पर संबंधित निर्माण-कार्यों से प्रभारित किया जाता है। जारी दर और क्रय मूल्य के अन्तर को विविध व्यय/आय में समायोजित किया जाता है।

9. <u>आबंटितियों को ब्याज/मुआवजे का भुगतान</u>

क) विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त पंजीकरण राशि पर ब्याज उपार्जित आधार पर दिया जाता है।

ख) स्व-वित्त योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को फ्लैटों के पूरा होने एवं आबंटन में देरी के लिए मुआवजे को भुगतान/समायोजन में दर्ज किया जाता है।

10. <u>कमी प्रभार</u>

नगर निगम प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों अथवा निगम को भुगतान किए जाने वाले कमी प्रभार को स्वीकार किए गए प्रभारों के आधार पर परिकलित किया जाता है।

11. <u>नजूल खातों से की गई वसूलियाँ/भुगतान</u>

क. <u>संस्थापना एवं सामान्य प्रशासनिक लागत की वसूली</u>

संस्थापना एवं सामान्य प्रशासनिक लागतों को सामान्य विकास खाते में रखा जाता है और नजूल-I एवं नजूल-II खातों से संबंधित व्ययों का समुचित भाग नजूल खातों के अंतर्गत चल रही योजनाओं/परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों पर किए जाने वाले व्यय/परिव्यय के अनुपात में आबंटित और वसूल किया जाता है।

ख. <u>नजूल-II भूमि संबंधी योजनाओं हेतु भूमि प्रीमियम (लैंड प्रीमिया)</u>

सामान्य विकास खाते के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए प्रयुक्त नजूल-II भूमि के संबंध में भूमि प्रीमियम को व्यय के रूप में परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने की तिथि को लागू नजूल नियमों के अंतर्गत पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) पर भूमि लागत के लिए आस्थगित देयता खाते में क्रेडिट करके किया जाता है। यह आस्थगित देयता, वर्ष के अंत में लागू प्रचलित पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) के आधार पर परियोजना के पूरा होने तक अद्यतन की जा रही है। आस्थगित देयता खाते को परियोजना के कार्य समापन पर नजूल नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित उस समय के पूर्व निर्धारित दरों पर नजूल-II खाते में अंतरित किया जा रहा है।

ग. <u>नजूल सम्पत्तियों के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क/ सेवा प्रभार</u>

नजूल सम्पत्तियों जैसे स्टाफ क्वार्टर आदि के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क/सेवा प्रभार को लागू नियमों के अनुसार ऐसी सरकारी अधिसूचित दरों पर नजूल खाते में क्रेडिट करके दर्ज किया जाता है।

12. <u>क्षतिपूर्ति/माध्यस्थम अवार्ड</u>

अधिग्रहीत भूमि के संबंध में दी गई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान और माध्यस्थम अवार्ड को भुगतान-आधार पर दर्ज किया जाता है।

13. <u>विनिर्दिष्ट देयताओं/निधियों के लिए वसूलियाँ</u>

विनिर्दिष्ट देयताओं/निधियों जैसे-शेयर राशि, अग्नि जोखिम बीमा इत्यादि के अंतर्गत वसूलियों को उस उद्देश्य के लिए बनाए गए पृथक देयता/आरक्षित खाते में अलग से जमा किया जाता है और उसके अंतर्गत किए गए व्यय और भुगतान को देयता/आरक्षित खाते में नामे (डेबिट) करके रिकार्ड किया जाता है।

14. <u>कर्मचारी योजनाएँ और सेवा-निवृत्ति लाभ</u>

क. सामान्य भविष्य निधि योजना के संबंध में कर्मचारियों के अंशदान को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार उस अंशदान को अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। संचित अंशदान, भुगतान, अग्रिम और निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज को निधि शेष में समायोजित किया जाता है।

ख. ग्रेच्युटी और पेंशन के रुप में अंशदान की गयी राशि का वर्ष के अंत में बीमांकक (एक्चुरियल) मूल्यांकन आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान को पूरा करने के लिए की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट, दिल्ली विकास प्राधिकरण ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट, दिल्ली विकास प्राधिकरण छुट्टी नकदीकरण फंड ट्रस्ट और दिल्ली विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा

लाभ फंड ट्रस्ट के पृथक वित्तीय विवरण तैयार कर लिए गए हैं। अनुमोदित प्रतिभूतियों में संबंधित ट्रस्ट फंड से निवेश किया जाता है। पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का भुगतान तथा फंड के निवेशों पर अर्जित ब्याज का समायोजन संबंधित ट्रस्ट फंड खातों (अकाउंट्स) में किया जाता है।

15. <u>निर्धारित निधि</u>

प्राधिकरण को सौंपी गयी निधि अथवा अनुदान या सहायता के रूप में प्राप्त राशि अथवा प्राधिकरण द्वारा रखी गयी राशियों का विशिष्ट अथवा निर्धारित उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और पृथक शीर्षों में उनका लेखा-जोखा रखा जाता है तथा इस राशि के व्यय/उपयोग को उक्त खाते में समायोजित किया जाता है। निर्धारित निधियों से संबंधित निवेश अंकित मुल्य पर किए जाते हैं। दि.वि.प्रा. द्वारा सामान्य विकास खाते के रूप में प्रबंधित विभिन्न निधियां निम्नानुसार हैः-

क. <u>शहरी विकास निधिः</u>

प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित शहरी विकास फंड का अभिरक्षक है और यह फंड प्राधिकरण से संबंधित नहीं होता तथा फंड से किसी भी प्रकार के ऋण/अनुदान शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वितरित किए जाते हैं। सम्पत्तियों को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में बदलने पर वसूल किए गए प्रभारों को इस खाते में जमा (क्रेडिट) किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार, विकास परियोजनाओं हेतु इस फंड से दिए गए ऋणों और अनुदानों को निधि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि लेखा (फंड एकाउन्ट) से दिए गए ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज का निर्धारण किया जाता है और प्राप्ति आधार पर फंड एकाउन्ट में जमा किया जाता है।

ख. <u>व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी निधिः</u>

दुर्घटना मृत्यु के मामले में मुआवजे के भुगतान के लिए कर्मचारियों से वसूली गयी राशि को इस खाते में रखा जाता है।

ग. <u>सामान्य भविष्य निधिः</u>

फंड के लिए भविष्य निधि अंशदान को इस निधि खाते में रखा जाता है।

घ. <u>हितकारी निधिः</u>

सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों से वसूल की गयी राशि को इस खाते में रखा जाता है।

ङ. <u>सिविल रख-रखाव कार्य निधि- आवासीय योजना, 2010 से आगे की योजनाएँ</u>

इसमें कॉलोनियों के भविष्य में रख-रखाव के लिए आवासीय योजना, 2010 से आगे की योजनाओं के आबंटितियों से वनटाइम (एकबारगी) रख-रखाव प्रभारों की वसूली शामिल है।

च. <u>विद्युत कार्य रख-रखाव निधिः आवासीय योजना-2014 से आगे की योजनाएं:</u>

इसमें आवासीय योजना-2014 से आगे की योजनाओं के आबंटितियों से भविष्य में कॉलोनियों में होने वाले विद्युत रख-रखाव के लिए वसूले गए वन टाइम (एक बारगी) विद्युत कार्य रख-रखाव प्रभार शामिल हैं।

छ. <u>यमुना प्रदूषण जुर्माना निधिः</u>

इसमें यमुना नदी में अथवा इसके किनारे पर कूड़ा डालने के लिए जुर्माने और मुआवजे द्वारा जमा की गई राशि शामिल है जिसका उपयोग माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में भविष्य में यमुना नदी की सफाई हेतु परियोजनाओं के निष्पादन में किया जाता है।

ज. <u>ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि</u>

इस निधि में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(2) के प्रावधानों के अनुसार रखे गए अधिशेष को रखा जाता है जिसका उपयोग आर्थिक रुप से कमजोर आय वर्ग के लिए आवासों के निर्माण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।

16. <u>विशेष आरक्षित निधियाँ</u>

क. <u>आवास अग्नि जोखिम आरक्षित निधि</u>

इस निधि में किराया-खरीद आधार वाली सम्पत्तियों के मामले में सम्पत्ति को होने वाली किसी हानि अथवा क्षति को पूरा करने के लिए आबंटितियों से वसूल किया गया विशेष प्रभार रखा जाता है।

ख. <u>आकस्मिकता आरक्षित निधि</u>

इस निधि में, भावी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए राशि रखी जाती है।

17. <u>निवेश एवं ब्याज आधारित आय</u>

निवेश को लागत पर अथवा एनआरवी पर, जो भी कम हो, पर आंका जाता है। ब्याज आधारित आय को उपार्जित आधार पर माना जाता है।

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी	**उप मुख्य लेखाधिकारी**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**
(लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**(लेखा)**	**परामर्शदाता**	

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वार्षिक खाता 2021-22
अनुसूची 'ओ'
लेखा पर टिप्पणियाँ

1. प्रमुख पूंजीगत संविदाओं के संबंध में वर्ष के अंत में, असमाप्त पूंजीगत प्रतिबद्धता 1.17 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष-1.17 करोड़ रुपये)।

2. आकस्मिक देयताएं:

क. 3915.56 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3676.58 करोड़ रुपये) तक के ऋण संबंधी मामले न्यायालयों में लंबित होने के कारण दि.वि.प्रा. के विरुद्ध दावे अभिस्वीकृत नहीं हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 31-मार्च-2022 तक सामान्य विकास लेखा (जी.डी.ए.) में दि.वि.प्रा. से संबंधित लगभग 4855 न्यायिक मामले हैं और नजूल-I एवं नजूल-II में 16088 न्यायिक मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, इस संबंध में आकस्मिक देयताएं अभिनिश्चित नहीं है।

ख. प्राधिकरण को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 12-जनवरी-2006 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से पूर्व प्रभाव सहित, "धर्मार्थ संस्थान" के रूप में मान्यता दी गई है, जो सार्वजनिक सेवाओं में रहते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत छूट के हकदार हैं। तथापि, कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2017-18 के लिए आकलन में, इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आकलन अधिकारी ने छूट के लाभ की अनुमति नहीं दी है और प्रबंधन की राय में प्राधिकरण की आय पर कर लगाया, हालांकि आयकर विधि में छूट के लिए प्राधिकरण उपर्युक्त धारा में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है। दि.वि.प्रा. ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(46) के अंतर्गत आयकर छूट की अधिसूचना के लिए एक आवेदन दिया, जिसका परिणाम 31-मार्च-2020 तक से लंबित है।

उक्त आकलन वर्षों में 3111.73 करोड़ रुपये की कुल कर मांग बनी रही, जो आयकर अपील अधिकरण (आकलन वर्ष 2003-04 और 2005-06 से 2015-16 के लिए) और आयुक्त (अपील) (आकलन वर्ष 2016-17 और 2017-18) के समक्ष अपील दायर की गई थी। इसके अतिरिक्त समय सीमा (टाइम लिमिट) के मामले पर आकलन वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के लिए विशेष अनुमति याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई। इन याचिकाओं को स्वीकृति दी गई और इसका निपटान अभी लंबित है।

विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आकलन वर्ष 2003-04 से 2013-14, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए आयकर मामलों के विवाद समाधान का विकल्प चुनने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान इन आकलन वर्षों के लिए आयकर विभाग द्वारा फॉर्म-3 जारी किया गया है और तदनुसार इन आकलन वर्ष के लिए 2102.56 करोड़ की जमा राशि को लेखा बही में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत आकलन वर्ष 2003-04 से 2010-11 के लिए आय कर विभाग द्वारा फॉर्म 5 जारी किया गया। आकलन वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए, आयकर विभाग द्वारा रिफ़ंड समायोजन का मामला उठाया गया है ।

इसके अतिरिक्त, व्यय के कुछ हिस्सों को अनुमति न देकर 2003-04 से 2010-11 के आकलन वर्षों के लिए आकलन में 296.83 करोड़ रुपये की मांग उठाई गई। जिसे आयुक्त (अपील) के अपीलीय आदेश में खारिज कर दिया गया। तथापि, इन विलोपनो (डिलिशन) के विरूद्ध आयकर विभाग ने माननीय आयकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की है। कथित इन्कम टैक्स अपील का दिनांक 10-03-2002 के आदेश द्वारा नए सिरे से आकलन कार्यवाही के निदेश के साथ निपटान किया जा चुका है।

ग. आयकर पोर्टल के ट्रेसिस पर टी.डी.एस. की चूक के कारण 0.15 करोड़ रु. की मांग दर्शायी गई है, जो विभाग के साथ समाशोधन की प्रक्रिया में है। चूंकि प्रबंधन की राय में दि.वि.प्रा. की देयता के बारे में कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकाला गया है, इसलिए इसके बारे में लेखा बही में किसी प्रकार का प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

घ. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एस.डी.एम.सी.) ने अपनी तरफ से और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ई.डी.एम.सी.) एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) की तरफ से 319 सम्पत्तियों के संबंध में दिनांक 31-मार्च-2004 तक और 24 खेल परिसरों के संबंध में 31-मार्च-2013 तक सम्पत्ति कर एवं ब्याज के रूप में 746.05 करोड़ रुपये की वसूली के लिए दिनांक 10-जनवरी-2013 को अभिहरण अधिपत्र (डिस्ट्रैस वारंट) जारी किए थे। बाद में उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी उक्त 746.05 करोड़ रूपये की देय राशि में से अपने भाग के रूप में क्रमशः 272.16 करोड़ रूपये और 110.28 करोड़ रूपये वसूल करने के लिए दिनांक 22-मार्च-2013 और 25-मार्च-2013 को अलग-अलग अभिहरण अधिपत्र जारी किए गए। तीनों निगमों द्वारा प्राधिकरण के बैंक खातों की कुर्की द्वारा कुल 197.85 करोड़ रूपये की राशि वसूल की गई है। अन्य सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर के रूप में बाद में 53.75 करोड़ रुपयें की मांग की गई थी। चूँकि नगर निगम दि.वि.प्रा. के इस दावे से सहमत नहीं हुए, प्राधिकरण द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट दाखिल की गई जिन्होंने सभी मांगों को खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय के निदेशों के अनुसार प्राधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीयक के पास 50.00 करोड़ रुपए की बैंक प्रतिभूति जमा की है। यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, एनडीएमसी ने अभिहरण अधिपत्र लागू करके एवं दि.वि.प्रा. के बैंक खाते को फ्रीज करके दिसम्बर, 2019 में अवैध रूप से 16.96 करोड़ रुपये वसूल किए। इस मामले को माननीय राज्यपाल के संज्ञान में इस अनुरोध के साथ लाया गया कि वे आयुक्त एनडीएमसी के लिए इस मामले में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

उपर्युक्त मांग विवादित है और दि.वि.प्रा. द्वारा इसे ऋण के रूप में माना नहीं गया है।

इसके अतिरिक्त, शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) के निदेशों के अनुसार, दि.वि.प्रा. ने संपत्ति कर और सेवा प्रभारों के रूप में दि.न.नि. को 26.70 करोड़ की राशि का भुगतान किया, इस राशि में दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित संपत्तियों पर 5.36 करोड़ रुपये शामिल हैं और यह राशि 2004 से 2016 तक की अवधि के लए जी.डी.ए. से संबंधित है तथा इसमें वर्ष 2015-16 के लिए नजूल-II की खाली पड़ी भूमि पर 21.34 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इस राशि को संबंधित खातों में प्रभारित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान एसडीएमसी, एनआरडीएमसी और ईडीएमसी ने वर्ष 2015-16 से आगे के लिए क्रमश: 30.68 करोड़ रूपये, 159.41 करोड़ रूपये और 29.45 करोड़ रूपये की मांग की है। उपरोक्त मांगों के संबंध में मिलान का कार्य प्रक्रियाधीन है और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान अंतर राशि के कारण 20.78 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2021-22 के लिए सम्पत्ति कर और सेवा-प्रभारों के लिए दिल्ली नगर निगम को 31.80 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 33.91 करोड़ रुपये अंतर राशि सहित) का अंतर राशि सहित भुगतान किया है। चालू वर्ष के लिए भुगतान में नजूल खाता की खाली पड़ी भूमि पर 29.96 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 32.79 करोड़ रुपये) और दि.वि.प्रा. निर्मित सम्पत्तियों पर 1.84 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.12 करोड़ रुपये) शामिल हैं। इस राशि को संबंधित खातों में प्रभारित किया जाता है।

ङ. संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय ने दिनांक 29-अप्रैल-2013 के अपने नोटिस द्वारा सी.ए.जी. द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर दि.वि.प्रा. में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं पर लिए गए श्रम उपकर के रूप में 01-जनवरी-1996 से 31-मार्च-2013 तक की अवधि से संबंधित 25.34 करोड़ रुपये की राशि की माँग की है। दि.वि.प्रा. ने उक्त मांग के प्रति लिखित निवेदन दाखिल किया है जिस पर संयुक्त श्रम आयुक्त के समक्ष निर्णय लंबित है। इस वर्ष के दौरान, मामले की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, तद्नुसार, खातों में इसके लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

च. आयुक्त, सेवा कर, दिल्ली ने दिनांक 30-अप्रैल-2013 के अपने आदेश द्वारा निर्णय दिया और अविकसित एवं विकसित नजूल-II भूमि के निपटान तथा जीडीए, नजूल-I एवं नजूल-II के भू-भाटक पर 01-अप्रैल-2005 से 31-मार्च-2012 तक की अवधि के लिए 949.60 करोड़ रुपये के सेवा कर की माँग की तथा इसे "अचल सम्पत्तियों का किराया" मानते हुए 553.06 करोड़ रुपये के ब्याज की मांग भी की है तथा उस पर 845.95 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया है। प्राधिकरण ने उक्त आदेश को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीली प्राधिकरण में चुनौती दी है।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर ट्रिब्यूनल ने अब निरस्त किए गए उक्त आदेशों को एक तरफ कर दिया और आदेश दिनांक 24-अप्रैल-2017 द्वारा एक ताजा निर्णय के लिए मूल प्राधिकारी से फिर से मांग की है। सीजीएसटी के प्रधान आयुक्त ने आदेश दिनांक 16-9-2020 के द्वारा 731.41 करोड़ रूपये की मांग की और उसी पर 562.11 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने उक्त आदेश को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी है और स्थगन के अंतर्गत 10.00 करोड़ रूपये जमा किए हैं।

इसके अतिरिक्त, आयुक्त सेवा कर, दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 30-सितम्बर-2016 द्वारा वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए अविकसित और विकसित नजूल-II भूमि के निपटान और जीडीए, नजूल-I एवं नजूल-II भू-भाटक पर 363.98 करोड़ रु. की और मांग की है जिसे "अचल संपत्तियों का किराया" के रुप में माना गया जिसके विरुद्ध प्राधिकरण ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर ट्रिब्यूनल के समक्ष एक अपील दायर की है और स्थगन के अंतर्गत वर्ष के दौरान 10 करोड़ जमा करवाए हैं।

छ. राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कई संविदाओं के संबंध में अभी तक मुकदमा चल रहा है और ये विभिन्न प्राधिकरणों के अधीन लंबित है। तथापि, किसी प्रकार की वसूली अथवा देयता के स्पष्ट निर्धारण के अभाव में इनके प्रभाव का कोई निश्चित वर्णन नहीं किया गया है।

3. "दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट", "दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट, "दिल्ली विकास प्राधिकरण छुट्टी नकदीकरण फंड ट्रस्ट" और "दिल्ली विकास प्राधिकरण सेवा-निवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ फंड ट्रस्ट" और "दिल्ली विकास प्राधिकरण सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट" के लिए अलग-अलग वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन ट्रस्ट के अंशदान को दिनांक 31-मार्च-2022 का बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार रिकार्ड किया गया है।

4. कर्मचारी हितलाभः

i) प्राधिकरण ने दिनांक 31-मार्च-2022 को अपनी उपदान देयता का बीमांकिक मूल्यांकन 341.47 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 436.56 करोड़ रु.) करवाया है। बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपदान निधि के रूप में अंशदान 6.74 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष (-)6.30 करोड़ रु.) है, जिसमें नजूल-I का अंश 0.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष (-)0.02 करोड़ रु.) है और नजूल- II का अंश 3.68 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष (-) 3.19 करोड़ रु. है। नजूल- I एवं नजूल- II का अंश उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है।

ii) प्राधिकरण ने दिनांक 31-मार्च-2022 को अपनी पेंशन देयता का बीमांकक मूल्यांकन 7541.97 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7204.48 करोड़ रुपए) करवाया है। बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेंशन निधि के रूप में अंशदान 529.84 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 508.71 करोड़ रुपए है), जिसमें नजूल-I का अंश 1.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.47 करोड़ रुपए) और नजूल-II का अंश 289.84 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 257.71 करोड़ रुपए) हैं। नजूल-I एवं नजूल- II का अंश उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है.

iii) प्राधिकरण ने दिनांक 31-मार्च-2022 को अपनी छुट्टी नकदीकरण देयता का बीमांकक मूल्यांकन 196.53 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 242.43 करोड़ रुपए) करवाया है, बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए छुट्टी नकदीकरण निधि के रूप में अंशदान 22.64 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष (-)3.5 करोड़ रुपए) है, जिसमें नजूल-I का अंश 0.04 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष (-)0.01 करोड़ रुपए) और नजूल-II का अंश 11.85 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष (-)1.77 करोड़ रुपए) शामिल है। नजूल- I एवं नजूल- II का अंश उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है।

iv) प्राधिकरण ने दिनांक 31-मार्च-2022 तक सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए 742.58 करोड़ (पिछले वर्ष 671.42 रुपए) की राशि की देयता का बीमांकक मूल्यांकन किया है और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर नियोक्ता का अंशदान 116.52 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 104.74 करोड़ रुपए) दिया गया जिसमें नजूल-I का अंश 0.22 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.30 करोड़ रुपए) और नजूल- II का अंश 63.74 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 53.06 करोड़ रुपए) शामिल है। नजूल- I एवं नजूल- II का अंश उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है।

5. 30 करोड़ रुपए की पैकेज डील के अंतर्गत खरीदी गई भूमि के संबंध में भूमि के ऋणदाता के रूप में पुनर्वास मंत्रालय (एम.ओ.आर.) को देय 3.82 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.82 करोड़ रुपए) शामिल है। भूमि का पूरा कब्जा अभी मंत्रालय से प्राप्त किया जाना है। इसके अलावा कुछ भूमि अन्य विभागों के अधिकार में है, यद्यपि मालिकाना हक प्राधिकरण का है। प्राधिकरण को अंतरित की गई भूमि, स्वामित्व अधिकार के संबंध में लेखा बहियों में प्रविष्टियाँ कर दी गई है।

6. आवास और अन्य प्राप्तियों के संबंध में पार्टियों से सही जानकारी न मिलने/वास्तविक चालानों की अनुपलब्धता के कारण और अन्य रसीदों जिनका समाशोधन किया जाना लंबित है का उचंत खाता (सस्पेंस अकाउंट) शेष राशि 13.19 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 12.07 करोड़ रुपये) की क्रेडिट राशि है।

7. वर्ष के दौरान शहरी विकास निधि में से निम्नलिखित को अनुदान दिया गयाः

दिल्ली लोक निर्माण विभाग को 109.56 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 59.14 करोड़ रुपये),

दिल्ली जल बोर्ड को शून्य (पिछले वर्ष शून्य),

उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 7.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 44.21 करोड़ रुपये)

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को 10.97 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 7.27 करोड़ रुपये)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

पूर्वी दिल्ली नगर निगम को शून्य(पिछले वर्ष 6.55 करोड़ रुपये)

उत्तर रेलवे को 2.07 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.56 करोड़ रूपये)

दिल्ली नगर कला आयोग को शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

दि.वि.प्रा. को 511.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 55.28 करोड़ रुपये)

8. आरक्षित निधिः

31-मार्च-2022 को समाप्त हुए वर्ष में आकस्मिक आरक्षित निधि 1416.55 करोड़ रुपये है इसके बदले निधि निवेश 1391.22 करोड़ रुपये और बैंक शेष 14.50 करोड़ रुपये एवं उपार्जित ब्याज 23.47 करोड़ रुपये शामिल है।

9. निर्धारित निधिः

i. 31-मार्च-2022 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी विकास निधि की कुल राशि 4997.87 करोड़ रुपए है और इस निधि में 4771.24 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियों में 4701.69 करोड़ रुपये का निवेश, 2.38 करोड़ रुपये का बैंक शेष, 67.17 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज शामिल है।

ii. 31-मार्च-2022 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा. स्टाफ हित लाभ निधि की कुल राशि 0.54 करोड़ रुपए है। इस निधि के लिए परिसंपत्तियां 0.32 करोड़ जिसमें 0.32 करोड़ रूपये निवेश शामिल है।

iii. 31-मार्च-2022 को समाप्त वर्ष के लिए सिविल कार्य प्रबंधन निधि की कुल राशि 731.22 करोड़ रुपए है और इस निधि के बदले परिसंपत्तियों की कुल राशि 657.98 करोड़ रुपए है, जिसमें 619.20 करोड़ रुपये की निवेश राशि, 26.52 करोड़ रुपए का बैंक शेष और 12.26 करोड़ रुपए की उपार्जित ब्याज राशि शामिल है।

iv. 31-मार्च-2022 को समाप्त वर्ष के लिए इलेक्ट्रिकल कार्य रखरखाव निधि हेतु कुल राशि 103.61 करोड़ रुपए है और इस निधि के लिए परिसंपत्तियां कुल 99.03 करोड़ रुपए की है, जिसमें 81.83 करोड़ रुपए का निवेश, 16.46 करोड़ रुपए का बैंक शेष और 0.74 करोड़ रुपए का उपार्जित ब्याज शामिल है।

v. 31-मार्च-2022 को समाप्त वर्ष के लिए यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि की कुल राशि 7.20 करोड़ रुपए है और इस निधि के लिए परिसंपत्तियां कुल 7.22 करोड़ रुपए राशि की है जिनमें 6.70 करोड़ रुपए का निवेश, 0.28 करोड़ रुपये का बैंक शेष और 0.25 करोड़ रुपए का उपार्जित ब्याज शामिल है।

vi. 31-मार्च-2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईडब्ल्यूएस आवास आरक्षित शेष 570.43 करोड़ रुपये है, और इस निधि के लिए कुल परिसंपत्तियां 3122.2 करोड़ रुपये है, जिसमें निवेश 33.51 करोड़ रुपये, 50.24 करोड़ रुपये का बैंक शेष, 0.17 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज 3012.62 करोड़ रुपये एवं ठेकेदारों को 25.66 करोड़ रुपये का अग्रिम शामिल है।

vii. 31-मार्च-2022 को समाप्त वर्ष के लिए विशेष विकास निधि के लिए कुल राशि 35.34 करोड़ रुपए है एवं इस निधि में 28.23 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां है, जिसमें 28.23 करोड़ रुपये का बैंक शेष शामिल है।

10. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निदेशों के अनुपालन में, दि.वि.प्रा. ने "डी.डी.ए.- यमुना पॉल्यूशन पेनल्टी एकाउन्ट" के नाम से एक बचत बैंक खाता खोला। यमुना नदी के मुहाने में किसी भी प्रकार की अपशिष्ट सामग्री को डालने पर जुर्माना राशि/मुआवजे की राशि को इस खाते में जमा किया जा रहा है और इस राशि का उपयोग यमुना नदी की साफ-सफाई की परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाएगा-अनुसूची-बी देखें।

11. 31-मार्च-2022 को विविध देनदारों के विधिवत समाधान किए गए, पार्टीवार और आयुवार विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि दि.वि.प्रा. ने संपत्ति के फ्री होल्ड की प्रक्रिया के समय सम्पूर्ण पट्टा-प्रीमियम और ब्याज सहित भूमि का किराया लेना शुरू कर दिया है। अतः प्रबंधन की राय में, कोई संदेहास्पद ऋण नहीं है।

12. नजूल- I (पुरानी नजूल संपदा) और नजूल- II (भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण) संबंधी लेन-देनों को सरकारी खाते में लेन-देन होने के नाते, पृथक शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और दि.वि.प्रा. (बजट एवं लेखा) नियम, 1982 में निर्धारित प्रारूप में पृथक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया जाता है। उक्त खातों की प्राप्तियों एवं भुगतान की निवल शेष राशि को प्राधिकरण की नकद एवं बैंक शेष राशि में से घटाया जाता है। नजूल खातों के घाटे को प्राधिकरण की निधि से पूरा किया जाता है और इसे अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

13. चालू वर्ष के दौरान, दि.वि.प्रा. ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित औसत बैंक दरों पर शेष बकाया पर नजूल- II को यथा देय चालू वर्ष के लिए 284.36 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

14. चालू वर्ष के दौरान दि.वि.प्रा. ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित औसत बैंक दरों पर शेष बकाया पर नजूल- I से यथा वसूली योग्य चालू वर्ष के लिए 10.52 करोड़ रुपए की ब्याज आय दर्ज की।

15. i) तैयार माल सूची का मूल्यांकनः वर्ष 2016-17 के दौरान अंतिम रुप से तैयार स्टॉक (बाह्य स्रोतों से अधिग्रहित/क्रय निर्मित इकाइयों के अलावा) की माल सूची के मूल्यांकन से संबंधित लेखाकरण नीति सं. 6 में परिवर्तन किया गया है, जिनकी अब निम्न लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर कीमत निर्धारित की गई है, तब तक हाउसिंग स्टॉक सहित निर्मित इकाइयों को तैयार स्टॉक की मानक लागत, जिस पर इसे विक्रय करने की आशा की जाती है, पर और अन्य माल सूची का मूल्य निर्धारण किया जाता था।

संशोधित नीति को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण दिनांक 01-अप्रैल-2016 तक उपलब्ध स्टॉकों का पूर्व लेखाकरण नीति के अनुसार ही मूल्य निर्धारण जारी रखा गया है। निर्मित इकाइयों जिसमें हाउसिंग स्टॉक और विकसित भूमि शामिल है, के अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन में यह परिवर्तन आगे 01-अप्रैल-2016 से तैयार आवासीय इकाइयों और विकसित भूमि के लिए लागू किया गया है।

ii) नजूल-II भूमि से संबंधित भूमि प्राशुल्क: वर्ष 2016-17 के दौरान, सामान्य विकास खाते के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए विनियोजित नजूल-II भूमि प्राशुल्क के संबंध में लेखाकरण नीति 11 (बी) में परिवर्तन किया गया है, जो परिवर्तित नीति के अनुसार परियोजना के निर्माण आरंभ होने की तिथि को लागू नजूल नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित पूर्व निर्धारित दरों (पी.डी.आर.) पर भूमि लागत के लिए आस्थगित देयता खाते में जमा व्यय के रूप में बुक किए जाएंगे। यह आस्थगित देयता लागू प्रचलित पूर्व निर्धारित दरों (पी.डी.आर.) के आधार पर वर्ष के अन्त में परियोजना के पूर्ण होने तक अपडेट की जा रही है। यह आस्थगित देयता खाता नजूल नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित तत्कालीन पूर्व निर्धारित दरों (पी.डी.आर.) पर परियोजना का निर्माण पूरा होने पर नजूल-II लेखा में अंतरित किया जा रहा है तब तक इन्हें नजूल नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित पूर्व निर्धारित दरों पी.डी.आर. पर सम्पत्तियों का निर्माण पूरा होने पर नजूल II लेखा में मूल प्रति दावें व्यय के रूप में जमा सामान्य विकास खाता के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए विनियोजित किया गया। उस वर्ष से, जिसमें स्कीम पूर्ण होती है, भू-प्राशुल्क का भुगतान तीन क्रमिक वार्षिक समान किश्तों में नजूल-II में किया जा रहा है।

विद्यमान स्कीमों के अंतर्गत प्रगतिधीन कार्य पर संशोधित नीति को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण प्रबंधन ने इस परिवर्तित नीति को आगे 01-अप्रैल-2016 के बाद सौंपी गई स्कीमों पर लागू करने का निर्णय लिया है।

16. प्रगतिधीन कार्य और तैयार आवास सूची का मूल्य वर्ष के अंत में कुल निर्माण लागत पर 15% ऊपरी खर्च को जोड़कर निकाला जाता है। दि.वि.प्रा. द्वारा इसका निरंतर अनुसरण किया जा रहा है।

17. कुछ निवेश के लिए वर्ष की समाप्ति पर उपार्जित ब्याज से संबंधित कुछ प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता पर ऐसे मामलों में उपार्जित ब्याज की गणना बकाया शेष और ब्याज की शर्तों के आधार पर अनंतिम रूप से की गई है।

18. अंतिम रूप दिए जाने की तिथि तक अंतिम रूप से उपलब्ध भुगतानों में से आदाता द्वारा काटे गए टी.डी.एस. के 26 ए.एस. विवरण का लेखा समाधान कर लिया गया है और इसको खाते में शामिल कर लिया गया है।

19. वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों/बाँड आदि में निवेश की खरीद के समय भुगतान किए गए अपरिशोधित प्राशुल्क/प्राप्त की गई छूट को दिनांक 31.03.2022 को निवेश मूल्य के भाग/समायोजन के रूप में समझा गया है और निवेश की अवधि के बाद परिशोधित किया जाएगा।

20. पिछले साल के आंकड़े को जहाँ आवश्यक हो इस वर्ष के वर्गीकरण के समनुरूप रिग्रुप पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

21. 'ए' से 'ओ' तक की अनुसूची वार्षिक खातों का अभिन्न भाग है।

22. सामान्य विकास खाता, नजूल-I, नजूल-II "दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट," "दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट", "दिल्ली विकास प्राधिकरण छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट" और "दिल्ली विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ ट्रस्ट" के निवेश और बैंक शेष के समेकित विवरण को अनुलग्नक-पी में दर्शाया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी	**उप मुख्य लेखाधिकारी**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**
(लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**(लेखा)**	**परामर्शदाता**	

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
वित्तीय विवरण का भाग बनने वाली अनुसूची

(राशि करोड़ रुपये में)

		सामान्य विकास खाता										
लेखा शीर्ष	जीडीए, एनए-I,एन ए-II एवं ट्रस्ट का योग	यूडीएफ	जीडीए सामान्य निवेश	आकस्मिक आरक्षित निधि	यमुना प्रदूषण निधि	ई.डब्ल्यू. एस.आरक्षित निधि	सिविल कार्य रखरखाव निधि	विद्युत रखरखाव निधि	सिरी फोर्ट वन क्षेत्र का पुनरुद्धार	विशेष विकास निधि	स्टाफ लाभ निधि	जीडीए का उप-योग
एफडी/विशेष जमा	3878.42	1337.8		256.59	6.7		125.97	9.95	1.36		0.32	1738.69
विशेष जमा												0
सरकारी प्रतिभूतियां	2531.25			1134.63								1134.63
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	9822.52	3363.89				33.51	493.23	71.88				3962.51
म्युचुअल फंड	262.55											
व्यावसायिक दस्तावेज												
मुद्रा बाजार												
डिबेंचर एवं बॉण्ड	493.36											
एलआईसी/अन्य बीमा कंपनियों के साथ जमा	5486.76		0.3									0.3
कुल	22474.86	4701.69	0.3	1391.22	6.7	33.51	619.2	81.83	1.36	0	0.32	6836.13
नकद												
बचत बैंक	**1907.8**	**2.38**	**421.76**	**14.5**	**0.28**	**50.24**	**26.53**	**16.46**	**0.01**	**28.23**	**0.27**	**560.62**
महा योग	**224382.66**	**4704.07**	**422.06**	**1405.72**	**6.98**	**83.75**	**645.73**	**98.29**	**1.37**	**28.23**	**0.5922961**	**7396.76**

	नजूल -I खाता	नजूल -II खाता					टरसट					
लेखा शीर्ष	नकद शेष निवेश	एनए-II सामान्य निवेश	एस्क्रो (ईडब्ल्यू.एस)	शहरी विरासत निधि	एस्क्रो (एफ.ए.आर)	उप योग नजूल II	छुट्टी नकदीकरण निधि	पीआरएमबी ट्रस्ट	पेंशन निधि ट्रस्ट	उपदान निधि ट्रस्ट	सामान्य भविष्य निधि	उप योग
एफ डी		**2047.15**			**5**	**2052.15**			**42.21**		**45.37**	**87.6**
विशेष जमा												
सरकारी-प्रतिभूतियां			**72.45**	**0.45**		**72.9**	**44**	**172**	**448**	**71**	**588.72**	**1323.72**
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां		**5481.94**				**5481.94**	**10**	**10**	**180.6**	**37.27**	**140.2**	**378.07**
म्युचुअल फंड							**48.28**	**46.21**	**76.92**	**10.5**	**80.64**	**262.55**
व्यावसायिक दस्तावेज												
मुद्रा बाजार												
डिबेंचर एवं बॉण्ड							**27**	**72.3**	**262.1**	**15**	**116.95**	**493.35**
एलआईसी/अन्य बीमा कंपनियों के साथ जमा							**71.47**	**54.82**	**5164**	**196.25**		**5486.47**
कुल		**7529.09**	**72.45**	**0.45**	**5**	**7606.99**	**200.75**	**355.33**	**6173.83**	**330.02**	**971.88**	**8031.76**
नकद												
बचत बैंक	**6.44**	**850.19**				**850.19**	**39.32**	**112.71**	**151.76**	**16.18**	**170.56**	**490.54**
महायोग	**6.44**	**8379.28**	**72.45**	**0.45**	**5**	**8457.18**	**240.07**	**468.04**	**6325.59**	**346.2**	**1142.44**	**8522.3**

नजूल खाता -I
वार्षिक लेखा
2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक खाता

नजूल खाता -I

31 मार्च, 2022 तक तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
क्र सं.	लेखा शीर्ष	अनुसूची	2021-22	2020-21	क्र.सं.	लेखा सूची	अनुसूची	2021-22	2020-21
I	नजूल करार 1937 के खंड 9 के अंतर्गत सरकार को देय संचित अधिशेष राशि	ए	22.48	23.05	I	नकद एवं बैंक शेष		6.44	2.34
					II	निवेश			
II	अन्य खाते से प्राप्त राशि		403.4	385.48	III	भूमि एवं कार्यों पर संचित व्यय		19.94	19.94
III	विविध लेनदार	बी	2.77	2.77					
					IV	विविध देनदार	डी	105.91	105.91
IV	पिछले तुलन पत्र के अनुसार देयताओं पर परिसंपत्ति की अधिकता		-30.23	-30.24					
					V	संपत्ति	ई	0.29	0.31
V	वर्ष के दौरान के व्यय पर आय की अधिकता भाग-1		-39.97	-26.69	VI	आय पर व्यय की अधिकता (पार्ट - II)		222.77	222.77
					VII	अन्य परिसंपत्तियां			
VI	नजूल करार के अंतर्गत संचित प्राप्तियों में अंतरित राशि		-3.10	-3.10	VIII	आरंभिक शेष में अंतर		0.00	0.00
					IX	एन ए II से प्राप्य राशि			
vii	अन्य देयताएं	सी	0.00	0.00	X	प्राप्य टीडीएस			
	कुल		**355.35**	**351.27**		कुल		**355.35**	**351.27**

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी	**उप मुख्य लेखाधिकारी**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**
(लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**(लेखा)**	**परामर्शदाता**	

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक खाता
नजूल खाता -I
31-मार्च-2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

व्यय				आय			
क्रं. सं.	लेखा शीर्ष	**2021-22**	**2020-21**	क्रं. सं.	लेखा शीर्ष	**2021-22**	**2020-21**
I	01.04.2017 तक भूमि और कार्य पर संचित व्यय			I	भूमि प्राशुल्क के निपटान से प्राप्तियां		1.18
II	भूमि और कार्य पर व्यय			II	एल एंड डी ओ से हस्तांतरित भूमि		
III	व्यय पर आय की अधिकता (भाग-I)			III	निवेश में ब्याज		
				IV	भूमि एवं कार्य पर संचित राशि		
IV	प्रशासन की लागत			V	राजस्व		
					a) भू-भाटक	4.38	3.57
	i) अधिकारी	1.31	1.45		b) अन्य प्राप्ति	3.34	0.22
					c) क्षतिपूर्ति	0.95	0.90
	ii) संस्थापना	1.77	1.95		d) पूर्व अवधि आय		
					e) अन्य नजूल राजस्व		
	iii) अन्य प्रभार	0.30	0.46	VI	लाइसेंस शुल्क		
	iv) पेंशन अंशदान	1.00	1.48				
	v) उपदान अंशदान	0.01	-0.02				
	vi) छुट्टी नकदीकरण अंशदान	0.04	-0.01				
	vii) सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा स्कीम	0.22	0.30				
	viii) नई पेंशन स्कीम	0.02	0.03				
	ix) सामान्य भविष्य निधि योगदान						
	x) हितकारी निधि योगदान						
	घटाएं: कार्य से वसूला गया संस्थापना प्रभार	-1.64	-1.65				
V	सरकार को नजूल राजस्व का भुगतान	0.01	0.01				
VI	मूल्यह्रास	0.02	0.02				
VII	सामान्य विकास खाता (जीडीए) पर ब्याज	10.52	10.52				
VIII	विभिन्न स्कीमों के रखरखाव पर किया गया विविध व्यय	0.12	0.04				
IX	पूर्व आवधिक व्यय		12.66				
XI	उद्यान कार्य	8.24	8.25				
X	व्यय पर आय की अधिकता (भाग - II)	-13.27	-29.62				
	कुल	**8.67**	**5.87**		**Total**	**8.67**	**5.87**

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी	**उप मुख्य लेखाधिकारी**	**निदेशक(वित्त)**	**मुख्य लेखाधिकारी**
(लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**(लेखा)**	**परामर्शदाता**	

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक खाता
नजूल खाता-I
31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि करोड़ रुपये में)

प्राप्तियां				भुगतान			
क्रं. सं.	लेखा शीर्ष	वास्तविक प्राप्तियां (2021-22)	वास्तविक प्राप्तियां (2020-21)	क्रं. सं.	**लेखा शीर्ष**	वास्तविक प्राप्तियां (2021-22)	वास्तविक प्राप्तियां (2020-21)
I	कार्य और विकास स्कीमों से राजस्व			I	प्रशासन की शेयर लागत	3.38	3.85
	क) प्राशुल्क		0.99		घटाएं: कार्य से प्राप्त संस्थापना प्रभार	-1.64	-1.65
	ख) भू-भाटक	4.38	3.77			1.74	2.20
	ग) अन्य प्राप्तियां						
				II	कार्य और विकास स्कीमों पर व्यय	8.36	8.36
II	क्षतिपूर्ति	0.95	0.90				
				III	विविध व्यय	0.00	0.00
III	अन्य नजूल राजस्व						
	क) कृषि भूमि, अन्य भूमि से राजस्व			IV	नजूल राजस्व का भुगतान	0.01	0.01
	ख) अन्य राजस्व	3.35	0.28				
				V	ब्याज पर ऋण	0.00	0.00
IV	दिल्ली मुख्य योजना	0.00	0.00		दिल्ली मुख्य योजना	0.57	0.67
V	दिल्ली की नई मुख्य योजना	0.00	0.00		दिल्ली की नई मुख्य योजना	0.00	0.00
VI	एल एंड डी ओ ग्राम सभा से हस्तांतरित भूमि	0.00	0.00		ऋण पर ब्याज	0.00	0.00
VII	निवेश से ब्याज	0.00	0.00				
VIII	दिल्ली के आस-पास वाली झीलों का विकास और निर्माण	0.00	0.00		दिल्ली के आस-पास वाली झीलों का विकास और निर्माण		
IX	ऋण प्राप्तियां	0.00	0.00		एल एंड डी से हस्तांतरित भूमि		
X	जमा और अग्रिम			XI	जमा और अग्रिम	0.00	0.00
i)	उचंत खाता	0.00	0.00	i)	उचंत खाता	0	0
अ)	निवेश - नकद शेष	0.00	0.00	अ)	निवेश - नकद शेष	0	0
	निवेश खाता	0.00	0.00		निवेश खाता	0	0
ब)	अन्य उचंत मदें	0.00	0.00	ब)	अन्य उचंत मदें	0	0
ii)	जमा	0.00	0.00	ii)	जमा	0	0
iii)	अग्रिम (एच बी ए)	0.00	0.00	iii)	अग्रिम (एच बी ए)	0	0
iv)	पी.एल.ए.	7.75	3.58	iv)	पी.एल.ए.	7.75	3.59
v)	अन्य खातों से प्राप्त राशि	0.00	0.00	v)	अन्य खातों को भुगतान की गई राशि	0.00	0.00
	नजूल II	16.79	6.54		नजूल II	7.77	5.31
	जीडीए	1.42	3.52		जीडीए	4.48	1.80
	सामान्य भविष्य निधि	0.17	0.03		सामान्य भविष्य निधि	0.03	0.00
	कुल जमा एवं अग्रिम	**26.13**	**13.67**		**कुल जमा एवं अग्रिम**	**20.03**	**10.70**
	कुल प्राप्तियां	**34.81**	**19.62**		**कुल भुगतान**	**30.71**	**21.94**
	प्रारंभिक शेष	**2.34**	**4.66**		**अंत शेष**	**6.44**	**2.34**
	महायोग	**37.15**	**24.28**		**महायोग**	**37.15**	**24.28**

हस्ता/-
लेखाधिकारी
(लेखा मुख्य)/परामर्शदाता

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा)

हस्ता/-
निदेशक(वित्त)
परामर्शदाता

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी

दिल्ली विकास प्राधिकरण
नजूल खाता -I
अनुसूची-क

नजूल करार - 1937 के अंतर्गत सरकार को देय/भुगतान की गई निधि का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	2021-22	2020-21
31.03.2021 तक निधियों का अंतरण	52.58	52.58
जोडें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि		
(क) शेष	52.58	52.58
31.03.2021 तक दिल्ली की पुरानी मुख्य दिल्ली योजना/क्षेत्रीय योजना पर		
किया गया कुल व्यय	27.03	26.37
घटाएं: वर्ष के दौरान बिक्री प्रक्रियाओं के कारण प्राप्तियां		
दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना (क) पर निवल व्यय	27.60	27.03
31.03.2021 तक नई मुख्य दिल्ली योजना/क्षेत्रीय योजना पर		
किया गया कुल व्यय	2.50	2.50
जोड़ें: 2021-22 के दौरान व्यय		
घटाएं: वर्ष के दौरान बिक्री प्रक्रियाओं के कारण प्राप्तियां		
दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना (ख) पर निवल व्यय	2.50	2.50
(ख) कुल व्यय (क+ख)	30.10	29.53
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष (क-ख)	**22.48**	**23.05**

अनुसूची-ख

दिल्ली विकास प्राधिकरण
नजूल खाता -I
नजूल करार - 1937 के अंतर्गत सरकार को देय/भुगतान की गई निधि का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण		
प्रशासन वेतन और अन्य प्रभार	0.18	0.18
नजूल-II को देय राशि	2.59	2.59
कुल	**2.77**	**2.77**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
नजूल खाता -I

अनुसूची-ग

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अन्य देयताओं का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	**2021-22**	**2020-21**
1	शुल्क और कर		
	लेबर सेस	-	-
	सीजीएसटी पर टीडीएस	-	-
	एसजीएसटी पर टीडीएस	-	-
2	जमा और प्रतिधारण	0.00	0.00
	जमा भाग II		-
3	सांविधिक देयता	-	-
	संविदाकार पर देय टीडीएस	-	-
	वेतन पर देय टीडीएस	**0.00**	**0.00**
4	विविध		
कुल			

दिल्ली विकास प्राधिकरण
नजूल खाता -I

अनुसूची-घ

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विविध देनदारों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	**2021-22**	**2020-21**
I	प्रीमियम (भूमि के पट्टे के लिए पट्टेदार द्वारा देय)	0.93	0.93
II	भू-भाटक (पट्टा भूमि के लिए पट्टेदार द्वारा देय)	0.00	0.00
III	अन्य प्राप्तियां (स्टाफ क्वार्टर)	1.50	1.50
IV	नजूल-I और / संपत्तियों के अनधिकृत अधिभोग के लिए लगाई गई क्षतिपूर्ति	103.31	103.31
v	अन्य नजूल प्राप्तियां	0.17	0.17
VI	एल एंड डी / ग्राम सभा को अंतरित भूमि	0.00	0.00
	कुल	**105.91**	**105.91**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
नजूल खाता -I
31.03.2022 तक संपत्ति का विवरण

अनुसूची-इ

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	ग्रॉस ब्लॉक			मूल्यह्रास	31-03-2022 तक अंतिम शेष
		1-04-2021 तक प्रारंभिक जमा	अतिरिक्त राशि	31-03-2022 तक		
I	मोटर वाहन	0.04	0.00	0.04	0.01	0.03
II	फर्नीचर	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
III	अन्य कार्यालय उपकरण	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01
IV	सर्वेक्षण और ड्रॉइंग उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	स्टाफ क्वार्टर्स	0.22	0.00	0.22	0.01	0.21
VI	झंडेवालान में अस्थायी जंक मार्किट के लिए 128 एकड़ भूमि का विकास	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
VII	जनता मार्किट रानी झांसी रोड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	अजमेरी गेट में पार्किंग व्यवस्था प्रदान करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**0.32**	**0.00**	**0.32**	**0.03**	**0.29**

अंतिम लेखा 2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण, नजूल-1

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया जाता है।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

ग. ब्याज को अक्रुअल (प्रोद्दभवन) के आधार पर जाना जाता है।

घ. निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है।

2. लेखा की टिप्पणी.

1. नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को रिकार्ड किया गया है जो 31.03.2022 को प्राप्त नवीनतम उपलब्ध बीमांकिक मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।
2. म्यूचुअल फंड निवेशों पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय से मान्य किया जाता है।
3. निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियाँ, बान्डस, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में समुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

स्थानः नई दिल्ली **हस्ता/-**

दिनांकः **मुख्य लेखाधिकारी**

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा) मुख्य/	**उप मुख्य लेखाधिकारी**	**निदेशक (वित्त)/**
परामर्शदाता	**(लेखा)**	**परामर्शदाता**

नजूल खाता -II
वार्षिक लेखा
2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वर्ष 2021-22 के वार्षिक खाते
नजूल खाता- II
31.03.2022 को समाप्त वित्तीय विवरण वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

प्राप्तियाँ				भुगतान			
क्र.सं.	भुगतान	वास्तविक प्राप्तियाँ 2021-22	वास्तविक प्राप्तियाँ	क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वास्तविक प्राप्तियाँ 2021-22	वास्तविक प्राप्तियाँ
I-सी	विकसित भूमि के प्रीमियम के निपटान से प्राप्तियाँ	1509.84	1211.73	I-सी	भूमि के अधिग्रहण के लिए दिल्ली प्रशासन (भूमि एवं भवन विभाग) को भुगतान	90.46	17.46
					कोर्ट अटैचमेंट की राशि	0.00	0.00
					बढ़े हुए मुआवजे की राशि	0.00	0.00
					विशेष पुनर्वास पैकेज का भुगतान	0.00	0.00
II-सी	अविकसित भूमि के प्रीमियम के निपटान से प्राप्तियाँ	631.64	150.48	II- सी	भूमि के विकास पर व्यय	1130.88	256.13
					मुख्य योजना एवं अन्य सहगामी योजनाएं	1008.36	1024.39
					खेल परिसर	252.65	157.79
					भूमि 2-सी के विकास पर कुल व्यय	**2391.89**	**1438.31**
III-सी	भूमि किराया एवं अन्य प्राप्तियाँ	249.28	151.66	III-सी	राष्ट्रमंडल खेल-2010 व्यय	0.00	0.00
IV- सी	खेल परिसर से संबंधित प्राप्तियाँ	36.40	25.62				
	यूडीएफ से अनुदान	511.51	55.29				
	केंद्र सरकार से अनुदान सीडब्ल्यूजी 2010	0.00	0.00		योजना में शामिल सड़कों को छोड़कर अन्य सड़कों के निर्माण पर व्यय	**0.00**	**0.00**
	सीडब्ल्यूजी फ्लैटों के निपटान से प्राप्तियाँ	0.00	0.00				
V-सी	विविध प्राप्तियाँ	0.00	0.00				
(ए)	संघटन शूल्क	0.00	0.00	IV-सी	विकास योजनाओं में शामिल भवनों को छोड़कर अन्य भवनों पर व्यय	**0.00**	**0.00**
(बी)	निवेश से ब्याज	0.00	0.00				
	नजूल-II निवेश पर ब्याज	629.81	552.71		दि.न.नि. को भुगतान	**26.63**	**30.45**
	खेल निवेश पर ब्याज	0.00	0.00				
	एनए II की बचत पर ब्याज	35.44	20.29				
	एस्क्रो ईडब्ल्यूएस पर ब्याज (बचत+निवेश)	5.45	4.03				
	एस्क्रो एफएआर पर ब्याज (बचत+निवेश)	0.11	0.32				
	एचआरडी पर ब्याज	0.00	0.00				
	यूएचएफ पर ब्याज	0.05	0.03				
(c)	अन्य विविध प्राप्तियाँ	57.64	115.60				
	उपकिरायेदारी प्रभार	1.81	3.36				
	दुरुपयोग प्रभार	5.39	3.70				
	लागत/प्रीमियम पर ब्याज	8.65	5.93				
	भूमि किराया पर ब्याज	2.54	3.47				

वर्ष 2021-22 के वार्षिक खाते

नजूल खाता- II

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय विवरण वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

	संघटन शुल्क	13.16	6.80				
	अनर्जित वृद्धि	0.87	1.60				
	विभिन्न विभागों से वृक्षारोपण प्राप्तियां	45.55	93.23				
	अन्य प्राप्तियां-लाइसेंस शुल्क	138.44	396.69	V-सी	प्रशासन प्रभार के हिस्से की लागत	240.39	181.06
	शहरी विरासत खाते से ब्याज	0.00	0.00		घटाएं संस्थापना प्रभार	-82.74	-57.61
	खेल परिसर	0.00	0.00		निवल शेयर लागत	157.65	123.47
	ईडब्ल्यूएस निधि	0.00	0.00	VI-सी	ऋण पर ब्याज (अर्थोपाय अग्रिम)	0.00	0.00
	ईडब्ल्यूएस निधि पर ब्याज	0.00	0.00		प्रीमियम की वापसी	9.64	36.74
	कुल	**944.91**	**1207.76**				
VII- सी	ऋण प्राप्ति	0.00	0.00	VII-सी	घटाएं: दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई तदर्थ कमी	0.00	0.00
		0.00	0.00		भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को प्रदान किया गया अनुदान	0.00	0.00
		0.00	0.00		दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन को भुगतान की गई राशि	130.00	50.00
	कुल	**3883.58**	**2802.54**		कुल	**2648.63**	**1572.96**
VII- सी	ऋण प्राप्ति	**0.00**	**0.00**	VIII-सी	ऋण का पुनर्भुगतान	**0.00**	**0.00**
i)	केंद्र सरकार से ऋण (अर्थोपाय अग्रिम)	0.00	0.00	i)	केंद्र सरकार को ऋण वापस करना।	0.00	0.00
ii)	अन्य खातों से प्राप्त राशि	0.00	0.00	ii)	अन्य खातों में वापस की गई राशि	0.00	0.00
					74 रा.मं. खेल फ्लैटों की बिक्री के लिए बी.जी.डी.ए. को भुगतान की गई राशि	**0.00**	**0.00**
VIII-सी	जमा एवं अग्रिम	0.00	0.00	IX-सी	जमा एवं अग्रिम	**0.00**	**0.00**
i)	अन्य खातों में भुगतान की गई राशि की वसूली	0.00	0.00	i)	अन्य खातों में भुगतान की गई अग्रिम राशि	**0.00**	**0.00**
ii)	उचंत खाता:	0.00	0.00	ii)	उचंत खाता:	**0.00**	**0.00**
क)	निवेश-नगद शेष निवेश खाता	11310.18	10245.08	क)	निवेश-नगद शेष निवेश खाता	**10937.95**	**11773.09**
					सावधि जमा	**0.00**	**0.00**
					प्रतिभूतियाँ	**0.00**	**0.00**
					निवेश पर भुगतान किया गया प्रीमियम	**0.00**	**0.00**
					निवेश पर भुगतान किया गया ब्याज	**0.00**	**0.00**
ख)	एस्क्रो (ईडब्ल्यूएस) निवेश	0.00	75.02	ख)	एस्क्रो (ईडब्ल्यूएस) निवेश	**0.00**	**80.14**
ग)	एस्क्रो एफ.ए.आर. निवेश	0.00	3.02	ग)	एस्क्रो एफ.ए.आर. निवेश	**5.00**	**0.00**
घ)	विशेष जमा खाता	0.00	0.00	घ)	विशेष जमा खाता	**0.00**	**0.00**
ड.)	निवेश खाता खेल	0.00	0.00	ड.)	निवेश खाता खेल	**0.00**	**0.00**
च)	एस्क्रो नगदीकरण	0.00	0.00	च)	निवेश एस्क्रो खाता	**0.00**	**0.00**
छ)	एचआरडी नगदीकरण	0.00	0.00	छ)	एचआरडी नगदीकरण	**0.00**	**0.00**
ज)	शहरी विरासत पुरस्कार निधि नगदीकरण	0.00	0.46		शहरी विरासत पुरस्कार निधि निवेश	**0.00**	**15.97**

वर्ष 2021-22 के वार्षिक खाते

नजूल खाता- II

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय विवरण वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

झ)	बयाना राशि जमा	0.70	0.03		बयाना राशि की वापसी/समायोजन	5.34	9.24
ड़)	अन्य जमा	65.29	58.14		अन्य जमा	62.81	59.53
	ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण हेतु एस्क्रो खाता (जीएचएस) से प्राप्त निधि	0.00	0.00		ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण हेतु एस्क्रो खाता (जीएचएस) से प्राप्त निधि	0.00	0.00
	शहरी विरासत निधि में प्राप्ति	0.00	0.00		शहरी विरासत निधि संवितरण	0.00	0.00
	अन्य उचंत खाता	0.00	0.00		अन्य उचंत खाता	0.00	0.00
	जमा	0.00	0.00		जमा	0.00	0.00
	परिक्रामी निधि से प्राप्त राशि	2391.87	1438.31		परिक्रामी निधि को भगुतान की गई राशि	2391.87	1438.31
	जीडीए से प्राप्त राशि	378.09	213.44		जीडीए को भुगतान की गई राशि	1663.33	581.68
	जीपीएफ से प्राप्त राशि	42.13	52.19		जीपीएफ को भुगतान की गई राशि	50.55	8.09
	छुट्टी नकदीकरण से प्राप्त राशि	0.00	2.84		छुट्टी नगदीकरण निधि को भुगतान की गई राशि	2.46	2.84
	आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि	1398.46	54.16		आकस्मिकता निधि को भुगतान की गई राशि	1355.87	46.15
	ईडब्ल्यूएस से प्राप्त राशि	61.41	129.92		ईडब्ल्यूएस को भुगतान की गई राशि	65.46	133.12
	एस्क्रो ई.डब्ल्यू.एस से प्राप्त राशि	0.00	77.13		एस्क्रो ई.डब्ल्यू.एस को भुगतान की गई राशि	0.00	77.12
	एस्क्रो एफएआर से प्राप्त राशि	5.00	0.00		एस्क्रो एफएआर को भुगतान की गई राशि	5.00	0.00
	यू.डी.एफ. से प्राप्त राशि	3369.56	509.23		यू.डी.एफ. को भुगतान की गई राशि	3371.84	618.01
	एस.डी.एफ. को देय राशि	8.20	15.31		यू.डी.एफ. को भुगतान की गई राशि	14.94	10.54
	सिविल रखरखाव निधि से प्राप्त राशि	453.90	190.81		एस.डी.एफ. को भुगतान की गई राशि	450.21	190.80
	इलेक्ट्रिकल रख-रखाव निधि से प्राप्त राशि	17.93	71.23		इलेक्ट्रिकल रख-रखाव निधि को भुगतान की गई राशि	18.22	68.91
	पेंशन निधि से प्राप्त राशि	440.48	30.00		पेंशन निधि को भुगतान की गई राशि	466.00	43.73
	नजूल I से प्राप्त राशि	7.77	5.31		नजूल I को भुगतान की गई राशि	16.79	6.54
	उपदान निधि से प्राप्त राशि	0.00	0.11		उपदान निधि को भुगतान की गई राशि	0.00	0.22
	पीआरएमएस निधि से प्राप्त राशि	0.00	0.10		पीआरएमएस निधि को भुगतान की गई राशि	0.00	0.10
	शहरी विरासत निधि से प्राप्त राशि	0.05	0.48		शहरी विरासत निधि को भुगतान की गई राशि	0.05	0.48
	पी.एल.ए. से प्राप्त राशि	2271.78	1344.26		पी.एल.ए को भुगतान को भुगतान की गई राशि	2271.78	1344.26
	कुल जमा एवं अग्रिम	**22222.80**	**14516.58**		**कुल जमा एवं अग्रिम**	**23155.50**	**16508.86**
	कुल प्राप्तियाँ	**26106.39**	**17319.16**		**कुल भुगतान**	**25961.77**	**18205.29**
	आरंभिक शेष	**705.58**	**1591.71**		**अंतिम शेष**	**850.19**	**705.58**
	महायोग	**26811.97**	**18910.87**		**महायोग**	**26811.97**	**18910.87**

हस्ता/-
लेखाधिकारी
(लेखा मुख्य)/परामर्शदाता

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा)

हस्ता/-
निदेशक(वित्त)
परामर्शदाता

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी

पेंशन निधि ट्रस्ट
अंतिम लेखा
वर्ष 2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,

दिल्ली विकास प्राधिकरण,

पेंशन निधि ट्रस्ट,

विकास सदन, नई दिल्ली।

हमने **दिल्ली विकास प्राधिकरण के पेंशन निधि ट्रस्ट** ("द ट्रस्ट") के साथ संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक का तुलनपत्र और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों में दिए गए हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षक के लिए लेखापरीक्षा के दायित्व" में भी वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नीति संहिता (आचार संहिता) के अनुसार इस ट्रस्ट से अलग हैं और हमने इस आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो भी लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी राय देने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है, उनके दायित्व-

ट्रस्ट का प्रबंधन ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसमें सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ट्रस्ट के कार्य, कार्य संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई है। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण को तैयार करना और उसके प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और उसका अनुपालन करना और उसका रख-रखाव करना शामिल है, जिसमें सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई है, उसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ट्रस्ट की नामी प्रतिष्ठान को जारी रखने की योग्यता का आंकलन करने, नामी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण (यथा लागू) और नामी प्रतिष्ठान लेखाकरण के आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है बशर्ते कि प्रबंधन का आशय ट्रस्ट को बंद करने या कार्यों को बंद करने का इरादा न हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो।

प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरण में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। पर्याप्त (उचित) आश्वासन हालांकि उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मिथ्या कथन का हमेशा ही पता चल जाएगा जब भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन किया गया हो। ये मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे उस स्थिति में भारी मिथ्या कथन माना जाएगा, चाहे अलग-अलग हो या संयुक्त रूप से हो जिनमें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयो को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग रूप में, हमने पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक विवेक का प्रयोग किया है और व्यावसायिक तर्कशक्ति का प्रयोग कर हम निम्नलिखित कार्य भी करेंगेः

- वित्तीय विवरणों का भारी मिथ्या कथन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का पता लगाना और उसका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या कथन का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के कारण हुए मिथ्या कथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, जानबूझकर की गई भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- उस लेखापरीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण को समझना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उन परिस्थितियों के अनुरुप हो, लेकिन जिसका उद्देश्य ट्रस्ट के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर अपनी राय को अभिव्यक्त करना न हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा नामी प्रतिष्ठान का लेखाकरण किस आधार पर किया गया है उसकी उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लेना कि उन स्थितियों या घटनाओं के संबंध में कोई अहम अनिश्चितता है जिसके कारण नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी रहने की ट्रस्ट की योग्यता पर संदेह होता है। यदि हमारा यह निष्कर्ष हो कि वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों में अहम अनिश्चितता है, तो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना होगा। हमारी लेखा रिपोर्ट के आज तक के निष्कर्ष प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण ट्रस्ट नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी न रहे।

हम, अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पता चली आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों के बारे में संबंधित लोगों को सूचित करेंगे।

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336
स्थानः गुडगांव
दिनांक: 20 जून 2022

दिल्ली विकास प्राधिकरण
पेंशन निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएं				
निधि का आरंभिक शेष	7,201.45		6,863.58	
जोड़े: नियोक्ता अंशदान	-		-	
-चालू वर्ष	529.84		508.71	
घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन	-		-	
घटाएं: संवितरण	(688.99)		(623.48)	
जोड़े: व्यय पर आय की अधिकता	499.67		452.65	
निधि का अंतिम शेष		7,541.97		7,201.46
आकस्मिक आरक्षित निधि को देय		11.55		5.77
ई.डब्ल्यू.एस. आवास रिजर्व को देय		0.00		0.00
यूडीएफ को देय		46.74		42.18
सामान्य भविष्य निधि न्यास को देय		8.23		20.33
नजूल-II को देय		161.42		135.90
एलईएफ को देय		9.83		26.65
पीआरएमएस को देय		30.03		27.24
लंबित देयताएं		57.18		40.73
अनएमेटाईल डिस्काउंट		3.36		-
		7,870.31		**7,500.26**
परिसंपत्तियां		-		-
निवेश		6,173.77		6,110.72
निवेश पर उपार्जित ब्याज		19.87		41.92
बैंक शेष		151.77		93.46
प्राप्य टीडीएस		0.82		0.82
सिविल अनुरक्षण निधि से प्राप्य		0.00		0.00
उपदान निधि न्यास से प्राप्य		3.16		3.16
दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्य		1,520.92		1,250.18
		7,870.31		**7,500.26**

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 20 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
पेंशन निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु
आय		
निवेश पर उपार्जित ब्याज	495.06	450.46
बचत ब्याज	4.61	2.19
कुल आय	**499.67**	**452.65**
व्यय		
विविध व्यय	0.00	0.00
निवेश पर प्रावधान	-	-
पूर्व अवधि समायोजन	-	-
कुल व्यय	0.00	0.00
व्यय पर आय की अधिकता	**499.67**	**452.65**

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 16 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य पेंशन ट्रस्ट
31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2021-22 हेतु राशि	वर्ष 2020-21 हेतु राशि
प्राप्तियाँ		
पेंशन निधि निवेश	1,131.71	235.38
पेंशन निधि निवेश पर ब्याज	132.39	121.28
निधि के बचत शेष पर ब्याज	4.61	2.19
बी.जी.डी.ए. से प्राप्त	259.10	235.00
यू.डी.एफ. से प्राप्त	85.54	3.30
छुट्टी नकदीकरण से प्राप्त	44.33	31.48
पी.आर.एम.एस. से प्राप्त	30.03	7.69
जी.पी. निधि ट्रस्ट से प्राप्त	15.29	11.76
जीडीए आकस्मिक निधि से प्राप्त	153.15	5.77
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्त	30.44	0.38
नजूल-II से प्राप्त	466.00	43.73
कुल प्राप्ति	**2,352.59**	**697.96**
आरंभिक शेष	93.45	92.35
कुल	**2,446.04**	**790.31**
भुगतान		
पेंशन निधि निवेश	806.69	1.00
पेंशन भुगतान	672.54	622.50
एल.ई.एफ.टी. को भुगतान	61.14	19.00
यू.डी.एफ. को भुगतान	80.98	-
सी.एम.एफ. को भुगतान	-	1.22
पी.आर.एम.एस. को भुगतान	27.24	-
उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान	30.44	3.16
जी.पी.एफ. को भुगतान	27.39	-
नजूल-II को भुगतान	440.48	30.00
ई.डब्ल्यू.एस. को भुगतान	-	8.45
जी.डी.ए. आकस्मिक को भुगतान	147.38	11.53
सी.सी.एल. प्रभार/बैंक प्रभार	0.00	0.00
कुल व्यय	2,294.28	696.86
अंतिम शेष	151.76	93.45
कुल	**2,446.04**	**790.31**

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 16 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

अंतिम लेखा 2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि ट्रस्ट

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया जाता है।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

ग. ब्याज को उपार्जित (अक्रुअल) के आधार पर माना जाता है।

घ. निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है।

2. लेखा की टिप्पणी.

नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को रिकार्ड किया गया है जो 31.03.2022 को प्राप्त नवीनतम बीमांकिक मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।

म्यूचुअल फंड निवेशों पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय से मान्य किया जाएगा।

निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियाँ, बान्डस, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में समुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

स्थानः नई दिल्ली **हस्ता/-**

दिनांकः 16.06.2022 **मुख्य लेखाधिकारी**

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा) मुख्य/	**उप मुख्य लेखाधिकारी**	**निदेशक (वित्त)/**
परामर्शदाता	**(लेखा)**	**परामर्शदाता**

उपदान निधि ट्रस्ट
अंतिम लेखा
2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,

दिल्ली विकास प्राधिकरण,

उपदान निधि ट्रस्ट,

विकास सदन, नई दिल्ली

हमने **दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपदान निधि ट्रस्ट** (''द ट्रस्ट'') के साथ संलग्न स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक का तुलनपत्र और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों में दिए गए हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व" में भी वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नीति संहिता (आचार संहिता) के अनुसार इस ट्रस्ट से अलग है और हमने इस आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो भी लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी राय देने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है, उनके दायित्व -

ट्रस्ट का प्रबंधन ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसमें सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ट्रस्ट के कार्य, कार्य संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई है। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण को तैयार करना और उसके प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और उसका अनुपालन करना और उसका रख-रखाव करना शामिल है, जिसमें सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई है, उसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ट्रस्ट की नामी प्रतिष्ठान को जारी रखने की योग्यता का आंकलन करने, नामी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण (यथा लागू) और नामी प्रतिष्ठान लेखाकरण के आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा बशर्ते कि प्रबंधन का आशय ट्रस्ट को बंद करने या कार्यों को बंद करने का इरादा न हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो।

प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरण में कोई भी मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। पर्याप्त (उचित) आश्वासन हालांकि उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मिथ्या कथन का हमेशा ही पता चल जाएगा जब भी ऐसा कोई मिथ्या कथन किया गया हो। ये मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे उस स्थिति में भारी मिथ्या कथन माना जाएगा, चाहे अलग-अलग हो या संयुक्त रूप से हो जिनमें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयो को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करेंगे और व्यावसायिक तर्कशक्ति का प्रयोग करेंगे हम निम्नलिखित कार्य भी करेंगेः

- वित्तीय विवरणों का भारी मिथ्याकथन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का पता लगाना और उसका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना और ऐसे

लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के कारण भारी मिथ्या कथन का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के कारण हुए मिथ्या कथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, जानबूझकर की गई भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।

- उस लेखापरीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण को समझना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उन परिस्थितियों के अनुरुप हो, लेकिन जिसका उद्देश्य ट्रस्ट के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर अपनी राय को अभिव्यक्त करना न हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा नामी प्रतिष्ठान का लेखाकरण किस आधार पर किया गया है उसकी उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लेना कि उन स्थितियों या घटनाओं के संबंध में कोई भारी अनिश्चितता है जिसके कारण नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी रहने की ट्रस्ट की योग्यता पर संदेह होता है। यदि हमारा यह निष्कर्ष हो कि वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों में भारी अनिश्चितता है, तो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना होगा। हमारी लेखा रिपोर्ट के आज तक के निष्कर्ष प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण ट्रस्ट नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी न रहे।

हम, अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पता चली आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों के बारे में संबंधित लोगों को सूचित करेंगे।

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट

चार्टर्ड एकाउंटेंटस एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग

वरिष्ठ पार्टनर

सदस्यता सं. 083336

स्थानः गुडगांव

दिनांक: 16 जून 2022

दिल्ली विकास प्राधिकरण
उपदान निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएँ				
निधि का आरंभिक शेष	**435.45**		**535.65**	
जोड़े: नियोक्ता अंशदान	6.74		(6.30)	
जोड़े/घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन	-		-	
घटाएं: उपदान संवितरण	(135.50)		(133.32)	
जोड़े: व्यय पर आय की अधिकता	34.78		39.42	
उपदान निधि शेष		**341.47**		**435.45**
सामान्य भविष्य निधि को देय		24.01		6.42
पेंशन निधि ट्रस्ट को देय		3.16		3.16
पी.आर.एम.एस. निधि को देय		3.50		3.49
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट को देय		0.96		1.28
यू.डी.एफ. को देय		2.04		2.04
नजूल-II से प्राप्य राशि		0.11		0.11
		375.25		**451.95**
परिसंपत्तियाँ		-		-
निवेश		330.02		389.90
निवेश पर उपार्जित ब्याज		10.68		13.00
बैंक शेष		16.18		23.24
प्राप्ति योग्य टीडीएस		0.30		0.30
दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्ति योग्य		18.07		25.51
		375.25		**451.95**

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336

स्थानः गुडगांव
दिनांक: 20 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

उपदान निधि ट्रस्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आय		
निवेश पर उपार्जित ब्याज	33.77	38.02
बचत ब्याज	0.98	1.40
पूर्व अवधि मदें	0.03	-
	34.78	**39.42**
व्यय		
विविध खर्चें	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
व्यय पर आय की अधिकता	**34.78**	**39.42**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ग्रैंड मार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
हस्ता/-
पार्टनर: सी.ए. ईश्वर चंद गर्ग
सदस्यता सं. 083336एन
एफ आर एन: 11317

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 16 जून 2022

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण

उपदान निधि ट्रस्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
प्राप्तियाँ		
उपदान निधि निवेश	132.30	112.50
उपदान निधि निवेश पर ब्याज	22.47	26.58
बचत खाता से ब्याज	0.98	1.40
यू.डी.एफ. से प्राप्त	-	2.04
पेंशन निधि से प्राप्त	30.44	3.16
बीजीडीए से प्राप्त	15.17	-
पीआरएमएस से प्राप्त	-	3.49
एलईएफटी से प्राप्त	0.95	1.28
सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त	17.59	26.42
नजूल-II से प्राप्त	-	**0.11**
कुल प्राप्तियाँ	**219.90**	**176.98**
आरंभिक शेष	**23.24**	**25.04**
कुल	**243.14**	**202.02**
भुगतान	-	-
उपदान निधि निवेश	58.76	6.73
उपदान भुगतान	135.49	133.32
सी सी एल/प्रभार/बैंक प्रभार	0.00	0.00
बी जी डी ए को भुगतान	0.99	-
जी पी एफ को भुगतान	-	35.11
पी आर एम एस को भुगतान	-	0.13
पेंशन निधि को भुगतान	30.44	0.38
एल ई एफ टी को भुगतान	1.28	3.11
कुल भुगतान	**226.96**	**178.78**
अंतिम शेष	16.18	23.24
कुल	**243.14**	**202.02**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ग्रेंड मार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
हस्ता/-
पार्टनर: सी.ए. ईश्वर चंद गर्ग
सदस्यता सं. 083336एन
एफ आर एन: 11317

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 16 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

अंतिम लेखा 2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण, उपदान निधि ट्रस्ट

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया जाता है।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

ग. ब्याज को अक्रुअल (प्रोद्दभवन) के आधार पर जाना जाता है।

घ. निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है।

2. लेखा की टिप्पणी.

नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को रिकार्ड किया गया है जो 31.03.2022 को प्राप्त नवीनतम बीमांकिक मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।

म्यूचुअल फंड निवेशों पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय से मान्य किया जाता है।

निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियाँ, बान्डस, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में समुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

स्थानः नई दिल्ली **हस्ता/-**

दिनांकः 16 जून, 2022 **मुख्य लेखाधिकारी**

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा) मुख्य/	**उप मुख्य लेखाधिकारी**	**निदेशक (वित्त)/**
परामर्शदाता	**(लेखा)**	**परामर्शदाता**

सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट
अंतिम लेखा
2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,

दिल्ली विकास प्राधिकरण,

सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट,

विकास सदन, नई दिल्ली।

हमने **दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट** (''द ट्रस्ट'') के साथ संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक का तुलनपत्र और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों में दिए गए हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व" में भी वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नीति संहिता (आचार संहिता) के अनुसार इस ट्रस्ट से अलग है और हमने इस आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो भी लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी राय देने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है, उनके दायित्व -

ट्रस्ट का प्रबंधन ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसमें सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ट्रस्ट के कार्य, कार्य संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई है। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण को तैयार करना और उसके प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और उसका अनुपालन करना और उसका रख-रखाव करना शामिल है, जिसमें सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई है, उसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ट्रस्ट की नामी प्रतिष्ठान को जारी रखने की योग्यता का आंकलन करने, नामी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण (यथा लागू) और नामी प्रतिष्ठान लेखाकरण के आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा बशर्ते कि प्रबंधन का आशय ट्रस्ट को बंद करने या कार्यों को बंद करने का इरादा न हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो।

प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरण में कोई भी मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। पर्याप्त (उचित) आश्वासन हालांकि उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मिथ्या कथन का हमेशा ही पता चल जाएगा जब भी ऐसा कोई मिथ्या कथन किया गया हो। ये मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे उस स्थिति में भारी मिथ्या कथन माना जाएगा, चाहे अलग-अलग हो या संयुक्त रूप से हो जिनमें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयो को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करेंगे और व्यावसायिक तर्कशक्ति का प्रयोग करेंगे हम निम्नलिखित कार्य भी करेंगेः

- वित्तीय विवरणों का भारी मिथ्याकथन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का पता लगाना और उसका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना और ऐसे लेखापरीक्षा

साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के कारण भारी मिथ्या कथन का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के कारण हुए मिथ्या कथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, जानबूझकर की गई भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।

- उस लेखापरीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण को समझना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उन परिस्थितियों के अनुरुप हो, लेकिन जिसका उद्देश्य ट्रस्ट के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर अपनी राय को अभिव्यक्त करना न हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा नामी प्रतिष्ठान का लेखाकरण किस आधार पर किया गया है उसकी उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लेना कि उन स्थितियों या घटनाओं के संबंध में कोई भारी अनिश्चितता है जिसके कारण नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी रहने की ट्रस्ट की योग्यता पर संदेह होता है। यदि हमारा यह निष्कर्ष हो कि वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों में भारी अनिश्चितता है, तो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना होगा। हमारी लेखा रिपोर्ट के आज तक के निष्कर्ष प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण ट्रस्ट नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी न रहे।

हम, अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पता चली आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों के बारे में संबंधित लोगों को सूचित करेंगे।

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट

चार्टर्ड एकाउंटेंटस

एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग

वरिष्ठ पार्टनर

सदस्यता सं. 083336एन

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 16 जून 2022

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट
31-मार्च-2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को
इक्विटी एवं देयताएँ				
निधि का आरंभिक शेष	**1,225.41**		**1,329.19**	
जमाः नियोक्ता अंशदान	74.96		105.30	
जोड़ें/घटाएं: पूर्व अविधि समायोजन	-		-	
घटा: सामान्य भविष्य संवितरण	(312.70)		(303.79)	
जमा: व्यय पर आय की अधिकता	94.96		94.72	
सामान्य भविष्य निधि		**1,082.63**		**1,225.42**
दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय		159.57		107.69
अनअमोरटाईज्ड डिस्काउंट		6.20		-
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट को देय		0.00		-
एन ए II को देय राशि		(35.67)		-
		1,212.73		**1,333.11**
परिसंपत्तियां		-		-
निवेश		971.89		1,066.39
निवेश पर उपार्जित ब्याज		37.10		37.95
बैंक शेष		170.56		156.78
पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्ति योग्य		8.23		20.34
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्ति योग्य		24.01		6.42
दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त योग्य		-		-
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट से प्राप्ति योग्य		-		1.10
एन ए II से प्राप्य राशि		-		44.10
एन ए I से प्राप्य राशि		0.17		0.03
अनअमोरटाईज्ड प्रीमियम		0.77		-
प्राप्य टी डी एस		-		-
		1,212.73		**1,333.11**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ग्रेंड मार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
हस्ता/-
पार्टनर: सी.ए. ईश्वर चंद गर्ग
सदस्यता सं. 083336एन
एफ आर एन: 11317

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 16 जून 2022

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आय		
निवेश पर उपार्जित ब्याज	91.34	92.68
बचत ब्याज	3.61	2.04
विविध आय (प्राधिकरण शेयर)	0.01	0.00
	94.96	**94.72**
व्यय		
पूर्व अवधि मदें		
निवेश पर प्रावधान-रिलायंस कैपिटल	0.00	0.00
विविध व्यय	0.00	0.00
व्यय पर आय की अधिकता	**94.96**	**94.72**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ग्रैंड मार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
हस्ता/-
पार्टनर: सी.ए. ईश्वर चंद गर्ग
सदस्यता सं. 083336एन
एफ आर एन: 11317

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 16 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट
वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु

(राशि करोड़ रुपये में)

प्राप्ति		**भुगतान**	
लेखा शीर्ष	**वर्ष हेतु क्रमिक योग**	**लेखा शीर्ष**	**वर्ष हेतु क्रमिक योग**
सामान्य भविष्य निधि		सामान्य भविष्य निधि	
कर्मचारियों से जीपीएफ अंशदान	74.96	जीपीएफ संवितरण	69.21
जीपीएफ अग्रिम पर ब्याज	-		
बचत ब्याज	3.62	सेवा जीपीएफ संवितरण	-
जीपीएफ निवेश	163.26	जीपीएफ निवेश	63.60
		जीपीएफ निवेश की खरीद पर छूट	-
जीपीएफ निवेशों पर ब्याज	92.46	जीपीएफ निवेशों पर ब्याज	-
जीपीएफ शेष पर क्रेडिट किया गया ब्याज	-	डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंश स्कीम हेतु भुगतान	0.28
जीपीएफ निवेश की खरीद पर प्रीमियम	-	जीपीएफ शेष पर देय छूट	-
		जीपीएफ अंतिम भुगतान	222.50
जीपीएफ अग्रिम वसूली	3.54	दिया गया अग्रिम	24.30
उपदान से प्राप्त राशि	-	उपदान को भुगतान की गई राशि	17.59
पेंशन से प्राप्त राशि	27.39	पेंशन हेतु भुगतान की गई राशि	15.29
जीडीए से प्राप्त राशि	98.67	जीडीए को भुगतान की गई राशि	46.79
एलईएफटी से प्राप्त राशि	1.10	एलईएफटी को भुगतान की गई राशि	-
पीआरएमबी से प्राप्त राशि	-	पीआरएमबी को भुगतान की गई राशि	-
एन ए II से प्राप्त राशि	47.55	एन ए II को भुगतान की गई राशि	39.12
एन ए I से प्राप्त राशि	0.03	एन ए I को भुगतान की गई राशि	0.17
जीपीएफ शेष का अंतरण	341.20	जीपीएफ शेष का अंतरण	341.20
इंटर-यूनिट लेखा	-	इंटर-यूनिट लेखा	-
विविध प्राप्तियाँ	0.05	विविध व्यय	0.00
कुल प्राप्ति	**853.83**	कुल व्यय	**840.05**
आरंभिक शेष	**156.78**	अंतिम शेष	**170.56**
कुल	**1,010.61**	कुल	**1,010.61**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ग्रेंड मार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
हस्ता/-
पार्टनर: सी.ए. ईश्वर चंद गर्ग
सदस्यता सं. 083336एन
एफ आर एन: 11317

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 16 जून 2022

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

अंतिम लेखा 2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण, सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया जाता है ।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।

ग. ब्याज को अक्रुअल (प्रोद्दभवन) के आधार पर जाना जाता है ।

घ. निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है ।

2. लेखा की टिप्पणी

नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को रिकार्ड किया गया है जो 31.03.2022 को प्राप्त नवीनतम उपलब्ध बीमांकिक मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।

म्यूचुअल फंड निवेशों पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय से मान्य किया जाता है।

निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियों, बान्डस, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में समुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16 जून 2022

हस्ता/-

मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा) मुख्य/	**उप मुख्य लेखाधिकारी**	**निदेशक (वित्त)/**
परामर्शदाता	**(लेखा)**	**परामर्शदाता**

वर्ष 2021-22 हेतु
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,

दिल्ली विकास प्राधिकरण,

छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट,

विकास सदन, नई दिल्ली

हमने **छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट** (" द ट्रस्ट ") के साथ संलग्न स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक का तुलनपत्र और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय का लेखा विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है।

राय का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों में दिए गए हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व" में भी वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नीति संहिता (आचार संहिता) के अनुसार इस ट्रस्ट से अलग है और हमने इस आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो भी लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी राय देने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है, उनके दायित्व -

ट्रस्ट का प्रबंधन ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसमें सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ट्रस्ट के कार्य, कार्य संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाई जाती है। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण, जिसमें सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई हो, उसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, को तैयार करना और उसके प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण तैयार करना उनका अनुपालन एवं प्रबंधन करना शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ट्रस्ट की नामी प्रतिष्ठान को जारी रखने की योग्यता का आंकलन करने, नामी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण (यथा लागू) और नामी प्रतिष्ठान लेखाकरण के आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा बशर्ते कि प्रबंधन का आशय ट्रस्ट को बंद करने या कार्यों को बंद करने का इरादा न हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो।

प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरण में कोई भी मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। पर्याप्त (उचित) आश्वासन हालांकि उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मिथ्या कथन का हमेशा ही पता चल जाएगा जब भी ऐसा कोई मिथ्या कथन किया गया हो। ये मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे उस स्थिति में भारी मिथ्या कथन माना जाएगा, चाहे अलग-अलग हो या संयुक्त रूप से हो जिनमें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयो को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक तर्कशक्ति का प्रयोग करते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों का भारी मिथ्याकथन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का पता लगाना और उसका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के कारण भारी मिथ्या कथन का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के कारण हुए मिथ्या कथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, जानबूझकर की गई भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- उस लेखापरीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण को समझना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उन परिस्थितियों के अनुरुप हो, लेकिन जिसका उद्देश्य ट्रस्ट के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर अपनी राय को अभिव्यक्त करना न हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा नामी प्रतिष्ठान का लेखाकरण किस आधार पर किया गया है उसकी उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लेना कि उन स्थितियों या घटनाओं के संबंध में कोई भारी अनिश्चितता है जिसके कारण नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी रहने की ट्रस्ट की योग्यता पर संदेह होता है। यदि हमारा यह निष्कर्ष हो कि वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों में भारी अनिश्चितता है, तो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना होगा। हमारी लेखा रिपोर्ट के आज तक के निष्कर्ष प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण ट्रस्ट नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी न रहे।

हम, अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पता चली आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों के बारे में संबंधित लोगों को सूचित करते हैं।

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या एन: 11317)

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336एन

स्थानः गुडगांव
दिनांक: 20 जून 2022

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ग्रेंड मार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
हस्ता/-
पार्टनरः सी.ए. ईश्वर चंद गर्ग
सदस्यता सं. 083336एन
एफ आर एन: 11317

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 16 जून 2022

दिल्ली विकास प्राधिकरण
छुट्टी नगदीकरण निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
इक्विटी एवं देयताएँ				
निधि का आरंभिक शेष	**242.42**		**299.07**	
जमा: नियोक्ता अंशदान	-		-	
-चालू वर्ष	22.64		(3.50)	
घटा: संवितरण	(81.46)		(76.29)	
जमा: व्यय पर आय की अधिकता	12.93		23.14	
निधि का अंतिम शेष		**196.53**		**242.42**
दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय		57.75		44.41
सामान्य भविष्य निधि को देय		-		1.10
एन ए II को देय		0.00		-
		254.28		**287.93**
परिसंपतियाँ				
निवेश		200.75		234.02
निवेश पर उपार्जित ब्याज		3.27		6.60
बैंक शेष		39.32		16.78
प्राप्य टी.डी.एस.		0.15		0.15
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्य		0.96		1.28
एन.ए. II से प्राप्य		-		2.46
सामान्य भविष्य निधि से प्राप्य		0.00		-
पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्य		9.83		26.64
		254.28		**287.93**

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336

स्थानः गुडगांव
दिनांक: 20 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
छुट्टी नगदीकरण निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2021-22 हेतु राशि	वर्ष 2020-21 हेतु राशि
आय		
निवेश पर उपार्जित ब्याज	14.04	22.41
अन्य आय	0.50	0.73
कुल आय	**14.54**	**23.14**
व्यय		
विविध व्यय	0.00	0.00
कुल व्यय	**0.00**	**0.00**
व्यय पर आय की अधिकता	**14.54**	**23.14**
जोडे: पूर्व अवधि समायोजन	**(1.61)**	**-**
व्यय पर आय की शुद्ध अधिकता	**12.93**	**23.14**

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 16 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
छुट्टी नगदीकरण निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2021-22 हेतु राशि	वर्ष 2020-21 हेतु राशि
प्राप्तियाँ		
निवेश का नकदीकरण	39.32	110.00
विविध प्राप्ति	-	0.01
छुट्टी निधि निवेश पर ब्याज	10.70	18.91
छुट्टी निधि बचत ब्याज पर ब्याज	0.51	0.73
जी.डी.ए. से प्राप्त	37.60	22.08
उपदान निधि से प्राप्त	1.28	3.11
पेंशन निधि से प्राप्त	61.14	19.00
एन.ए. II से प्राप्त	2.46	-
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट से प्राप्त	-	14.09
इंटर-यूनिट खाता	65.71	68.93
कुल प्राप्ति	**218.72**	**256.86**
जमा:-आरंभिक शेष	16.78	12.11
कुल	**235.50**	**268.97**
भुगतान	-	-
एल ई एफ टी निवेश	1.00	61.10
छुट्टी नकदीकरण का भुगतान	81.46	76.30
विविध: व्यय	0.00	0.00
पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान	44.33	31.48
सेवानिवृत्ति पश्चात हितकारी निधि ट्रस्ट को भुगतान	-	0.05
उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान	0.95	1.28
जीडीए को भुगतान	1.63	0.05
सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट को भुगतान	1.10	13.00
इंटर-यूनिट खाता	65.71	68.92
कुल व्यय	**196.18**	**252.18**
जमा:-अंतिम शेष	39.32	16.79
कुल	**235.50**	**268.97**

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 16 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

अंतमि लेखा 2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण, छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया जाता है ।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।

ग. ब्याज को उपार्जित (अक्रुअल) के आधार पर माना जाता है ।

घ. क्रय के समय निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को समायोजित किया गया है ।

2. लेखा की टिप्पणी

नियोक्ता के खातों में दिल्ली विकास प्राधिकरण की मान्य सीमा तक अंशदान को दर्ज किया गया है जो 31.03.2022 को प्राप्त नवीनतम उपलब्ध बीमांकिक मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।

म्यूचुअल फंड निवेशों पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय से मान्य किया जाता है।

निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियों, बान्डस, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में समुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16 जून 2022

हस्ता/-

मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा) मुख्य/	**उप मुख्य लेखाधिकारी**	**निदेशक (वित्त)/**
परामर्शदाता	**(लेखा)**	**परामर्शदाता**

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट

अंतिम लेखा

2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,

दिल्ली विकास प्राधिकरण,

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट,

विकास सदन, नई दिल्ली

हमने **सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट** (" द ट्रस्ट ") के साथ संलग्न स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक का तुलनपत्र और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय का लेखा विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है।

राय का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों में दिए गए हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व" में भी वर्णित है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नीति संहिता (आचार संहिता) के अनुसार इस ट्रस्ट से अलग हैं और हमने इस आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो भी लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी राय देने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है, उनके दायित्व -

ट्रस्ट का प्रबंधन ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसमें सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ट्रस्ट के कार्य, कार्य संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाई जाती है। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण, जिसमें सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाई गई हो, उसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, को तैयार करना और उसके प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण तैयार करना उनका अनुपालन एवं प्रबंधन करना शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ट्रस्ट की नामी प्रतिष्ठान को जारी रखने की योग्यता का आंकलन करने, नामी प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण (यथा लागू) और नामी प्रतिष्ठान लेखाकरण के आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा बशर्ते कि प्रबंधन का आशय ट्रस्ट को बंद करने या कार्यों को बंद करने का इरादा न हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो।

प्रबंधन की जिम्मेदारी ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरण में कोई भी मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। पर्याप्त (उचित) आश्वासन हालांकि उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मिथ्या कथन का हमेशा ही पता चल जाएगा जब भी ऐसा कोई मिथ्या कथन किया गया हो। ये मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे उस स्थिति में भारी मिथ्या कथन माना जाएगा, चाहे अलग-अलग हो या संयुक्त रूप से हो जिनमें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयो को अत्यधिक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक तर्कशक्ति का प्रयोग करते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों का भारी मिथ्याकथन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का पता लगाना और उसका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के कारण भारी मिथ्या कथन का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के कारण हुए मिथ्या कथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, जानबूझकर की गई भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।

- उस लेखापरीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण को समझना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उन परिस्थितियों के अनुरुप हो, लेकिन जिसका उद्देश्य ट्रस्ट के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर अपनी राय को अभिव्यक्त करना न हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा नामी प्रतिष्ठान का लेखाकरण किस आधार पर किया गया है उसकी उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लेना कि उन स्थितियों या घटनाओं के संबंध में कोई भारी अनिश्चितता है जिसके कारण नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी रहने की ट्रस्ट की योग्यता पर संदेह होता है। यदि हमारा यह निष्कर्ष हो कि वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों में भारी अनिश्चितता है, तो अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना होगा। हमारी लेखा रिपोर्ट के आज तक के निष्कर्ष प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनके कारण ट्रस्ट नामी प्रतिष्ठान के रुप में जारी न रहे।

हम, अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पता चली आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों के बारे में संबंधित लोगों को सूचित करते हैं।

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 20 जून 2022

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार
कोर्पस फंड एवं देयताएँ				
निधि का आरंभिक शेष	675.45		606.40	
जोड़े: नियोक्ता अंशदान	-		-	
- चालू वर्ष	116.52		104.74	
घटाएं: संवितरण	-88.67		-70.33	
जोड़े: व्यय पर आय की अधिकता	39.28		34.64	
निधि का अंतिम शेष		742.58		675.45
		742.58		**675.45**
परिसंपत्तियां				
निवेश		355.33		418.46
निवेश पर उपार्जित ब्याज		6.11		5.89
बैंक शेष		112.71		67.98
प्राप्ति योग्य टी.डी.एस		0.78		0.78
पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्ति योग्य		30.03		27.24
छुट्टी नकदीकरण निधि ट्रस्ट से प्राप्ति योग्य		-		-
दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्ति योग्य		234.13		151.61
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्ति योग्य		3.49		3.49
		742.58		**675.45**

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 20 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट
आय एवं व्यय खाता
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आय		
निवेश पर अर्जित ब्याज	36.31	32.62
बचत ब्याज	2.97	2.02
विविध प्राप्तियां	-	-
	39.28	34.64
व्यय		
बैंक प्रभार	0.00	0.00
टेलिफोन व्यय	-	-
पूर्व अवधि समायोजन		
	0.00	0.00
आय पर व्यय की अधिकता	**39.28**	**34.64**

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 20 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रुपये में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2021-22 हेतु राशि	वर्ष 2020-21 हेतु राशि
प्राप्तियाँ		
पी.आर.एम.एस. निधि निवेश	76.35	42.02
निवेश का नकदीकरण	-	-
पी.आर.एम.एस. निधि निवेश पर ब्याज	32.23	29.22
पी.आर.एम.एस. निधि बचत ब्याज पर ब्याज	2.97	2.02
विविध प्राप्तियां	-	0.00
जी.डी.ए. से प्राप्त	34.20	50.00
जी.पी. निधि से प्राप्त	-	0.07
उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्त	-	0.13
पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्त	27.24	-
छुट्टी नकदीकरण निधि से प्राप्त	-	0.05
इंटर - यूनिट खाता	110.64	70.07
कुल प्राप्तियाँ	**283.63**	**193.58**
जोड़े: -आरंभिक शेष	67.98	50.53
ट्रांजिट में प्रेषित राशि	-	0.04
कुल योग	**351.61**	**244.15**
भुगतान		
पी.आर.एम.एस. निधि निवेश	9.36	24.52
भुगतान किया गया चिकित्सा लाभ	88.67	70.33
विविध व्यय/बैंक प्रभार	0.00	0.00
बी.जी.डी.ए. को भुगतान	0.20	-
सामान्य भविष्य निधि को भुगतान	-	0.07
उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान	-	3.49
पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान	30.03	7.69
इंटर-यूनिट खाता	110.64	70.08
कुल व्यय	**238.90**	**176.18**
जोड़े:- अंतिम शेष	112.71	67.97
ट्रांजिट में प्रेषित राशि	-	-
कुल योग	**351.61**	**244.15**

कृते ग्रेंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 11317

सीए ईश्वर चंद गर्ग
वरिष्ठ पार्टनर
सदस्यता सं. 083336एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 20 जून 2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाधिकारी (लेखा मुख्य)/परामर्शदाता	**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**	**निदेशक(वित्त)/परामर्शदाता**	**मुख्य लेखाधिकारी**

अंतिम लेखा 2021-22

दिल्ली विकास प्राधिकरण, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया जाता है ।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।

ग. ब्याज को उपार्जित (अक्रुअल) के आधार पर माना जाता है ।

घ. निवेशों की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है ।

2. लेखा की टिप्पणी

नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खातों में मान्य सीमा तक अंशदान को रिकार्ड किया गया है जो 31.03.2022 को प्राप्त नवीनतम उपलब्ध बीमांकिक मूल्य रिपोर्ट पर आधारित है।

म्यूचुअल फंड निवेशों पर ब्याज की राशि को म्यूचुअल फंड के शोधन के समय से मान्य किया जाता है ।

निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियों, बान्डस, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में समुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जून 2022

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
लेखाधिकारी (लेखा) मुख्य/	**उप मुख्य लेखाधिकारी**	**निदेशक (वित्त)/**
परामर्शदाता	**(लेखा)**	**परामर्शदाता**

वर्ष 2021-22 हेतु
लेखों पर
पृथक लेखा परीक्षा के उत्तर

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम एसएआर का उत्तर

	टिप्पणी	उत्तर
क.	**नजूल-I**	
	तुलन - पत्र **संपत्तियां** **विविध देनदार 105.91 करोड़ रुपये (अनुसूची घ)**	
	दि.वि.प्रा. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 7 के तहत 'नजूल समझौते' के माध्यम से तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के निपटान में रखी गई सरकारी भूमि के अनधिकृत कब्जाधारियों से ब्याज सहित क्षति शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत है। हालांकि, 2018-19 से बार-बार टिप्पणी किए जाने के बावजूद, भी दि. वि. प्रा. ने वर्ष 2021-22 के लिए क्षति शुल्क के रूप में वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की है।	अनधिकृत कब्जाधारियों को क्षति प्रभारों की मांग करने के लिए जारी नोटिसों के अनुसार नजूल I के संबंध में हर्जाना उपार्जित आधार पर दर्ज किया जा रहा है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, क्षति भुगतानकर्ताओं को वार्षिक आधार पर नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि क्षति प्रभारों के लिए नीति माननीय उपराज्यपाल के निर्देशों के अनुसार कार्यसूची मद सं. 85/2019 के अनुसार निरूपित की जाती थी जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: - "इस विषय पर नीति पत्र तुरंत प्राधिकरण के समक्ष लाया जाना चाहिए और तब तक निवासियों को कोई नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए।" इसके अलावा, डैमेज सेक्शन में कर्मचारियों की नितांत कमी थी और सेक्शन कम संख्या में काम कर रहा था। 2017 में सर्वेक्षण के माध्यम से क्षति शुल्क लगाने के लिए क्षति भुगतानकर्ताओं और उसके स्वामियों/कब्जाधारियों की अद्यतन सूची तैयार करने का प्रयास किया गया था।हालांकि, यह इन कारणों से सफल नहीं हो सका, क्योंकि 1959 में दर्ज क्षति प्राप्तकर्ता संपत्तियों के अधिकांश कब्जेदार, मूल या बाद के स्वामियों आदि द्वारा आगे की बिक्री/ खरीद के कारण विभाजित/उप-विभाजित भूमि का हिस्सा होने जाने से अब वहां उपलब्ध नहीं थे। दि. वि. प्रा. ने लगाए जाने वाले नुकसान शुल्क के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दि. वि. प्रा. द्वारा स्व-मूल्यांकन विंडो शुरू की गई है। सार्वजनिक सूचना 11.07.2020 को जारी की गई थी और क्षति आकलनकर्ताओं को स्व-मूल्यांकन दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल दिनांक 10.07.2020 को लॉन्च किया गया था। दि.वि.प्रा. के रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए लीडिंग समाचार-पत्र में व्यापक प्रचार देकर क्षति प्राप्तकर्ता या लीज होल्ड (भूतपूर्व पट्टेदार सहित) की श्रेणियों में संपत्ति के कब्जाधारियों को स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति के अपने कब्जे का विवरण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, हालांकि, स्व मूल्यांकन पोर्टल (सेल्फ असेसमेंट पोर्टल) पर प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 1800 अनधिकृत कब्जाधारियों को सम्पदा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने एवं क्षति शुल्क भुगतान हेतु नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी ने एसओपी को मंजूरी दे दी है और एक एजेंसी को क्षति भुगतानकर्ता संपत्तियों के घर-घर सर्वेक्षण करने और साइट पर मौजूद क्षति संपत्तियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए काम पर रखा गया है, क्योंकि ऐसी संपत्तियां हैं जो समामेलित या विभाजित हो सकती हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षति प्राप्तकर्ता संपत्तियों का पूरा डेटा घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा, भूमि प्रबंधन सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) को चालू किया जा रहा है, जिसमें संपत्तियों के सर्वेक्षण परिणाम अपलोड किए जाएंगे और उसी के आधार पर, लेखा शाखा क्षति शुल्क की गणना करेगी और क्षति शुल्क की वसूली के लिए नुकसान भुगतानकर्ताओं को मांग नोटिस जारी करेगी। यह दिल्ली में 23 नजूल एस्टेट्स में फैली एक बड़ी कवायद है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, भूमि प्रबंधन विंग द्वारा क्षति शुल्क के रूप में वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की जा सकी है। हालांकि, ऊपर वर्णित प्रयासों से, यह उम्मीद की जाती है कि मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार होगा और क्षति शुल्क से होने वाली आय को अगले वित्तीय वर्ष से अधिक सटीक रूप से हिसाब में लिया जाएगा।

ख.	नजूल II	
1.	**प्राप्तियां और भुगतान खाता** **अन्य विविध प्राप्तियां - 57.64 करोड़ रुपये**	
	अन्य विविध प्राप्तियों के तहत बुक किए गए 57.64 करोड़ रुपये के विवरण संबंधित संपत्ति के साथ स्पष्ट रूप से पता लगाए जाने योग्य नहीं थे और न ही इसका समाशोधन किया गया था। इसके अलावा, बिना किसी विवरण के विविध प्राप्तियों के तहत इतनी बड़ी राशि की बुकिंग के लिए दि. वि. प्रा. में समीक्षा की आवश्यकता है। विवरण/समाशोधन के अभाव में, 57.64 करोड़ रुपये की विविध प्राप्तियों की राशि लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं की जा सकी। यह मामला 2019-20 और 2020-21 में भी उजागर (हाइलाइट किया) गया था।	57.64 करोड़ रुपये की राशि की विविध रसीदें आवेदकों द्वारा अधूरे विवरण के साथ जमा की गई राशि से संबंधित हैं और जो प्राप्तियों की प्रकृति, खाते के शीर्ष आदि के संबंध में पता लगाए योग्य नहीं है, जैसे कि संपत्ति संख्या, फ़ाइल संख्या या शाखा जिसके लिए विवरण यह पहचान योग्य नहीं था। इनमें से ज्यादातर बहुत पुरानी रसीदें हैं। हालांकि, दि. वि. प्रा. विभिन्न प्रकार की रसीदों के लिए अपनी ऑनलाइन रसीद संग्रह प्रणाली को मजबूत कर रहा है, जिसमें ऑनलाइन चालान बनाने का प्रावधान है और इस विशेषता के साथ कि चालान में सभी फील्ड को भरें किए जाने तक कोई रसीद जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्राप्तियों के शीर्ष सहित सही विवरण की पहचान सुनिश्चित करेगा। भूमि प्राप्तियों के संग्रहण के लिए एकीकृत निपटान भूमि सूचना प्रणाली (आईडीएलआई) को पहले ही चालू कर दिया गया है। दि.वि.प्रा. सेवा पोर्टल भी चालू कर दिया गया है जो आम जनता को स्वयं को पंजीकृत करने और आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग इत्यादि जैसे भुगतान के विभिन्न ऑनलाइन तरीकों के माध्यम से चालान बनाने के बाद दि.वि.प्रा. को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाता है। (https://dda.gov.in/online payment)। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 79.60 करोड़ रुपये और 2019-20 में 481.63 करोड़ रुपये की विविध प्राप्तियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अवर्गीकृत प्राप्तियों के तहत राशि काफी कम होकर 57.64 करोड़ रुपये हो गई है। उम्मीद की जाती है कि प्राप्तियों के तथा समाशोधन और स्वचालन के साथ, अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विविध प्राप्तियों की राशि में काफी कमी आएगी।
2.	**तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा तैयार न करना**	
	नजूल - II भारत सरकार की ओर से डीडीए द्वारा भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास और निपटान कार्यकलापों से संबंधित है। नजूल-II लेखों के संबंध में डीडीए ने केवल प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तैयार किया। इसके परिणामस्वरूप, नजूल-II खातों की परिसंपत्तियों और देयताओं को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है । लेखा परीक्षा, वर्ष 2012-13 से नजूल- II का तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा तैयार न करने पर बार-बार टिप्पणी कर रहा है। तथापि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	डीडीए ने 'सैद्धांतिक रूप से' नजूल-II का तुलन-पत्र तैयार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। तुलन-पत्र तैयार करने में शामिल गतिविधियां, जिसमें भूमि रिकॉर्डों का मिलान और संकलन शामिल है, प्रगति पर है। डीडीए की संबन्धित शाखाओं द्वारा भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, रा रा क्षे, दिल्ली सरकार के अधीन विभिन्न भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एल ए सी) कार्यालयों के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण के अवार्ड के मिलान का कार्य भी प्रगतिधीन है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, डीडीए के भूमि प्रबंधन विंग ने कुल 1786 अवार्ड में से 1385 भूमि अवार्ड का मिलान किया है। डीडीए द्वारा मिलान किए गए 1385 अवार्ड में से भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एल ए सी) ने 759 अवार्ड को प्रमाणित किया है और शेष 626 अवार्ड एल ए सी के पास लंबित है। इसके अतिरिक्त, शेष 401 अवार्ड (1786-1385) में से, जो डीडीए के पास मिलान हेतु लंबित है, अधिकांश अवार्ड उर्दू भाषा में है और इसके कारण अधिक समय लगने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, नजूल-II भूमि भी ग्राम सभाओं से अधिगृहीत की जा रही है और मुआवजे की राशि सौंपने एवं मिलान की प्रक्रिया में महत्वपूर्व समय लग रहा है। यहाँ, यह उल्लेख करना उचित है कि भूमि रिकॉर्ड तैयार करने के लिए भूमि अवार्ड का मिलान पहली आवश्यकता है। एल ए सी के साथ भूमि अवार्ड के मिलान कार्य की प्रगति 77% से अधिक है। भूमि रिकॉर्डों को समय पर पूरा करने पर डीडीए द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। डीडीए नजूल-II का तुलन-पत्र तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे तैयार करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

सी	**सामान्य विकास खाता**	
	लेखों के एकसमान फॉर्मेट के अनुसार खातों को तैयार न करना	
	प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (अनुसूची एन) की मद संख्या 3 में कहा है कि सामान्य विकास खाते के वित्तीय विवरण केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के सामान्य फॉर्मेट में तैयार किए जाते हैं। तथापि, नीचे रेखांकित किए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कथन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है:	
i	लेखों के एकसमान फॉर्मेट के अनुसार निर्धारित /एंडोमेंट निधि और निवेश के, निवेशों से अन्य को अलग से दिखाया जाना चाहिए। तथापि, वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम अनुसूची-F (एफ) रिजर्व फंड निवेश से संबंधित 1134.63 करोड़ रुपये की राशि की सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश।	जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा रेखांकित किया गया है, अगले वित्तीय वर्ष से वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों की बजाय निवेश के अंतर्गत निर्धारित निधियों के अलावा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को अलग से दर्शाया जाएगा। यह एक प्रस्तुति मुद्दा है, जिसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
ii	खातों के एक समान फॉर्मेट के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को लागत/बही मूल्य पर में बताया जाना चाहिए, तथापि, ऐसे मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर को तुलन पत्र की टिप्पणी में दिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि खातों के टिप्पणी में अंतर को बताया नहीं गया था।	डीडीए 3 साल तक की अवधि के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इसलिए, इन्हें दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और लागत में बताया जाता है। डीडीए ने ऐतिहासिक रूप से परिपक्वता तक सरकारी प्रतिभूतियों को धारित किया है और निवेश पर ब्याज प्रोद्भवन के आधार पर पहचाना जाता है। प्रतिभूतियों में निवेश का अंकित मूल्य निवेश की परिपक्वता पर प्राप्त होता है। इस प्रकार, बही मूल्य/लागत और निवेश के बाजार मूल्य के बीच के अंतर को लेखों की टिप्पणियों (नोट टू एकाउंट्स) में नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि निवेश को परिपक्वता तक रखा जाता है और सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश के मूल्य में कोई गिरावट नहीं होती। इसका लगातार पालन किया जा रहा है।
2.	**तुलन पत्र**	
	देयताएं	
2.1	**अन्य देयताएं**	
	डीडीए की विभिन्न आवास योजनाओं के आबंटितियों से अग्रिमः 591.85 करोड़ रु	
	आबंटितियों से अग्रिम - एम.ओ.आर. भूमि 0.62 करोड़ रुपये	
	डीडीए ने 591.85 करोड़ रुपये को 'विभिन्न डीडीए आवास योजनाओं के आबंटितियों से अग्रिम' और 0.62 करोड़ रुपये अन्य देयताओं के (अनुसूची सी) शीर्ष के अंतर्गत - 'आबंटितियों से अग्रिम पुनर्वास भूमि मंत्रालय' के रूप में मान्यता दी है इस संबंध में, नरेला में एम.आई. जी. आवासों की बिक्री के कारण दिल्ली पुलिस से प्राप्त राशि 135.78 करोड़ रुपये को छोड़कर, डीडीए के पास आबंटितियों से प्राप्त अग्रिमों का आबंटन -वार विवरण, उनकी प्राप्ति की तिथि और आबंटन की वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा विभिन्न डीडीए आवासीय योजनाओं के आबंटितियों से अग्रिम' और ' आबंटितियों से अग्रिम - एम.ओ.आर. भूमि शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 456.69 करोड़ रुपए की सटीकता के बारे में आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ थी। इस मुद्दे पर लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी टिप्पणी की गई थी, तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	आबंटिति-वार अग्रिमों का विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं है। आबंटितियों से अग्रिम आवास योजनाओं के आबंटितियों द्वारा कब्जा पत्र जारी करने के लंबित रहने तक जमा की गयी राशि से संबन्धित है। इस प्रकार, यह राशि आबंटितियों को कब्जा पत्रों के जारी होने तक शीर्ष अग्रिम के अंतर्गत दर्शाई जाती है। कब्जा पत्र जारी करने पर, उक्त राशि को डीडीए की लेखा नीति संख्या 7(ए) के अनुरूप बिक्री से आय के रूप में दर्ज किया जाता है। 592.47 करोड़ रुपये की कुल राशि मे 135.78 करोड़ रुपये नरेला में एम.आई.जी .आवासों की बिक्री के कारण दिल्ली पुलिस से प्राप्त राशि से संबंधित है । वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इन फ्लैटों के संबंध में कब्जा पत्र जारी नहीं किए गए थे, इसलिए 135.78 करोड़ रुपये की राशि " आवास योजनाओं के आबंटितियों से प्राप्त अग्रिम" के अंतर्गत बुक की गई है । इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आबंटितियों से एडवांस को विविध देनदारों के साथ सहसंबंध किया जाता है और संबंधित शाखाओं को समयबद्ध तरीके से विविध देनदारों का समाधान करने का निदेश दिया गया है। राशि के मिलान और दिल्ली पुलिस को कब्जा पत्र जारी करने के बाद यह आंकड़ा काफी कम हो जाएगा।

2.2	**परिसंपत्तियां**	
	पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन - 9.89 करोड़ रुपए	
2.2.1	15% ओवरहेड प्रभार पर विचार नहीं करने के कारण उपर्युक्त राशि में 1.48 करोड़ रुपए [0.49 करोड़ (3.27*0.15 रुपए) + 0.99 करोड़ (6.63*0.15 रुपए)] की कमी दर्शाई गई है	निरंतर अपनाई जाने वाली नीति के अनुसार निवल निर्माण लागत में 15% ओवरहेड प्रभार जोडकर डब्ल्यूआईपी पूंजी की कीमत की गणना की गई । हालांकि प्रगति-गत कार्य पूंजी के आंकडे प्राप्त करते समय भूलवश 15% ओवरहेड प्रभार को नहीं जोड़ा गया। 1.48 करोड़ रुपए के ओवरहेड प्रभार को पूर्व अवधि मदों के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष की लेखा बही में शामिल किया जाएगा ।
2.2.2	उपर्युक्त में तेहखंड गांव में समाज सदन एवं पठन कक्ष से संबंधित 3.27 करोड़ रुपए (0.49 करोड़ रुपए के ओवरहेड प्रभार के अतिरिक्त) की लागत शामिल है । हालांकि समाज सदन का काम 28.08.2015 को पूरा हो गया था इसे पूंजीकृत नहीं किया गया । इससे प्रगति-गत कार्य की पूंजी में 3.27 करोड़ रुपए की अधिकता, निर्धारित परिसंपत्तियों में 1.80 करोड़ रुपए की कमी और मूल्यह्रास में कमी के साथ साथ 1.96 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया गया ।	जैसा कि लेखा परीक्षा में रेखांकित किया गया 3.27 करोड़ रुपए के प्रगति-गत कार्य को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2022-23 में पूंजीकृत किया जाएगा । मूल्यह्रास को भी पूर्व अवधि के द्वारा वार्षिक लेखा में प्रविष्ट किया जाएगा ।
2.2.3	उपर्युक्त में विकास सदन भवन में एयर-कंडिशनिंग सिस्टम की आपूर्ति और इसे लगाने के लिए वहन की गई 6.63 करोड़ रुपए (0.99 करोड़ रुपए के ओवरहेड प्रभार के अतिरिक्त) की लागत शामिल है। हालांकि यह काम पूरा हो गया था और 9 मार्च 2022 में इसे समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया तथापि इसे 31 मार्च 2022 को पूंजीकृत नहीं किया गया । इससे प्रगति-गत कार्य की पूंजी में 6.63 करोड़ रुपए की अधिकता, निर्धारित परिसंपत्तियों में 7.24 करोड़ रुपए की कमी और मूल्यह्रास में कमी के साथ साथ वर्ष में 0.38 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया गया ।	जैसा कि लेखा परीक्षा में रेखांकित किया गया 6.63 करोड़ रुपए के प्रगति-गत कार्य को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2022-23 में पूंजीकृत किया जाएगा । मूल्यह्रास को भी पूर्व अवधि के द्वारा वार्षिक लेखा में प्रविष्ट किया जाएगा ।
2.3	**चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-एफ)-18760.16 करोड़ रुपए**	
	विविध देनदार - 479.60 करोड़ रुपए	
	लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 11 (अनुसूची-ओ) में यह सूचित किया है कि 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार विविध देनदारों के विधिवत समाशोधित पार्टीवार और आयुवार विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं है। डीडीए देनदारों का पार्टीवार और आयुवार ब्यौरा (251.11 करोड़ रू के जल प्रभारों को छोड़कर) नहीं रख रहा है अतः लेखा परीक्षा 228.48 करोड़ रुपए की राशि के विविध देनदारों की प्रमाणिकता, मौजूदगी और वसूली योग्यता को सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं है। लेखा पर टिप्पणियों में केवल इस बात का प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है कि देनदारों का समाधान नहीं किया गया था । वर्ष 2013-14 से पूर्ववर्ती एसएआर में इस मुद्दे को बार-बार उठाने के बावजूद डीडीए आज तक विविध देनदारों के पार्टीवार और आयुवार ब्यौरों का रखरखाव नहीं कर पाया है ।	आवास रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ विविध देनदारों के समाधान का कार्य डीडीए के संबंधित डिविजनों में शुरु कर दिया गया है । यह आशा की जाती है कि आवास, दुकानों आदि से संबंधित देनदारों का पार्टीवार और आयुवार विवरण, आवास रिकॉर्ड के पूरी तरह से कम्प्यटरीकृत होने के बाद उपलब्ध होगा। इसके अलावा 31.03.2022 को 479.59 करोड़ रुपए के विविध देनदारों में से 251.11 करोड़ रुपए की राशि जल प्रभारों से संबंधित है जो कि कुल देनदारों का 53% है। जहां तक देनदारों की मौजूदगी और प्रमाणिकता का संबंध है यह बताया जाता है कि आवास/दुकानों के देनदारों को पिछले वर्षों के तुलना-पत्र से आगे लिया गया है और किराया खरीद से आगे अन्य कोई आबंटन नहीं किया गया है । देनदारों से वसूली के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि बकाया किश्तें जमा करने के लिए आवास देनदारों को बडी संख्या में नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा, आवास देनदारों को नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है और 2022-23 में नोटिस जारी किए जाएंगे जिससे लेखा में वास्तविक आंकडों को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

3	**आय एवं व्यय खाता**	
3.1	**संस्थापना एवं प्रशासन (अनुसूची के)** **संस्थापना व्यय** **नई पेंशन योजना में अंशदान 13.10 करोड़ रुपए**	
	केन्द्र सरकार के एनपीएस सब्सक्राइबरों के लिए नियोक्ता के हिस्से को 01.04.2019 से 10% से बढ़ाकर 14% किया गया था और यह केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी लागू था । वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए नियोक्ता के अंशदान में वृद्धि के परिणामस्वरूप 6.22 करोड़ रुपए की राशि के स्थान पर, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा बताया गया, लेखा में केवल 3.40 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई । जिससे 2.82 करोड़ रुपए की कमी हुई । उक्त के लिए प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप एनपीएस में नियोक्ता के अंशदान में कमी और 2.82 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज हुआ । इसके अलावा प्राधिकरण ने 2 इकाइयों के विवरण के साथ साथ नियोक्ता के अंशदान के लिए भेजी गई रकम का विवरण और ट्रस्टी बैंक खाते में एनपीएस में कर्मचारियों से की गई वसूली के संबंध में विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया है । इसकी अनुपलब्धता की वजह से देरी से किए गए रकम के प्रेषण के कारण ब्याज की कमी तथा देयताओं की वास्तविक राशि, यदि कोई हो का आकलन नहीं किया जा सकता।	डीडीए में कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं. 1(3)/ईवी/ 2020 दिनांक 26.08.2021 को लागू करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के वित्त एवं व्यय विभाग द्वारा जारी एफएंडई परिपत्र सं. 8/2021 के माध्यम से नियोक्ता के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया गया था । अतः 01-04-2019 से 31-08-2021 तक की अवधि के एरियर के भुगतान के साथ नियोक्ता अंशदान को सितंबर 2021 से 14% किया गया । 4.64 करोड़ रुपए की कुल एरियर राशि में से 3.40 करोड़ रुपए की एरियर राशि को वित्त वर्ष 2021-22 के लेखा में देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है । शेष 1.24 करोड़ रुपए के एरियर को पूर्व अवधि के माध्यम से अगले वित्त वर्ष 2022-23 में लेखा में दर्ज किया जाएगा ।
4	**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची-एन)**	
4.1	**इन्वेंट्रीज (मद सं. 6)**	
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची-एन) के मद सं. 6 के अनसार इन्वेंट्रीज का मूल्य निर्धारण कम लागत अथवा निवल वसूली मूल्य (एन.आर.वी.) पर किया जाता है । लेखांकन मानक-2 'इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन' के पैरा 25 में स्पष्ट है कि मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्यन से किया जाता है। एनआरवी का ऐसा कोई मूल्यांकन डीडीए द्वारा नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप एएस-2 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति से. 6 का उल्लंघन हुआ है । इसके अलावा, वित्तीय विवरणों में इन्वेंट्रीज की कीमत का निर्धारण नहीं किए जाने को भी उपयुक्त रूप से प्रकट नहीं किया गया है। इस बारे में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में भी लेखा परीक्षा ने टिप्पणी की थी लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई ।	डीडीए ने केवल निर्माण लागत, भूमि लागत और विभाजित ओवरहेड्स के आधार पर (तैयार स्टॉक अर्थात् 01.04.2016 के बाद पूरी की गई आवास योजनाओं के रूप में तैयार स्टाक के सबंध में) समापन इन्वेंट्रीज के मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति अपनाई है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि फ्लैटों की निपटान लागत की गणना निर्माण लागत, भूमि लागत, विभागीय प्रभारों, ब्याज लागत (अनुमानित), एकमुश्त रखरखाव शुल्क और सिविल और विद्युत कार्य रखरखाव शुल्क के आधार पर की जाती है। इनमें से ब्याज राशि, वन टाइम सिविल एवं इलेक्ट्रिकल रख-रखाव प्रभार संपत्ति कीमत का भाग नहीं होते हैं। इस प्रकार, डीडीए की अस्थायी निपटान लागत या इंवेंटरी का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य हमेशा इंवेंटरी की लागत से अधिक होता है। इसलिए, लेखाकंन नीति/मानक का कोई उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है क्योंकि डीडीए कम लागत और वसूली योग्य मूल्य (निपटान लागत) पर इंवेंटरी दर्शा रहा है।
4.2	"लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण" से संबंधित लेखाकंन मानक -1 के पैरा 24 में कहा गया है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को प्रकट किया जाना चाहिए। यद्यपि, डीडीए द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लेखों के साथ विभिन्न लेखांकन नीतियों को प्रकट किया गया था, तथापि वित्तीय विवरणों में 'प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्ति' पर लेखांकन नीति को प्रकट नहीं किया गया था। इस मुद्दे को वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान उजागर किया गया था; तथापि, प्रबंधन की ओर से कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को पिछले वर्ष के अनुरूप रखा गया है और इसलिए प्रावधानों और आकस्मिक संपत्तियों से संबंधित नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का भाग नहीं बन रही है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों में बही खातों में किए जाने वाले आवश्यक प्रावधानों पर विचार किया गया और उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2021-22 के लेखों की टिप्पणियों में आकस्मिक देयता से संबंधित और आवश्यक प्रकटन किए गए थे। जहां तक आकस्मिक संपत्तियों का संबंध है, उन्हें मान्यता नहीं दी जा रही है क्योंकि आर्थिक लाभ का प्रवाह निश्चित नहीं है। तथापि, इस संबंध में लेखापरीक्षा के सुझावों की लेखांकन अवधारणा की कन्जर्वेटिज्म को ध्यान में रखते हुए उचित स्तर पर जांच की जाएगी।
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को पिछले वर्ष के अनुरूप रखा गया है और इसलिए प्रावधानों और आकस्मिक संपत्तियों से संबंधित नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का भाग नहीं बन रही है।	
	कर्मचारी लाभ - टिप्पणी सं. 4	

टिप्पणी 4 (ii) में कहा गया है कि प्राधिकरण ने 31.03.2022 को 7541.97 करोड़ रुपये की अपनी पेंशन देयता का बीमांकक मूल्यांकन कराया और जिसमें 529.84 करोड़ रुपये की राशि वर्तमान वर्ष से संबंधित है। यद्यपि, यह देखा गया कि पेंशन ट्रस्ट डीड के उल्लंघन में, डीडीए पेंशन ट्रस्ट को निधि हस्तांतरित करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहा था, जैसा कि बीमांकक द्वारा गणना की गई थी। डीडीए द्वारा पेंशन ट्रस्ट को वर्षवार अंशदान और कमी दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:- (राशि करोड़ रु. में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बीमांकक द्वारा परिकलित पेंशन देयता राशि	559.01	623.49	508.72	529.84
डीडीए द्वारा अंतरित राशि	99	208	235	259.10
कमी	**460.01**	**415.49**	**273.72**	**270.74**

इस प्रकार, उपरोक्त से, यह दर्शाया गया है कि पेंशन ट्रस्ट को प्रेषण में कमी 2018-19 में 460.01 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 1419.96 करोड़ रुपये हो गई है। इसलिए, टिप्पणी अधूरी थी क्योंकि पेंशन फंड ट्रस्ट को प्रेषण में कमी का प्रकटन नहीं किया गया है। यह मुद्दा वर्ष 2020-21 के दौरान भी उठाया गया था, तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

अधिक सेवानिवृत्ति और जीडीए के तहत निधियों के घाटे की स्थिति के कारण, बीमांकक द्वारा की गई गणना के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान अंशदान नहीं किया जा सका। यद्यपि, 150.50 करोड़ रु. 208.00 करोड़ रु., 235.00 करोड़ रु. और 259.10 करोड़ रुपये का अंशदान वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान ट्रस्ट को किया गया। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जीडीए द्वारा ट्रस्ट में जो कमी पूरी की जा रही है उसे निम्न तालिका से देखा जा सकता है:-

विवरण	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**
लाभ	564.89 करोड़	605.56 करोड़	623.49 करोड़	688.99 करोड़
ब्याज आय	500.76 करोड़	448.91 करोड़	452.65 करोड़	499.67 करोड़
कमी	64.13 करोड़	156.65 करोड़	170.84 करोड़	189.32 करोड़
ट्रस्ट को जीडीए द्वारा किया गया अंशदान	150.50 करोड़	208.00 करोड़	235.00 करोड़	259.10 करोड़

बीमांकक द्वारा परिकलित अंशदान राशि का प्रावधान जीडीए के बही खातों में किया गया है और तदनुसार, कमी की राशि को डीडीए पेंशन फंड ट्रस्ट को देय के रूप में दिखाया गया है। ट्रस्ट में शेष कमी के संबंध में, जीडीए के तहत लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार होने पर आगामी वित्तीय वर्षों में इसे पूरा कर लिया जाएगा।

5.2 निर्धारित निधि - टिप्पणी सं. 9

5.2.1 टिप्पणी संख्या 9(i) के अनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी विकास निधि रु.4997.87 करोड़ थी। इस निधि में से कुल निवेश 4771.24 करोड़ रुपये का है (4701.69 करोड़ रुपये का निवेश, 2.38 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि और 67.17 करोड़ रुपये का अर्जित ब्याज शामिल है)। यद्यपि, अनुसूची ई निर्धारित/एकमुश्त निधियों की संपत्ति के अनुसार, कुल निवेश का उल्लेख 4771.36 करोड़ रुपये के रूप में किया गया है (इसमें राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गए 3369.89 करोड़ रुपये, सावधि जमा में निवेश किए गए 1337.78 करोड़ रुपये, बचत बैंक खातों में 2.38 करोड़ रुपये, और अर्जित ब्याज में 67.31 करोड़ रु. शामिल हैं)। इस प्रकार, 0.12 करोड़ रुपये का अंतर है, इसका मिलान करने की आवश्यकता है।

यूडीएफ के उपार्जित ब्याज से संबंधित लेखों की टिप्पणियों में दर्शाए गए आंकड़े 67.31 करोड़ रुपये हैं, जबकि लेखों की टिप्पणी में गलती से 67.17 करोड़ रुपये दर्शाए गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष में इसे ठीक कर लिया जाएगा।

5.2.2 टिप्पणी 9 (vi) के अनुसार, जो लेखों का भाग है, 31.03.2022 तक ईडब्ल्यूएस आवास आरक्षित शेष 570.43 करोड़ रु. था जो अनुसूची बी निर्धारित / एकमुश्त निधि से मेल नहीं खाता है, जिसके अनुसार ईडब्ल्यूएस आवास आरक्षण की शेष राशि 323.78 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, 245.65 करोड़ रुपये के अंतर का मिलान करने की आवश्यकता है।

ईडब्ल्यूएस आवास आरक्षित निधि से संबंधित खातों की टिप्पणियों में दर्शाए गए आंकड़े गलती से अपडेट नहीं किए जा सके। अगले वित्तीय वर्ष में इसे ठीक कर लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस हाउसिंग रिजर्व के सही आंकड़े 323.78 करोड़ रुपये प्रमाणित हैं।

5.2.3 टिप्पणी 9 (vi) के अनुसार, जो लेखों का भाग है, 31 मार्च 2022 को इंवेंट्रीज की शेष राशि 3012.62 करोड़ रुपये थी, जो अनुसूची ई के साथ मेल नहीं खाता है, जिसके अनुसार इन्वेंट्री का शेष 2753.67 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, 258.95 करोड़ रुपये के अंतर का मिलान करने की आवश्यकता है।

ईडब्ल्यूएस आवास आरक्षित निधि से संबंधित लेखों की टिप्पणियों में दर्शाए गए आंकड़े गलती से अपडेट नहीं किए जा सके। अगले वित्तीय वर्ष में इसे ठीक कर लिया जाएगा। इन्वेंट्री के सही आंकड़े 2753.67 करोड़ रुपये के रूप में प्रमाणित हैं।

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा.

हस्ता/-
निदेशक (वित्त)/परामर्शदाता

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा)
मुख्य/परामर्शदाता

वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

पैरा संख्या	लेखापरीक्षा टिप्पणी	उत्तर
1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**	
	उप मुख्य लेखाधिकारी की अध्यक्षता में दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिविप्रा) की आतंरिक लेखापरीक्षा उसके अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा संचालित की जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के प्रशासनिक कंट्रोल के अंतर्गत 216 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 52 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी, जिनमें से वर्ष के दौरान केवल 21 इकाइयों की लेखापरीक्षा की जा सकी थी। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र संगठन के आकार के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, दिनांक 31.03.2022 तक 21387 बकाया पैरा का निपटान किया जाना है।	आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 216 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 52 इकाइयों की वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा वर्ष के दौरान 52 इकाइयों में से 21 इकाइयों की लेखापरीक्षा की जा सकी। निम्न कारणों से वर्ष 2021-22 का वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका:- 1. विशेष/अतिरिक्त ऑडिट पार्टी की नियुक्ति पर विचार करते हुए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तथापि कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के कारण, कोई विशेष/अतिरिक्त ऑडिट पार्टी नियुक्त नहीं की गई थी। 2. चल रही कोरोना महामारी के कारण पहली तिमाही के दौरान सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया था, जिस कारण ऑडिट पार्टियाँ लेखापरीक्षा के अपने नियोजित कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सकी। **बकाया पैरों के निपटान हेतु उठाए गए कदम:-** 1. ऑडिट पैरा के निपटारे के लिए एसओपी तैयार की गई है, जिसे परिचालित कर दिया गया है। सभी जोन इस पर काम कर रहे हैं, जहां भी आवश्यक है, ऑडिट पैरा की प्रतियां आंतरिक ऑडिट सेल द्वारा प्रदान की जा रही हैं। 2. इसके अलावा, दो सहायक लेखाधिकारियों को विशेष रूप से बकाया पैरा के निपटान के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः आगामी तिमाहियों में पैरा के निपटान कार्य में तेजी आएगी। 3. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिक से अधिक इकाइयों को कवर करने के लिए दो आंतरिक वित्तीय ऑडिट पार्टियों को लेखापरीक्षा कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा। 4. उचित निगरानी के लिए उप मुख्य लेखा अधिकारी आंतरिक लेखापरीक्षा और वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आईए) वाली एक निगरानी समिति इस विलंबता को कम करने के लिए क्षेत्रीय लेखा इकाइयों का दौरा करेगी। 5. निपटान निगरानी के लिए पाक्षिक के दौरान ऑडिट पैरा के निपटान को इंगित करते हुए सभी जोन द्वारा एक पाक्षिक रिपोर्ट भेजी जाएगी। 6. वित्त सदस्य के स्तर पर लेखापरीक्षा पैरा निपटान की स्थिति की समीक्षा की गई। इन प्रयासों से, आगामी वित्तीय वर्षों में बकाया लेखापरीक्षा पैरा धीरे-धीरे कम हो जाएंगे।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**	
	आंतरिक नियंत्रण को विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।	
(i)	दि.वि.प्रा. में कोई अनुमोदित व्हिसल ब्लोअर नीति नहीं है। सभी कर्मचारियों को भ्रष्ट, अनैतिक आचरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, प्राधिकरण की आचार संहिता के संभावित उल्लंघन जैसे किसी भी कदाचार के खिलाफ अपने मुद्दे उठाने में सक्षम बनाने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करने की आवश्यकता है। एक इस तरह की नीति की भी आवश्यकता है, जो, यदि कोई कर्मचारी इकाई में किसी गलत कार्य के लिए आवाज उठाता है तो यह रिर्पोटिंग प्रक्रिया और जांच तंत्र की रूपरेखा तैयार करेगी।	हालांकि कोई विशिष्ट व्हिसल ब्लोअर नीति मौजूद नहीं है, कर्मचारियों की शिकायतों को सीपीजीआरएएमएस (सीपीग्राम), एलजी लिसनिंग पोस्ट, आदि तंत्रों के माध्यम से विधिवत समाधान किया जाता है। तथापि, व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करने का प्रस्ताव शुरू कर दिया गया है।

(ii)	प्रभावी लेखांकन और नियंत्रण के लिए कोई परिचालन, वित्तीय और लेखांकन मैनुअल या मानक संचालन प्रक्रिया नहीं है|	दि.वि.प्रा. जीएफआर, परिचालन और वित्तीय मामलों पर सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल, खरीद नियमावली, डीएफपीआर के अंतर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों सीवीसी, एमओएफ, डीओपीटी, आदि द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पालन करता है और उन्हें अपनाता है। इसके अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. में लेखांकन कार्य बजट और लेखा नियम, 1982 द्वारा निर्देशित होता है, जो दि.वि.प्रा. के लिए लेखांकन नियमावली के रूप में कार्य करता है। अब तक ई-नीलामी, चार्जबैक, ऑडिट पैरा सेटलमेंट आदि के तहत रिफंड जैसी गतिविधियों के लिए एसओपी तैयार की गई है।
(iii)	कोई निर्धारित, प्रलेखित या अनुमोदित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) नहीं है।	हालांकि दिविप्रा में कोई प्रमुख प्रदर्शन संकेतक तैयार नहीं किए गए हैं, फिर भी, आवधिक आधार पर कर्मचारियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एपीएआर तंत्र उपलब्ध है।
(iv)	दि.वि.प्रा. की कोई जोखिम मूल्यांकन नीति नहीं है।	दि.वि.प्रा. में एक उचित कार्यात्मक आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति मौजूद है। आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष आवधिक आधार पर विभिन्न लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का निरीक्षण करता है।
(v)	दि.वि.प्रा. में धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम की कोई अनुमोदित नीति नहीं है।	दि.वि.प्रा. की आवश्यकता के अनुसार धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम नीति तैयार करने से सबंधित लेखापरीक्षा के सुझाव की जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।
(vi)	दिविप्रा ने विभिन्न संचालनों, प्रक्रियाओं और गतिविधियों में कदमों की सूची तैयार करने के लिए फ्लो चार्ट तैयार नहीं किया है, जो इसके कामकाज के लिए विशिष्ट थे।	ई -नीलामी, खातों की फ्रीजिंग, चार्जबैक, ऑडिट पैरा सेटलमेंट आदि पर वर्ष के दौरान एसओपी तैयार की गई। इसके अतिरिक्त आंतरिक प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए इन प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है।
(vii)	फरवरी 2022 के दौरान परिपक्व होने वाले कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक के सावधि जमा में शहरी विकास निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज पर 1.56 करोड़ रूपये की राशि को आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाने वाले खातों में शामिल नहीं किया गया था।	यूडीएफ से संबंधित सावधि जमा के संबंध में 1.56 करोड़ रुपये की ब्याज आय को चूक के कारण बुक नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में आवश्यक सुधार अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक खातों में पूर्व अवधि के माध्यम से किया जाएगा।
(viii)	**उपार्जित आधार पर लेखों को तैयार न करना**	
	दि.वि.प्रा. की सात केन्द्रीय लेखांकन इकाइयाँ हैं, जैसे कि सी.ए.यू. (उत्तरी क्षेत्र), सी.ए.यू. (दक्षिणी क्षेत्र), सी.ए.यू. (पूर्वी क्षेत्र), सी.ए.यू.(द्वारका), सी.ए.यू. (रोहिणी), सी.ए.यू. (पी. और सी. डब्ल्यू. जी.) और सी.ए.यू. (खेल)। इसके अतिरिक्त सी.ए.यू. के अलावा सात लेखांकन इकाइयां जैसे-रोकड़ (मुख्य), रोकड़ (आवास), कर्मचारी हित निधि, चिकित्सा, भीकाजी कामा प्लेस, वेतन एवं लेखा कार्यालय और यूटीपैक हैं। दि.वि.प्रा. मुख्यतः सी.ए.यू. स्तर पर मासिक लेखा तैयार करने के लिए के.लो.नि.वि. के पैटर्न का अनुसरण करता है। सी.ए.यू. द्वारा दिए गए मासिक लेखा मुख्यालय स्तर पर वर्गीकृत और समेकित सार में दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के अंत में समायोजन प्रविष्टियों को पारित करके कर परामर्शदाता द्वारा नकद आधार लेखों को उपार्जन आधार लेखों में परिवर्तित करके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार, जब भी लेन-देन किया जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने लेन-देन का रिकार्ड उपार्जित आधार पर नहीं रखता है। कुछ तदनुकूल लेखांकन सॉफ्टवेयर सिस्टम को लागू करने हेतु तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है, जो दि.वि.प्रा. की लेखा प्रणाली को सुचारू बनाने में मदद करेगा। यह दि.वि.प्रा. द्वारा आंतरिक नियंत्रण में कमी और खराब निगरानी को दर्शाता है। यह टिप्पणी वर्ष 2020-21 के दौरान भी की गई थी, हालांकि प्रबंधन द्वारा कोई भी संशोधनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	दिल्ली विकास प्राधिकरण डबल एंट्री सिस्टम अपना रहा है और जी डी ए और नजूल । लेखों के संबंध में वर्ष के अंत में अपने लेखों को रोकड़ आधार से प्रोद्भवन आधार पर बदल रहा है। लेखांकन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के संबंध में यह बताया गया है कि टैली सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन को लेखा प्रदान करने वाली इकाइयों में दिनांक 01.04.2019 से चालू कर दिया गया है। इसके अलावा, दि.वि.प्रा. के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमआईएस) को भी विकसित किया जा रहा है।
(ix)	**जी.डी.ए. उचन्त खाता-13.19 करोड़ रूपये**	
	वित्तीय वर्ष क्रमशः 2019-20 और 2020-21 के लिए डीडीए के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के एसएआर के अनुलग्नक की टिप्पणी संख्या 2(xi) तथा 2(ix) पर टिप्पणी हेतु संदर्भ आमंत्रित है, जिसमें उचन्त खाते के समाधान नहीं होने के मुद्दे का उल्लेख किया गया था। तथापि, यह पाया गया कि 13.19 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 12.07 करोड़ रूपए) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अभी तक 'उचन्त खाते' के अंतर्गत दर्शायी गयी है। डीडीए द्वारा इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।	आबंटितियों द्वारा चालान जेनरेट किए बिना एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से राशि जमा की गई, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी राशि के संचयन को उचंत शीर्ष के अंतर्गत अवर्गीकृत प्राप्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा रहा है कि आबंटिती चालान जेनरेट करने के बाद ही डीडीए के सार्वजनिक सेवा पोर्टल के माध्यम से अपना भुगतान जमा करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भुगतान केवल चालान जेनरेट होने के बाद ही नामित लेखा शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। इसका उचंत शीर्ष के अंतर्गत कम संचय होगा। डीडीए द्वारा उचंत शीर्ष के अंतर्गत मौजूदा राशि का मिलान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यह अगले वित्त वर्ष के दौरान राशि को महत्वपूर्ण ढंग से कम करेगा।

(x)	**आंतरिक नियंत्रण की कमी और अपर्याप्त निगरानी के परिणामस्वरूप अतिक्रमित भूमि के मासिक विवरण को प्रस्तुत नहीं किया जाना।**	
	दि.वि.प्रा. ने दिनांक 27 सितंबर 2018 के आदेश द्वारा डीडीए में भूमि संरक्षण हेतु प्रक्रिया और प्रणाली के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि संबंधित अधीक्षण अभियंता निर्धारित प्रारूप में निदेशक भूमि प्रबंधन-1 के माध्यम से प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन) को प्रत्येक माह के दौरान पता लगे/रिपोर्ट किए गए अतिक्रमणों की संख्या, अनुमोदित मामलों की संख्या तथा निर्माण गिराने की कार्रवाई किए गए मामलों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तथापि, लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि संबंधित अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। यह मामला वर्ष 2020-21 के दौरान भी उठाया गया था, हालांकि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	भूमि के अतिक्रमण के मुद्दे का विभिन्न उपायों द्वारा निवारण किया जा रहा है जिसमें अतिक्रमित भूमि का कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस तैयार करने के लिए एजेंसी को हायर करना और अतिक्रमण की गई भूमि पर किए गए निर्माण को गिराने और उस भूमि का सुधार करने के लिए कदम उठाना शामिल है। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. भौगोलिक सूचना प्रणाली सहित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली को अतिक्रमण के मामले को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर में संपत्तियों की जी.आई.एस. मैपिंग करने, सर्वेक्षण परिणामों को अपलोड करने आदि का प्रावधान है। इन प्रयासों के साथ, अतिक्रमण के मामले का समयबद्ध ढंग से निपटान किया जाएगा। जैसा कि प्रणाली को ऑनलाइन किया जा रहा है और अतिक्रमण आदि की सूचनाएं एल.एम. आई.एस. सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जानी है, अतः इस मामले में प्रगति अगली लेखा परीक्षा में दिखाई जाएगी।
(xi)	**जीडीए- अन्य देयताएं 20.92 करोड़ रुपये**	
	प्राधिकरण के पास 20.92 करोड़ रुपये की राशि के लेनदारों के विवरण उपलब्ध नहीं है और इसलिए शेष राशि की पुष्टि भी नहीं की गई है। यह आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शाता है और साथ ही रिकॉर्डों के अनुचित रखरखाव को भी दर्शाता है।	20.92 करोड़ रुपये की राशि के लेनदारों को पिछले वर्ष के तुलन पत्र से अगले में दर्शाया गया था। इसकी जांच की जाएगी और यदि आगे देय नहीं है तो राशि अगले वित्तीय वर्ष में खारिज कर दी जाएगी।
3.	**इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली**	
	सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 213(2) के अनुसार, वर्ष में कम से कम एक बार सभी उपभोज्य वस्तुओं और सामग्रियों का वास्तविक सत्यापन किया जाए और यदि कोई विसंगति हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई हेतु उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। इस संबंध में, डीडीए ने अपनी इकाइयों द्वारा प्रदत्त वास्तविक मौजूदा माल की पुष्टि करते हुए वास्तविक सत्यापन प्रमाणपत्र पर विचार किया है, तथापि लेखा परीक्षा को सभी मालसूचियों के वास्तविक सत्यापन की मदवार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में तुलन पत्र में दर्शायी गई मालसूची की प्रमाणिकता के संबंध में लेखापरीक्षा आश्वस्त नहीं है।	संबंधित इकाइयों द्वारा प्रस्तुत इंवेंटरी/संपत्ति के वास्तुविक रूप से होने की पुष्टि करने वाले वास्तविक सत्यापन प्रमाण-पत्र के आधार पर (प्रतियां संलग्न हैं), इन पर वार्षिक लेखों में विचार किया जाता है। जहां तक इंवेंटरीज के मद-वार सत्यापन का संबंध है, कुछ इकाइयों ने रिक्त इंवेंटरी का मद-वार विवरण प्रस्तुत किया है, जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी इकाईयां मद को वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें, जिसके लिए संबंधित इकाइयों को समय-समय पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन प्रयासों से, मद-वार वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट अगली लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जाएगी।
4.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता।**	
	लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक देयताओं के भुगतान में कोई कमी नहीं देखी गई।	
5.	**अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**	
6.	**अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**	
	सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 213(1) के अनुसार, अचल संपत्तियों की सूची सामान्य रूप से साइट पर डाली जाएगी। अचल संपत्तियों की वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापित किया जाना चाहिए और सत्यापन के परिणाम को संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। इस संबंध में दि.वि.प्रा. ने अपनी इकाइयों द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक अस्तित्व की पुष्टि करने वाले वास्तविक सत्यापन प्रमाण पत्र पर विचार किया है तथापि, सभी अचल संपत्तियों की मदवार वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिसके अभाव स्वरूप लेखापरीक्षा प्रमाणिकता और अस्तित्व अथवा तुलन पत्र में दर्शायी गई अचल संपत्तियों के संबंध में आश्वासन देने में असमर्थ है।	अचल संपत्तियों को संबंधित इकाइयों द्वारा प्रस्तुत अचल संपत्तियों के वास्तव में होने की पुष्टि करते हुए वास्तविक सत्यापन के प्रमाण पत्र के आधार पर वार्षिक खातों में दर्शाया जाता है। अचल संपत्तियों के मदवार सत्यापन के संबंध में यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी इकाइयां मदवार वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसके लिए संबंधित इकाइयों को समय-समय पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन प्रयासों से अगली लेखापरीक्षा के दौरान मदवार वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जाएगी।

हस्ता/-
मुख्य लेखाधिकारी, दि.वि.प्रा.

हस्ता/-
निदेशक (वित्त)/परामर्शदाता

हस्ता/-
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा)
मुख्य/परामर्शदाता

टिप्पणी

टिप्पणी

दिल्ली विकास प्राधिकरण

विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली- 110023
www.dda.gov.in